खण्ड-420, अंक-3
सोमवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1919
(4 अगस्त, 1997 ई0)

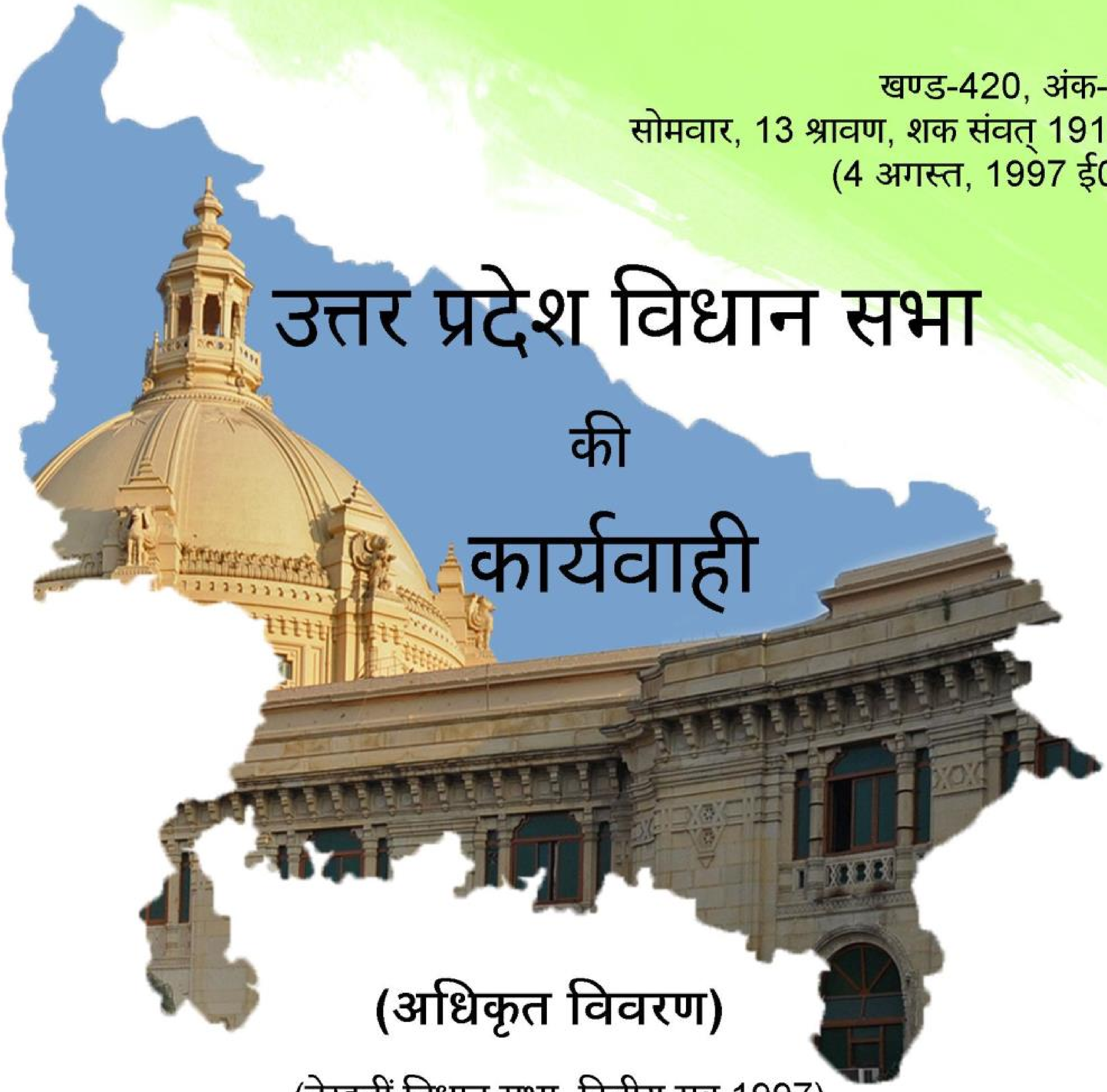

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 420 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-58
प्रश्नोत्तर	59-60
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	60
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	
आजमगढ़ नगर पालिका परिषद् के सभी मोहल्लों में उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद हमीरपुर के ग्राम टूंका में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
कर्ण प्रयाग क्षेत्रान्तर्गत हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2 के निर्माण में की गई कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
थाना करम अली कोतवाली मेरठ (मेरठ) द्वारा कतिपय गुमशुदगी के मामलों में निष्क्रियता बरतने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	64
दिनांक 2 अगस्त, 97 को सदन की कार्यवाही रात्रि 12 बजे के बाद दिनांक 3 अगस्त, 97 को बिना प्रस्ताव स्वीकृत कराये चलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	64-66
विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सदन में अत्यधिक शोरगुल होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	66-69
औचित्य के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	69
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (जारी)	69
औचित्य के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय (सदन के पटल पर रखे गये)	70
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	70
विकेन्द्रित योजना के अन्तर्गत जिला विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं के निर्धारण में मा० विधायकगणों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	70-86
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित) ...	86-88

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
भारतीय स्टाम्प उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित)	88-102
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 22–खेल विभाग, अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	102-106
गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी/प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अश्लीलता व दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में एवं भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगर पालिकाओं के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन ...	106
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	106-107
प्रदेश में दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले लघु मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के लिये टेलीप्रिंटर लगाये जाने की अनिवार्यता, मेरठ में विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवनों का हुडको के निर्देशों के विपरीत मूल्य बढ़ाये जाने, प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती स्थिति को सुधारने, हरदोई जिले की संडीला कोतवाली अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर उसकी हत्या किये जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने, गोरखपुर मण्डल में दो वर्षों में सामयिक संग्रह अमीन तथा चपरासियों को कार्यमुक्त किये जाने के फलस्वरूप हजारों लोगों के बेरोजगार हो जाने तथा हरिद्वार तीर्थ की मर्यादा एवं पवित्रता की रक्षा के लिये एवं जनता की धार्मिक भावनाओं तथा कुम्भ 1998 को दृष्टिगत रखते हुए शराब की दुकानें नगरपालिका सीमा से 13 कि०मी० दूर करने हेतु शासनादेश जारी किये जाने विषयक चर्चाओं का स्थगन ...	108
नत्थियां	109-111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अतुल कुमार, श्री	मेरठ
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
* आलमबदी, श्री	आजमगढ़
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा

नोट :—* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
* वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

नोट :—* मा० सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सभा

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद महाराजगंज के किसानों का चीनी मिलों पर बकाये रुपये के भुगतान कराये जाने की मांग

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि महाराजगंज जनपद के किसानों का चीनी मिलों पर 1445.06 लाख रुपये का भुगतान अवशेष है ? यदि हां, तो सरकार कब तक गन्ना किसानों को उक्त धनराशि का भुगतान मय ब्याज करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

वर्तमान स्थिति के अनुसार महराजगंज जनपद के किसानों का चीनी मिलों पर रु० 1082.70 लाख गन्ना मूल्य बकाया है जिसका भुगतान यथा शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यवर, मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूं कि 30-7-97 तक बकाया 10 करोड़ 8 लाख 15 हजार है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और प्रदेश की जनता भी आपका संरक्षण चाहती है । माननीय मंत्री जी कभी भी नहीं कहते हैं कि भुगतान नहीं करूंगा जब भी हम लोग प्रश्न के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से गन्ना बकाया के भुगतान के बारे में पूछते हैं तो कभी कहते हैं यथाशीघ्र, कभी कहते हैं अतिशीघ्र और कभी कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र । तो मैं चाहता हूं कि इसको आप परिभाषित करवा दीजिए और दूसरा प्रश्न यह है कि 1082.70 लाख रुपया महाराजगंज जनपद के किसानों का बकाया है तो यह किस-किस चीनी मिलों का बकाया है और इसके सुनिश्चित भुगतान के लिये सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं और क्या अग्रेतर कोई कार्रवाई की गयी है आर० सी० जारी करने की या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है 1082.70 लाख के भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यथाशीघ्र, अतिशीघ्र और शीघ्रातिशीघ्र की वही परिभाषा है जो इस माननीय सदन ने अभी तक परिभाषित किया है और आपने अब तक जो व्यवस्था दी है वही परिभाषा मेरी भी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सरकार लकीर की फकीर है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह आपकी पीठ पर आक्षेप है । सदन की हर व्यवस्था मान्यवर की व्यवस्था है इसलिए आप उस पर आक्षेप न करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार पर आक्षेप है, पीठ पर नहीं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सिसवा बाजार पर 6 करोड़ 37 लाख 83 हजार, घुघली पर 1 करोड़ 60 लाख 88 हजार, कप्तानगंज पर 1 करोड़ 9 लाख 45 हजार, खुड्डा पर 9 लाख 29 हजार, घोसी पर 90 लाख, 11 हजार, सरदार नगर पर 59 हजार । यह बकाया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इस बकाया को दिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? दूसरे, ब्याज की प्रथा है, समय पर भुगतान न करने पर दण्ड ब्याज भी क्या दिलाया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, ब्याज की प्रथा नहीं है, नियम है । दो चीनी मिलों के विरुद्ध आर० सी० जारी हो चुकी है कप्तानगंज और सरदारनगर –माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें स्टे दे दिया है, हमारी थोड़ी असमर्थता हो गयी । भुगतान कराने के प्रयास के परिणामस्वरूप यह धनराशि जो अवशेष है वह निरन्तर घटती जा रही है । अगला सत्र शुरू होने से पहले भुगतान कर दें इसमें प्रयास हर तरह का किया जा रहा है । इस बार अन्य वर्षों की तुलना में अच्छा भुगतान हुआ है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दण्ड ब्याज का नियम बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पहले मूलधन तो भुगतान करा लें फिर किसी अन्य प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न उठेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने कहा कि ब्याज की प्रथा नहीं है, नियम है तो यह विस्तृत नियम का रूप कब लेगा, इसको कार्य रूप कब दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अभी मूल धन का भुगतान करा दें फिर अन्य परम्परा की शुरुआत करने के संबंध में, जैसी परिस्थिति होगी, उस पर विचार करेंगे ।

श्री योगेन्द्र कुमार–

मान्यवर, प्रतापपुर मिल से 14 लाख 30 हजार का ब्याज भुगतान कराया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, यह आदेश अन्य मिलों पर भी लागू करेंगे ?

श्री हरिशंकर तिवारी–

सभी गन्ना मिलों की 85 प्रतिशत बैंक गारंटी है, तो क्यों नहीं इस धनराशि से किसानों के बकाया का भुगतान करा देते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो मिलें बैंक गारन्टी के बाद भी 50 प्रतिशत धन का भुगतान किसानों को नहीं करेंगे तो क्या उनकी बैंक गारन्टी समाप्त करने की घोषणा माननीय मंत्री जी सदन में करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से सदन को पहले ही बता चुका हूं कि चीनी मिलों के पास अभी भी स्टाक है और चीनी बेचने की अनुमति केन्द्र सरकार से प्राप्त करनी पड़ती है । जो स्टाक में है और बैंक से जो पैसा लिया गया है उस पैसे से वह भुगतान कर रहे हैं । जहां तक गन्ने के मूल्य के रूप में लिये गये पैसे का भुगतान दूसरे मदों में किया गया है उसके लिये पहले ही निर्देश दे दिये गये थे और जांच भी की गयी थी उसके अनुरूप कार्यवाही भी की गयी थी । यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि गन्ने का भुगतान दूसरी मदों में नहीं किया जाय । इसीलिये मान्यवर, एक नयी व्यवस्था की गयी है कि गन्ना

समितियों में गन्ने के मूल्य का खाता अलग कर दिया है और उसका आपरेशन गन्ना समिति का एक अधिकारी एवं शासन का अधिकारी उसका ज्वाइन्ट आपरेशन करेंगे । गन्ने मूल्य के भुगतान से सम्बन्धित जो ऋण बैंक से लिया गया उसका भुगतान केवल गन्ना किसानों को ही किया जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमे कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार ने गन्ना भुगतान के संबंध में अच्छे प्रयास किये और उसके परिणाम भी अच्छे निकले परन्तु प्रश्न के दूसरे भाग में जिस पर बार-बार बल दिया जा रहा है कि गन्ना किसानों को उक्त धनराशि का भुगतान मय ब्याज करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान के बाद 10 करोड़ रुपया जो शेष है उसमें कितना मूल धन है और कितना रुपया ब्याज का है, अगर नियम है तो । मेरी जानकारी है कि कहीं पर भी किसानों को ब्याज का पैसा नहीं मिला है । इसलिये माननीय मंत्री जी पहले यह स्पष्ट कर दें कि 10 करोड़ रुपये में कितना ब्याज का पैसा है, यदि ब्याज का नहीं है तो कब तक इस ब्याज के पैसे का भुगतान किसानों को कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह समस्त मूल धन है । अभी तक ब्याज लगाकर भुगतान करने की परम्परा नहीं रही है । नियमों में प्राविधान जरूर है । पहले मूलधन का भुगतान कर लें फिर जाकर अन्य विषयों पर बात करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक पिन-प्वाइन्टेड प्रश्न करने जा रहा हूं यदि माननीय मंत्री जी अगर उसका उत्तर दे दें तो यह सदन सन्तुष्ट हो जायेगा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो गन्ना मूल्य बाकी है उसके संबंध में प्रदेश में गन्ना आयुक्त ने 9 जुलाई 1997 को गन्ना मूल्य के विलम्बित भुगतान के लिये ब्याज की भी वसूली के लिये गन्ना अधिकारियों को निर्देशित किया है, तो क्या शासन गन्ना आयुक्त के 9 जुलाई के पत्र पर कोई कार्यवाही करेगी ? जो गन्ने की चीनी बनती है उसका 85 प्रतिशत बैंक मनी होता है परन्तु इस मनी को भी अन्य मदों में खर्च कर दिया गया इसलिये क्या माननीय मंत्री जी ऐसी मिलों के नाम बतायेंगे जिन्होंने इस पैसे को दूसरे मदों में खर्च कर दिया, और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है और पिछली बार भी मैंने विस्तार में शासनादेशों का जिक्र यहां पर कर दिया था । मैंने कहा था कि शासन ने अधिकार अपने पास रख लिया है और परिस्थितियों के अनुसार उसका उपयोग करेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी विषयान्तर हो रहे हैं । 9 जुलाई के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य हर विषय पर आक्षेप करें तो भी मैं सहर्ष उसे स्वीकार करने को अपना कर्तव्य मानता हूं । मैं कई बार कह चुका हूं और पुनः कह रहा हूं कि यह बकाया नहीं रहता । वास्तविक बकाया इस सरकार का इस सत्र का 52 करोड़ रुपया है जो 300 करोड़ का भुगतान हम कर रहे हैं वह पिछले वर्ष का कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से उधर वालों की है क्योंकि उन्हीं के समय का यह बकाये का भुगतान किया जा रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह सरकार नियम में होने के बावजूद गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही है और टैग मनी को नहीं रोक रही है इसलिए हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश में सिंचाई हेतु नदियों के किनारे-किनारे नलकूप लगाये जाने की योजना की जानकारी

**2–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सिंचाई हेतु नदियों के किनारे-किनारे नलकूल लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? प्रश्नकर्ता के क्षेत्र गोकुल, जनपद मथुरा में यमुना नदी के किनारे कितने नलकूल लगाने की योजना है ? नलकूप लगाने का उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जो भूगर्भ जल है वह नीचे जा रहा है और केवल नदियों का किनारा बचा है जहां भूगर्भ जल का दोहन करके सिंचन क्षमता बढ़ा सकते हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी सूचना को सही मानते हुए प्रदेश में नदियों के किनारे नलकूप लगा दिये जायें इस प्रकार की कोई योजना आगे बढ़ायेंगे, जिससे सिंचन क्षमता बढ़ सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नदियों के जल के उपयोग का अधिकार सीमित है । 1994 में यमुना नदी के बंटवारे में पांच राज्यों का समझौता हुआ और उस समझौते के अनुसार जितना भी जल उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है वही जल वह ले सकता है । मान्यवर, एक सामान्य नियम है कि कोई भी राज्य जल नदी के बेसीन से अवैध रूप से नहीं ले सकता है । जो भी नदी में जल प्रवाहित हो रहा है उसे ही वह ले सकता है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जगह-जगह बैराज बन रहे हैं । किनारे पर नलकूप लगाकर कुछ दूरी जाकर नलकूप लगा दिये जाये जिससे जल सिंचन क्षमता बढ़ सके । क्या कोई ऐसी योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नदी के किनारे नलकूप लगाने की योजना होती है नदी का पानी चुराना । इस सीमा से बाहर संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नलकूप लगाये जायेंगे ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री सुब्रह्मणियम साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी । गंडक नहर का जो जल जमाव होता है उस जल जमाव के कारण गोरखपुर मण्डल में इन्सीफ्लाइटिस से दो सौ लोगों की मृत्यु हो गयी है । उस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात थी कि गण्डक नदी के किनारे जहां जल जमाव होता है वह पर ट्यूबवेल लगा दिये जायें ? क्या सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री जी यदि इसकी सूचना आपके पास हो तो दे दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा माननीय सदस्य ने की है वास्तव में वह यह है कि गण्डक नहर के किनारे कुछ 226 नलकूप लगाने की योजना प्रारम्भ में चल रही थी। वह इस दृष्टि से थी कि खरीफ में पानी उपलब्ध होगा, लेकिन रबी में उस क्षेत्र का जल स्तर नीचा है, 226 नलकूपों के माध्यम से रबी की सिंचाई हो, बिहार अपने हिस्से का पानी लेने की दशा में नहीं है। इसलिये इन नलकूपों को चलाने का औचित्य नहीं बना है, लेकिन जहां तक जल जमाव का प्रश्न है वह एक समस्या है। नवीं योजना में हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि जल भराव को कैसे समाप्त किया जाये ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नहरों के किनारे जो ट्यूबवेल लगे हैं, उनके तार, स्टार्टर और मोटर आदि सिंचाई विभाग के लोगों द्वारा चुरा लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता है। इसके बारे में अलग से प्रश्न करें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बन्द पड़े सहकारी शीतगृहों को चालू कराये जाने की मांग

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द पड़े 78 शीतगृहों को तत्काल चालू किये जाने हेतु वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और उनमें से कितने शीतगृहों को चालू कराकर भण्डारण किया गया है ? शेष शीतगृहों को किन कारणों से चालू नहीं कराया जा सका है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम शंकर पाल)–

सरकारी क्षेत्र में बन्द पड़े 78 शीतगृहों में से तत्काल चलाये जा सकने वाले शीतगृहों में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त निर्णय 22-3-97 को लिया गया। बन्द पड़े सरकारी शीतगृहों में से 20 शीतगृहों को संचालित कर भण्डारण कार्य कराया गया।

संबंधित समितियों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण एवं वर्तमान सीजन में उपलब्ध कम समय के कारण शेष शीतगृहों का तत्काल संचालन सम्भव नहीं हो सका।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मा० अध्यक्ष जी, नई सरकार बनते ही इस बात का आश्वासन दिया था कि सभी शीतगृह चालू कर दिये जायेंगे, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 78 शीतगृहों में से 20 को संचालित किया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं और जो कारण बताया गया है कि क्यों नहीं चालू हो सके, आर्थिक कठिनाई और समय का अभाव बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने शीतगृह थे, जो आर्थिक कठिनाई के कारण चालू नहीं किये जा सके और उस आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिये क्या किया गया ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, सवाल दोहरा दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 78 में से 20 शीतगृह चालू किये जा चुके हैं और न चालू करने का कारण यह बताया गया है कि आर्थिक संसाधनों का अभाव है और समय की कमी थी । समय की कमी को हम मान रहे हैं लेकिन सरकार ने फैसला किया था कि इनको चालू किया जायेगा तो आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी और कितनी धनराशि इनको मुहैय्या की गयी है ?

श्री राम शंकर पाल–

माननीय सदस्य ने चालू करने के बारे में पूछा है । तो मैं बताना चाहता हूं कि 20 चालू कर दिये गये थे । सरकार ने यह निर्णय लिया था कि शीतगृहों के बिजली कनेक्शन कट गये हैं आर जो शीतगृह सरकारी संस्थाओं से जुड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह शीतगृह चालू करने का निर्णय लिया गया था ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार ने जिम्मेदारी से ऐलान किया था, उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों का आलू सड़ने नहीं दिया जायेगा । इसके लिये सरकार शीतगृहों को पूरी धनराशि मुहैय्या करायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि जो आर्थिक कठिनाई के कारण बंद थे उनकी कितनी मदद सरकार ने की और जो 20 शीतगृह अन्य तकनीकी खराबियों के कारण ठीक नहीं किये गये थे जिसके कारण कई शीतगृहों में आलू सड़ने लगा है और किन्हीं में पूरा का पूरा आलू सड़ गया है, उन सड़े हुए आलुओं के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की है ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, जो जानकारी में आया है, शीतगृहों में आलू सड़ गये हैं । उसमें जो हमारी व्यवस्था है 4 में की जा रही है, शेष पर विचार किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, विचार किस चीज का होगा ? क्या और शीतगृहों में आलू सड़ने का विचार होगा ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिन शीतगृहों का आलू सड़ गया है माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है 7 शीतगृहों में सड़ गया है तो क्या उनको प्रतिकर देने की कोई नीति बनायी है ? इसका मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए और ब्याज भी मिलना चाहिए क्या यह देंगे या नहीं ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो आलू की क्षति पूर्ति के लिये माननीय सदस्य ने कहा, इसके लिये प्रतिकर निधि नियमावली, 1992 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजधारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे बलिया में 'सहतवार' में जो शीतगृह है वह वर्षों से निरन्तर खराब रहता है, इसका क्या कारण है ? जिसके कारण आलू उत्पादक परेशान हैं ? क्या उसका मुआवजा देने पर सरकार विचार कर रही है ? (व्यवधान) (कोई उत्तर न आने पर) मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

कह दिया है कि नियमावली के अनुसार कार्यवाही होगी ।

श्री सरवर अली–

मान्यवर, किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में न रखने के कारण सड़ गया और उनका नुकसान हुआ है। क्या किसानों को इसका मुआवजा दिलाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बहराइच में जो सहकारी शीतगृह है उसकी दीवाल 20 साल से गिरी पड़ी है उसके लिये मंत्री जी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस में ही नहीं पूरे प्रदेश में बहुत से शीतगृह ऐसे हैं और बहुत समस्या है, वह बन्द पड़े हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है और इसमें जो नियमतः होगा वह सरकार करेगी।

श्री बनवारी लाल दोहरे–

मान्यवर, फर्रुखाबाद में 3 कोल्ड स्टोरेज बन्द पड़े हैं। इनके लिये 39 लाख 85 हजार रुपया दिया गया था। यह कोल्ड स्टोरेज जहान गंज, कमालगंज और छिबरामऊ हैं। इनमें किसानों से 22-25 रुपये प्रति बोरी आलू के लिये अग्रिम लिया गया और 5 रुपये प्रति बोरी बीमा का लिया गया था। लेकिन किसानों का बीमा नहीं कराया गया। बाद में किसानों का सारा आलू सड़ गया। तो क्या सरकार आलू के लिये लिया गया अग्रिम और किसानों का जो आलू सड़ गया उसके लिये मुआवजा देगी और जिन अधिकारियों ने बीमा नहीं करवाया उनको दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 22-3-97 को यह सरकार बनी और उसके पूर्व आपको विदित था कि आलू की बहुत पैदावार हुयी है। उसके पूर्व सरकार किसकी थी यह जरा विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें।

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, 22 तारीख को जब सरकार बनी तो 23 तारीख को निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में शीतगृह चालू किये जायं। तो इस निर्णय के अन्तर्गत जो भी आये हैं उनको चालू किया गया है। फर्रुखाबाद की सूचना आयी है उस पर निश्चित तौर पर विचार किया जायगा सरकार का मत है, किसान का जो नुकसान हुआ है वह दिया जायगा।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, सलोन में जो सहकारी शीतगृह है वह कितने दिनों से बन्द है, क्या सरकार इसको चालू करने की योजना बना रही है। यदि बना रही है तो कब चालू किया जायगा अगर नहीं चालू किया जायगा तो क्यों ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है, माननीय सदस्य संज्ञान में लाये हैं इस पर विचार किया जायगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं सहकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने जवाब दिया है कि 20 शीतगृह चालू करा दिये गये हैं। मान्यवर, करछना में सहकारिता विभाग का ही शीतगृह है और यह विगत कई सालों से बन्द है, इसे कब तक चालू करा देंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्षतिपूर्ति के लिये माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपके पास जानकारी होगी कि कितने करोड़ का, कितने लाख का आलू सड़ गया है, उसकी क्षतिपूर्ति कब तक करा देंगे ?

श्री राम शंकर पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जनपद के बारे मे माननीय सदस्य ने पूछा है, यह हमारे संज्ञान में अभी आया है। इसमें यह निश्चित होगा कि जो कई दिनों से खराब हैं, उस पर हमारी सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि अब संज्ञान में आया है इनकी सरकार शीघ्र ही कार्यवाही करेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह शीतगृह सहकारिता विभाग का है, मंत्री जी के विभाग से संबंधित कोल्ड स्टोरेज है किसी दूसरे का नहीं है, उसकी भी सूचना इनको नहीं है तो क्या मंत्री जी सदन में स्पष्ट जवाब देंगे कि आज जब आपके संज्ञान में आ गया है तो आप इसे 15 दिन, एक महीने या कितने में चालू करा देंगे ? कितना आलू प्रदेश में सड़ गया है उसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदस्य से कि वह मूल प्रश्न देखें उसमें यह है कि क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बन्द पड़े 78 शीतगृहों को तत्काल चालू किये जाने हेतु वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और उनमें से कितनों को चालू कराकर भण्डारण किया गया है ? शेष शीतगृहो को किन कारणों से चालू नहीं कराया जा सका है ? मान्यवर, जो सूचना दी गई है उसमें बताया है कि 20 शीतगृहों बाकी की क्या स्थिति है, वह किस स्थिति में हैं, विद्युत विच्छेदन के कारण से बन्द हैं या तकनीकी खराबी के कारण बन्द हैं या अब वह रखने लायक रह नहीं गये हैं। इन सबके बारे में बताने के लिये विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। शीतगृहों को किन कारणों से चालू नहीं कराया जा सका है यह मूल प्रश्न है शाही जी का।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसके बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सरकार 21 मार्च को बनी और मान्यवर, आलू भण्डारण का सबसे अच्छा सीजन 15 फरवरी से 15 मार्च होता है। अधिकतम लेट जो आलू जमा होता है वह 15 अप्रैल तक होता है। 15 अप्रैल के बाद जो धूप खाया आलू जमा होता है उसके सड़ने की प्रबल सम्भावना रहती है। हमने 23 मार्च को निर्णय लेकर 15 अप्रैल तक इस बीच में जो भी संसाधन थे जिनको तत्काल चालू कर सकते थे उसमें किया। 15 अप्रैल के बाद भण्डारण करते तो इस स्थिति में नहीं होते कि इनको इंश्योर कर पाते। इन्श्योरेंस कम्पनियां 15 अप्रैल के बाद तैयार नहीं होती हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए शेष शीतगृहों को चालू कराना सम्भव नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंवर साहब का प्रश्न करछना के सहकारी कोल्ड स्टोरेज के बारे में था ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पैसिफिक मामला पूछा है उसको दिखवा लेंगे कि किन कारणों से नहीं हो सका है । आज उसकी क्या स्थिति है,उसके बाद ही बता सकेंगे कि उसमें कितने धन की आवश्यकता है और वह किस स्थिति में है ? जब तक इसकी पूरी जानकारी न हो पाए यह कहना कि कब चालू हो जाएंगे यह बताना सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में अंतिम पैराग्राफ को पढ़ें, इसमें है कि किन कारणों से शीतगृह बन्द हैं ? कब तक चालू हो जायेंगे ? जब आप जबाव दे रहे हैं तो यह अपेक्षा है कि पूरी जानकारी देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसको मान्यवर, स्थगित कर दीजिये और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

किस कारण से चालू नहीं हो पाये, यह जानकारी स्पैसिफिक केस के बारे में दी जा सकती है । इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास 6 अप्रैल तक समय था दूसरी कठिनाई वित्तीय संसाधन और तीसरा कारण इतने दिनों से बन्द पड़े थे जिसके कारण उसमें तत्काल कार्यवाही ठीक कराने की नहीं कर सकते थे । इन सब कारणों से चालू नहीं करा पाये, लेकिन स्पैसिफिक केस के बारे में जब तक वृहद परीक्षण न हो जाए तब तक यह कहना कि तत्काल चालू कर देंगे, ऐसी स्थिति मैं मान्यवर हम नहीं हैं कि उसको कर सकें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के अंतिम भाग में उत्तर आया है वह यह है कि उत्तर में केवल एक कारण दिया गया है यह कहा गया है कि "संबंधित समितियों की आर्थिक कठिनाइयों के कारण एवं वर्तमान सीजन में उपलब्ध कम समय के कारण शीष शीतगृहों का तत्काल संचालन सम्भव नहीं हो सका ।" जब संबंधित समितियों के कारण बताया है तो आपको मालूम होगा संबंधित शीतगृह में कितने धन की आवश्यकता होगी क्या खर्च होगा ? उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं । तो जो करछना का दिया है, करछना के बारे में कहा गया यह तो मालूम होना चाहिये ? अगर करछना के बारे में कोई सूचना है तो बता दें । कब तक इसे चालू करेंगे ? जिन समितियों के पास आर्थिक कठिनाइयां हैं उन समितियों को आर्थिक सहयोग देने का शीघ्र प्रयास करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जैसा पहले अनुरोध किया कि यह कारण था जिसकी वजह से चालू नहीं कर पाये । यह 78 शीतगृह के संबंध में है । 78 शीतगृह के बारे में तकनीकी जानकारी कि कितने पैसे की आवश्यकता थी यह बहुत लम्बा हो जाएगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं पूरा परीक्षण करा लूंगा । दिखवा लूंगा क्या किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर नियम–49 में आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सहकारिता विभाग में वित्तीय अनियमितताओं एवं घोटाले के राज्य के लेखा परीक्षक विभाग द्वारा पकड़े गये मामलों में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने की मांग

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में घोर अनियमितताओं एवं घोटालों के कितने प्रकरण राज्य के लेखा परीक्षक विभाग द्वारा 30 सितम्बर, 1996 तक पकड़े गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त विभाग द्वारा प्रतिवेदन भेजकर राज्य सरकार से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है ? यदि हां,तो क्या सरकार इस पर कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

राज्य लेखा परीक्षक विभाग द्वारा 30 सितम्बर, 1996 तक 53,329 विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये हैं।

जी हां।

जी हां।

दिनांक 30-9-96 तक 46,479 विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर परिपालन आख्यायें लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है। यथावश्यक दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। शेष प्रतिवेदनों पर परिपालन आख्या प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मुझे जो उत्तर मिला है उसमें 53 हजार, 329 विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किये गये हैं माननीय मंत्री जी ने दूसरी संख्या बताई तो सही बात क्या है ? मान्यवर, विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उन कारणों में निर्गत किये जाते हैं जिनमें गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं घपला या गबन आदि के मामले होते हैं। यह भी सही है कि सहकारी संस्थाओं से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वह बहुत प्रभावशाली होते हैं। विभाग द्वारा उनके जो मामले होते हैं वह वित्तीय असंतुलन के नाम पर बट्टे खाते में डाल दिये जाते हैं। यह घपला हमारे हिसाब से 1200 करोड़ रुपये का है। जो अब तक किसी भी राज्य में हुए घपलों में सबसे बड़ा घपला है। क्या इसकी जांच सी० बी० आई० से कराने पर विचार करेंगे तथा जो वित्तीय असंतुलन के नाम पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता हैं ऐसे कितने मामले हैं तथा उसमें कितनी रकम जुड़ी हुई है। सरकार ने यह कहा है कि शेष प्रतिवेदनों पर परिपालन आख्या प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है तथा कौन सी एजेंसी से कार्यवाही की जा रही है ?

(माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट उत्तर न दिये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसका उत्तर दे दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हुए थे, उसके परीक्षण के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के वित्तीय अनियमितताओं के मामले हैं, उन सात मामलों की जांच सी० बी० आई० से कराई जाएगी और जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि सही संख्या क्या है, तो सही संख्या

53,329 है । जो यह प्रश्न किया गया है कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तो 10,115 मामलों में एफ० आई० आर० दर्ज की गई । 4,540 मामलों में विशेष अनुसंधान सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा आरोप पत्र निर्गत किये गये । एक हजार तीन सौ अठत्तर मामलों को विशेष अनुसंधान सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई । 6,233 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया । 3,295 अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया है । 2,505 मामलों में न्यायालयों का निर्णय करके 1,452 अभियुक्तों को दंडित किया गया है । तथा 495 अभियुक्तों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके मामले दाखिल दफ्तर हो गये हैं । 888 सचिवों को निलम्बित किया गया है । 4 सचिवों को सेवा मुक्त तथा एक सचिव की पदावनति की गई है, यह कार्यवाही की गई है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

तो क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि इन प्रतिवेदनों में कितने ऐसे प्रकरण हैं, उनकी संख्या क्या है जिनको वित्तीय इम्बैलेन्स कह कर बट्टे खाते में डालने की कोशिश की गयी है ?

श्री राम कृपाल सिंह–

इलाहाबाद जनपद की मेजा तहसील में सोसाइटियों में करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, आपका प्रश्न बड़ा विस्तृत है । माननीय राम कृपाल सिंह जी आप लिखित रूप से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ला दें, मंत्री जी उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

प्रदेश में भर्ती होने वाले पुलिस एवं अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को मानवाधिकारों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना की जानकारी

*3–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भर्ती होने वाले पुलिस एवं अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को प्रशिक्षण के समय मानवाधिकारों का प्रशिक्षण दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी हां ।

पुलिस उप निरीक्षकों एवं आरक्षियों को प्रशिक्षण के दौरान मानवाधिकारों से संबंधित विधानों एवं उनके हनन की रोकथाम की जानकारी देने के लिये 6 दिवसों के विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । प्रशिक्षण की विषय सामग्री परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 109–110 पर)

(मूल प्रश्नकर्ता श्री गोरखनाथ पाण्डेय के अनुपस्थित होने पर)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सशस्त्र बलों के जवानों को मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देने की योजना है और क्या प्रशिक्षण पाये हुए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इस प्रशिक्षण का पालन समय-समय पर करते हैं क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है, अगर नहीं करते हैं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

दल बहादुर जी, यह आपका काल्पनिक प्रश्न है । माननीय मंत्री जी का जो लिखित उत्तर है उसको आप देख लें ।

श्री रणधीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस या पी० ए० सी० के जवानों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी देने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उत्तर में ही बताया है कि प्रदेश में भर्ती होने वाले पुलिस या अन्य सशस्त्र बलों के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज तमाम शिकायतें मिलती हैं कि ट्रेनिंग के बाद सिपाही जो मानव अधिकार हैं, उनका उल्लंघन करते हैं । मानवाधिकारों के प्रशिक्षण के लिये सरकार ने जो व्यवस्था की है, वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

पाल जी, जो लिखित उत्तर है उसके परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर कौन-कौन से विषयों की जानकारी और प्रशिक्षण दिये जाते हैं, उसका वर्णन है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नकली नोटों के चलन को समाप्त करने हेतु बनाई गई कार्य योजना की जानकारी

*1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से नकली नोटों का चलन बढ़ रहा है ? यदि हां, तो इन गिरोहों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? प्रदेश में इस रवैये को समाप्त करने हेतु क्या कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं ।

प्रदेश में विगत चार वर्षों में नकली नोटों के चलन में कमी आयी है । पंजीकृत अभियोगों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	संख्या
1994	181
1995	118
1996	62
1997 (1-1-97 से 30-6-97 तक)	14

पृथक-पृथक अभियोगों में प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है । ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं जिससे प्रदेश में सुनियोजित तरीके से नकली नोटों का चलन बढ़ाने के षड्यंत्र अथवा इसमें किसी एक अपराधिक गिरोह का हाथ होने की पुष्टि होती हो ।

जाली करेन्सी नोट का कोई मामला प्रकाश में आने पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाती है तथा जाली करेन्सी नोटों के प्रचलन को रोकने के लिये सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप,

घटनाओं में लगातर कमी हो रही है । जनपदों को इस हेतु सतर्क कर दिया गया है कि ऐसे मामलों में विवेचना गहराई से की जाय ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मेरे प्रश्न में संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा जी, नहीं । उसी के उपरान्त माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि 1994 में 181, 1995 में 118, 1996 में 62 तथा 1997 में कुछ महीनों में 14 घटनायें नकली नोटों की प्रकाश में आयीं और मान्यवर, आगे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जाली करेन्सी नोटों को रोकने के लिये आपने कौन सी एजेन्सी बनायी है, क्या कोई कार्यदायी एजेन्सी बना रखी है, या केवल स्थानीय पुलिस को ही यह काम सौंप रखा है ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जाली नोटों के प्रचलन में आई० एस० आई० का भी हाथ है, और आप आई० एस० आई० को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, क्या इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया है, जहां इन जाली नोटों के प्रचलन में आई० एस० आई० का हाथ हो ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जाली नोटों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, उसके उत्तर में मैंने बताया है कि घट रहा है । एजेन्सी के संबंध में पूछा है कि कौन सी एजेन्सी बनायी है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि सभी जिलों के एस० एस० पी०, एस० पी० और लोकल इंटेलीजेंस को हमारी तरफ से परिपत्र गया है कि इस पर सतर्कता बरती जाय । ज्यादातर जो मामले प्रकाश में आये हैं, वह रिजर्व बैंक के थ्रू आये हैं । जब रिजर्व बैंक में गड्डियों में कोई जाली नोट निकलता है तो उसी के आधार पर एफ० आई० आर० करके छानबीन करायी जाती है । ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का काम बड़े पैमाने पर चल रहा हो । कभी 500 के 5 नोट, कभी 100 का एक, कभी 10 के 2 नोट मिले, ज्यादातर मामले रिजर्व बैंक के थ्रू ही संज्ञान में लिये जाते हैं । बड़े पैमाने पर इस तरह का कारोबार चल रहा है, ऐसा नहीं है ।

जहां तक आई० एस० आई० के हाथ होने का सवाल है, इस तरह का उनका कोई हाथ नहीं है न ही कोई मामला संज्ञान में आया है । इस तरह की छिटपुट घटनायें जानकारी में आई हैं, जैसे कभी देवरिया में, कभी देहरादून में एक दो नोट पाया गया, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, भारत-नेपाल सीमा पर महराजगंज जनपद तथा सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बहराइच बिल्कुल भारत-नेपाल सीमा से लगे हुए हैं । कई बार यह बात प्रकाश में आयी कि नेपाल इस तरह का कारोबार भारत में करा रहा है, कई मामले पुलिस ने पकड़े भी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, केवल ले देकर छोड़ दिया गया । अखबारों में भी इस तरह की चीजें आईं और आपके संज्ञान में भी आया होगा कि सुनियोजित तरीके से षड़यंत्र किया जा रहा है । केवल जाली नोट ही नहीं, अपितु घातक अस्त्र-शस्त्र, यूरेनियम तथा आर० डी० एक्स० भेजे जा रहे हैं और पुलिस इसको रोक पाने में नाकाम रही है, जिससे हमारे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है । दिल्ली में आर० डी० एक्स० पकड़ा गया, पकड़े गये व्यक्ति ने स्वयं बताया कि टास्क फोर्स बैरियर पर 500 रुपया घूस देकर आ गया । मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जाली नोटों का जाल बिछा हुआ है और कई बार अखबारों के माध्यम से यह आया है कि आई० एस० आई० के माध्यम से इसे चलाया जा रहा है, भारतवर्ष की अर्थ व्यवस्था को कमजोर करने के लिये मंत्री जी कहते है पूरे प्रदेश में चल रहा उसको भी स्वीकार करते हैं । देवरिया में, देहरादून, गाजियाबाद में पकड़े जा रहे हैं और, भारत सरकार रिजर्व बैंक की

गड्डियों में नकली नोट पाये जा रहे हैं, इस प्रकार गिरोह की सारी एजेन्सियां फैली हुई हैं, इसलिये इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही सरकार करेगी ?

सरहद पर आई० एस० आई० के क्रिया कलापों को रोकने के लिये क्या सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने जैसा कि अपने उत्तर में स्वीकार किया है और वर्षवार डाटा देकर स्वीकार किया है कि घटोत्तरी की ओर बढ़ रहे हैं। आई० एस० आई० की गतिविधियों के संबंध में कोई बात संज्ञान में नहीं आई।

जहां तक आई० एस० आई० के प्रश्न को जो यहां उठा था कि स्कूल का उद्घाटन किया गया तो जांच में इस तरह कोई उद्घाटन किया गया नहीं पाया गया है। इसलिये इन्डो–नेपाल बार्डर पर विशेष जोन का गठन किया है और वहां विशेष फोर्स लगाया है। मान्यवर, कहीं दो-चार नोट इस तरह बैंक के थ्रू संज्ञान में लाया गया है। बार्डर जोन में भी इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया।

श्री रामजग–

अध्यक्ष महोदय, जाली नोटों का प्रचलन यह समान्तर अर्थ व्यवस्था के तहत नोटों का प्रचलन चल रहा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो जायेगी। इसलिये क्या इन जाली नोटों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार कोई ऐसी योजना बनाने पर विचार करेगी जिससे जाली नोटों का प्रचलन रुक जाये ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि जाली नोटों का प्रचलन बढ़ नहीं रहा है बल्कि प्रभावी कार्यवाही से प्रचलन घट रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है जिसमें मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रचलन नहीं है, छापा मारने पर कोई रिकवरी नहीं हुई है। मंत्री जी दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक सूचित कर रहा है कि उसकी गड्डियों में फर्जी नोटों की उपस्थिति पाई जा रही है जिसके आधार पर एफ० आई० आर० करा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक स्वयं जब रिकवरी कर रहा है तो उसका संज्ञान में न लिया जाना दुःखद है। क्या मंत्री जी सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के लिये सघन अभियान उत्तर प्रदेश में चलाकर नकली नोटों का पर्दाफाश करेंगे और इसको रोकेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जैसा मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं और वर्षवार आंकड़ा देकर भी हमने अनुरोध किया है इस सरकार द्वारा कार्यवाही करने से यह संख्या घटी है और उस पर सरकार सजग है। इस संवेदनशील मामले को ध्यान में रखकर, और मैंने बताया कि एक बिन्दु जाली नोट का ही नहीं और तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखकर इन्डो-नेपाल बार्डर पर पुलिस की व्यवस्था की गयी है।

श्री दलबीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अलीगढ़ में 12 करोड़ रुपये के ट्रेवलिंग चेक और जाली नोट पकड़े गये हैं और यदि यह सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है तो क्या इसे मंगाने की व्यवस्था करेंगे और क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं अलीगढ़ की सूचना दे रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो इस साल 14 मुकदमें दर्ज हुए हैं इसमें अलीगढ़ का कोई मामला जाली नोट का नहीं दर्ज हुआ है और न ही जानकारी में है। यदि माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर सूचना दे रहे हैं तो मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं इसे मैं दिखवा लूंगा।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपने बताया कि अभी तक आर० बी० आई० के माध्यम से सूचना मिली है अब अलीगढ़ का एक गम्भीर मामला संदर्भित हुआ आप कह रहे हैं कि उस सूची में उनका नाम नहीं है तो यह शासन की कैसी सदाशयता है या कदाशयता कहूं कि मिलीभगत है और इस गम्भीर मामले को जिसे माननीय सदस्य ने संदर्भित किया व आपकी सूची में नहीं है इसके मायने शासन अकर्मण्य है, निष्क्रिय है। तो यह पैरलल करेन्सी नोट बन्द हो इसके लिये सरकार कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

इस तरह से कह देने से कि शासन अकर्मण्य है, कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो संख्या 181 थी वह संख्या 14 तक आ गयी है। यह शासन की उपलब्धि है इसलिये यह कहना ठीक नहीं है। अलीगढ़ की घटना के बारे में माननीय सदस्य ने बताया तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है फिर भी माननीय सदस्य जो बात नोटिस में लाये हैं उसका मैं संज्ञान ले रहा हूं। उसे मैं दिखवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अमर मणि–

तमाम घटनाओं का संज्ञान सरकार ले ही नहीं रही है। अलीगढ़ में 12 करोड़ के ट्रेवलिंग चेक और नकली नोट पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष–

यह किस तारीख की घटना है ?

श्री दलवीर सिंह–

यह दो महीने पहले की बात है, निश्चित तारीख नहीं पता है।

श्री मंगल सिंह–

करीब दो महीने पहले श्याम नगर में एस० एस० पी० ने छापा डाला था मुल्जिम पकड़े गये। मई के महीने की घटना है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस प्रश्न को इसलिये पूछा कि शासन का जो उत्तर आया है उसमें 14 की संख्या दी गई है 30 जून, 97 तक। अगर यह 30 जून के बाद की घटना है तो स्वाभाविक है कि इसका उत्तर में समावेश न हो। मंत्री जी ने इसका संज्ञान ले लिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा जो माननीय सदस्य की जो मौखिक सूचना है, उसका संज्ञान मैं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय अमर मणि जी ने बात कही है उसका भी संज्ञान ले लीजिये यह प्रदेश की अर्थ व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है । आप ने आरोप लगाया है कि पुलिस इसी कारण मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अलीगढ़ की बाबत दो माननीय सदस्यों ने कहा । विशेष रूप से सारे माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न संज्ञान में ला दिया । यह अलीगढ़ की घटना मई की है क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि और एक हफ्ते के अन्दर जांच रिपोर्ट पटल पर रखेंगे ?

डा० अशोक बाजपेयी–

यह अलीगढ़ की घटना 13 मई की है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर 13 मई की घटना है तो जो उत्तर दिया गया है 30 जून तक की स्थिति का इस घटना का समावेश उसमें क्यों नहीं किया गया है और इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अलीगढ़ की घटना की बाबत अगर माननीय सदस्य गांव तथा थाना भी बता देंगे तो और भी सुविधाजनक होगा । मान्यवर, जो भी माननीय सदस्य अलीगढ़ की इस घटना को संज्ञान में लाये हैं, इसकी जांच कराके, यदि जांच पूरी हो जाती है और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये । यदि इसकी जानकारी 12 तारीख तक शासन को प्राप्त हो गयी तो हम उसे सदन के पटल पर भी रख देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण यहीं पर समाप्त किया जाता है ।

तारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद के थाना इनायत नगर मिल्कीपुर में जनवरी, 96 से जनवरी, 97 तक दलित उत्पीड़न की अंकित घटनाओं एवं इन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री मित्रसेन यादव (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1996 से माह जनवरी, 1997 तक जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थाना–इनायत नगर मिल्कीपुर में दलित उत्पीड़न की कौन-कौनसी व कितनी घटनायें अंकित की गयी हैं ? उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? किस प्रकार की राहत एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही की गयी है ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रश्न अवधि के दौरान थाना इनायत नगर मिल्कीपुर में दलित उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :—

(1) बल्वा	11
(2) छेड़खानी	01
(3) आगजनी	01
(4) अन्य भा० द० वि०	08

कुल पंजीकृत किये गये 22 अभियोगों की विवेचना की गयी, इनमें से 5 गलत पाये गये और एक अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी । 16 अभियोगों में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु समाज

कल्याण विभाग फैजाबाद को संस्तुति भेजी गयी । इसमें से 7 अभियोगों में आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है । शेष 9 अभियोगों में अभी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई । सुरक्षा हेतु थाना स्तर से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों के पद की सीधी भर्ती पर रोक लगाकर सम्पूर्ण पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग

*2–श्री नारायण राम दास–

क्या श्रम मंत्री का जानकारी है कि सेवायोजन अधिकारियों की प्रोन्नति क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी में होती है ? क्या यह सही है कि ये पद पूरे प्रदेश में बहुत कम होने के बावजूद भी इसमें सीधी भर्ती का प्राविधान है जिसके कारण प्रोन्नति के अवसर कम हो जाते हैं और अधिकांश सेवायोजन अधिकारी अपने पद से ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाकर उसके सम्पूर्ण पद प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां, स्थायी जिला सेवायोजन अधिकारियों/सहायक प्रवर्तन अधिकारियों की प्रोन्नति क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों के पद पर होती है ।

जी नहीं, राज्य सेवायोजन सेवा श्रेणी–2 में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है जो पर्याप्त है ।

उ० प्र० राज्य सेवायोजन सेवा नियमावली, 1980 में निहित प्राविधानों के अनुसार क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों के पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों का प्राविधान है । क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारियों के पदों में सीधी भर्ती पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नारायण राम दास–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी और सेवायोजन अधिकारी एक ही कैडर के अधिकारी हैं यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी को सेवायोजन अधिकारी से ऊपर रखा गया है और इसके कारण क्या हैं ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी एक राजपत्रित पद है और जिसका वेतनमान 2200–4000 है और सेवायोजन अधिकारी का 2000–3500 है इसलिए निश्चित रूप से क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी सहायक सेवायोजन अधिकारी से ऊपर हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के मात्र 13 पद हैं ऐसी स्थिति में कई सेवायोजन अधिकारी इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं इसलिये सहायक सेवायोजन अधिकारी को कम से कम जीवन में एक लाभ प्रोन्नति का मिल जाये, क्या क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के समस्त पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति के आधार पर करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा तो है कि पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा की जाती है । पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने की व्यवस्था है।

डा० अशोक बजपेयी–

मान्यवर, क्या सरकार सारे पद प्रोन्नति से भरे जाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

मान्यवर, क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के कुल 31 पद हैं । 12 मण्डल स्तर पर, 10 विकलांगों के लिये विशष सेवायोजन कार्यालय के तथा 3 पर्वतीय क्षेत्रों में व 6 पद मुख्यालय में हैं । जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप प्रोन्नति.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी ने यह पूछा है कि क्या सारे पद प्रोन्नति से भरे जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

सरकार इस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 1996-97 में गोयल शीतगृह, चिनहट, लखनऊ में सड़ गये आलू का किसानों को मुआवजा दिये जाने की जानकारी

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष 1996-97 में गोयल शीतगृह चिनहट, जनपद लखनऊ में कृषकों का आलू प्रबन्धक की लापरवाही से सड़ गया था ? यदि हां, तो क्या सभी कृषकों को उनकी क्षति का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त शीतगृह मालिक का वर्ष 1997-98 का नवीनीकरण प्रमाण-पत्र रोकने पर विचार करेंगे ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाइसेन्स नवीनीकरण जनहित में रोकना उचित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि कितना किसानों का आलू था और कितना मुआवजा दिया गया ? क्या 25 प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं दिया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो समझौता हुआ था वह 280 रुपया प्रति बोरे के हिसाब से हुआ था उसमें से 170 रुपये शीतगृह स्वामी वहन कर रहा हैं और सारे नकद का भुगतान किया जा चुका है । शेष बीमा कम्पनी द्वारा दिया जाना तया हुआ था । 29-10-96 को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार सभी कृषकों का भुगतान किया जा चुका है तथा जो किसान रह गये हैं उनको भी इसी विज्ञप्ति में कहा गया था कि वे अपना भुगतान ले लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि कुछ किसान ऐसे रह गये हैं जिनका भुगतान अभी नहीं हो पाया है तो क्या माननीय मंत्री जी उसका भुगतान करा देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह सूचना भिजवा दें, हम उसका भुगतान करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर समाप्त ।

स्व० ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या में गिरफ्तार अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक मुकदमों की जानकारी

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व राजस्व मंत्री, मा० श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में गिरफ्तार अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान उर्फ खलीफा पर इससे पूर्व किन-किन थानों में कौन-कौन से अपराध पंजीकृत हुए थे तथा उनके साथ और कौन-कौन अभियुक्त थे ? क्या यह सही है कि उपदेश सिंह सजायाफ्ता हैं ? यदि हां, तो उन्हें किस केस में कब और कितनी सजा हुई थी ? क्या यह सही है कि उक्त अपराधी के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या 146/91 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना बेवर, जनपद मैनपुरी को सरकार द्वारा वापस लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न के संबंध में विवरण निम्नवत् है :––

(1) अ०सं० 187/74 धारा 307 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह ।

(2) अप०सं० 62/75 धारा 147/323 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह, नरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह थे ।

(3) अ०सं० 125/75 धारा 392 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह, श्रीपाल जाटव, धूरी धोबी थे ।

(4) अ०सं० 133/75 धारा 147-148/323 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह, सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, कमल सिंह, संतोष थे ।

(5) अ०सं० 1135/75 धारा 394 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, पाती राम, धूरी, नरेन्द्र थे ।

(6) अ०सं० 57/80 धारा 302 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह, पी० टी० आई० कौशलेन्द्र एवं फौजी उर्फ शिववीर थे ।

(7) अ०सं० 58/80 धारा 279/337 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(8) अ०सं० 335/81 धारा 357/504/506 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह थे ।

(9) अ०सं० 169/82 धारा 147/323/342 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त शिवराज सिंह, उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, राजेन्द्र थे ।

(10) अ०सं० 179/82 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा ।

(11) अ०सं० 183/82 धारा 188 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, सत्य प्रकाश, गोविन्द, देवेन्द्र अशोक, दयानन्द, दिनेश, खरगा थे ।

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

(12) अ०सं० 262/82 धारा 394 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, संतोष, शिववीर उर्फ फौजी, दयाराम थे ।

(13) अ०सं० 69/84 धारा 394 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, बबलू उर्फ जयगोविन्द थे ।

(14) अ०सं० 111/84 धारा 3 गुण्डा ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(15) अ०सं० 139/84 धारा 420/468/464 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा, रमेश उर्फ लालराम थे ।

(16) अ०सं० 149/84 धारा 420/468 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा थे ।

(17) अ०सं० 298/84 धारा 136 (2) लो० प्र० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह, ओंकार थे।

(18) अ०सं० 184/84 धारा 304 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा थे ।

(19) अ०सं० 297/84 धारा 136 लो० प्र० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह थे ।

(20) अ०सं० 35/85 धारा 420/406 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(21) अ०सं० 24/86 धारा 2 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(22) अ०सं० 211/86 धारा एन० एस० ए०, थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(23) अ०सं० 304/86 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, शिवराम, जवाहर, शिवराज सिंह तथा श्रीचन्द्र, गुड्डू थे ।

(24) अ०सं० 305/86 धारा 25/20 आर्म्स ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(25) अ०सं० 4/87 धारा 302 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, सुरेन्द्र सिंह, संतोष तथा देवेन्द्र थे ।

(26) अ०सं० 210/87 धारा 3/4 गुण्डा ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, अनिल कुमार, जनेर सिंह, भूप सिंह, सुरेश, जयगोविन्द, नौबत सिंह, सत्य प्रकाश, जयपाल सिंह, नरायन तथा नरेन्द्र थे ।

(27) अ०सं० 211/87 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(28) अ०सं० 252/89 धारा 135/136 लो० प्र० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह, सुरेन्द्र सिंह, संतोष सिंह, भलुआ, प्रेमपाल सिंह, मुनेश एवं श्रीचन्द्र थे ।

(29) अ०सं० 253/89 धारा 135/136 लो० प्र० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह, सुरेन्द्र सिंह, मुनेश तथा प्रेमपाल सिंह थे ।

(30) अ०सं० 154/90 धारा 3/4 जुआ ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, प्रेमपाल, राम पाल, संतोष, उग्रसेन तथा ओमप्रकाश थे ।

(31) अ०सं० 155/90 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(32) अ०सं० 153/90 धारा 392 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, रामपाल तथा राजवीर थे ।

(33) अ०सं० 124/901 धारा 352/504/506 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा, शिवराज सिंह, मुनेश तथा संतोष थे ।

(34) अ०सं० 146/91 धारा गैंगेस्टर ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, संतोष, मुनेश, शिवराज सिंह, संतोष, प्रेमपाल, श्रीचन्द्र, देवेन्द्र तथा सुरेन्द्र सिंह थे ।

(35) अ० सं० 211/91 धारा 110 दं० प्र० सं० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(36) अ० सं० 505/93 धारा 2 यू० पी० गुण्डा ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(37) अ० सं० 73/94 धारा 506 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह तथा जयपाल सिंह थे ।

(38) अ० सं० 42/95 धारा 395 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, जिरेश, ब्रजेन्द्र सिंह, टीटू, पिस्सू, जयगोविन्द, महेश, फौजी, भूरा उर्फ टंगा, नरायन, रामसेवक, राकेश, बृजेश कुमार, सुशील, रमेश तथा राजू थे ।

(39) अ०सं० 457/95 धारा 3 यू०पी० गुण्डा ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(40) अ० सं० 139/96 धारा 435 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह, मुनेश, भल्लू, देवेन्द्र उर्फ करु, टीटू, पावन तथा संतोष उर्फ भूरा थे ।

(41) अ० सं० 378/96 धारा गैंगस्टर ऐक्ट थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह उर्फ खलीफा थे ।

(42) अ०सं० 312/80 धारा 147/352/504/506 भा० दं० वि० थाना बेबर, मैनपुरी में अभियुक्त बाबूराम, महेश चन्द्र, शिवराज सिंह, उपदेश सिंह, रक्षपाल, श्याम सिंह तथा फौजी थे ।

(43) अ० सं० 34/88 धारा 147/148/149/427/307 भा० दं० वि० थाना भोगांव, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, संतोष, सुरेन्द्र, मुनेश, उमेश सिंह, करुआ, गजेन्द्र सिंह, भल्लू, जयपाल, अरविन्द, बबलू, जोती, वेदराम, हाकिम तथा मुखलाल थे ।

(44) अ० सं० 128/90 धारा 364 भा० दं० वि० थाना भोगांव, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, मुनेश, संतोष तथा प्रेमपाल थे ।

(45) अ० सं० 479/94 धारा 147/148/149/307/436 भा० दं० वि० थाना भोगांव, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, महेश फौजी, जय गोविन्द, नरायन कुमार, राकेश, राजेश कुमार, रामसेवक, सुशील, राकेश, राजू, शिवराज, बिजेन्द्र, टीटू, पिंटू तथा देवेन्द्र थे ।

(46) अ० सं० 153 ए/96 धारा 147/148/149/302 भा० दं० वि० थाना भोगांव, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, शिवराज सिंह, भल्लू, सुशील गुप्ता, जयगोविन्द, राजेन्द्र, उर्फ पप्पू, पंकज चौहान, रज्जन उर्फ राजेन्द्र, जनेश, लालमन, ओमपाल, महेश सिंह, रामसेवक, प्रेमपाल सिंह, टीटू, मुनेश सिंह, देवेन्द्र उर्फ करु, संतोष, गजेन्द्र तथा प्रमोद थे ।

(47) अ०सं० 70ए/96 धारा 147/148/149/302 भा० दं० वि० थाना कुर्रा, मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, नरायन, अजयपाल, जगन्नाथ, राजू, रामशरन, हरिराज सिंह व 6 अन्य थे।

(48) अ०सं० 225/90 धारा 364 भा० दं० वि० थाना कोतवाली मैनपुरी में अभियुक्त उपदेश सिंह, मुनेश सिंह, संतोष उर्फ भूरा, प्रेमपाल, एक व्यक्ति अजनवी थे ।

उपदेश सिंह उर्फ खलीफा को किसी केस में सजा नहीं हुई है ।

उक्त प्रकरण शासन के न्याय विभाग के स्तर से वापस लिया गया है और इस संबंध में न्याय विभाग से पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

प्रदेश में चल रही निजी लाटरियों पर रोक लगाये जाने की मांग

*5–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रही निजी लाटरियों पर सरकार पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो प्रदेश में निजी लाटरी पर रोक लगाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत प्रदेश में सभी निजी लाटरियां प्रतिबन्धित हैं ।

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को नगरीय सहकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि दिये जाने हेतु आदेश किये जाने की मांग

*6–डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री रंग नाथ मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1986 में राज्य सरकारी कर्मचारियों हेतु गठित राज्य कर्मचारी वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निबन्धक सहकारी, समितियां, उ० प्र० ने सहकारी समिति अधिनियम की धारा 120 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय सहकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन, महंगाई एवं मकान भत्तों में 1996 के पूर्व स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार लागू वेतन, महंगाई भत्ते तथा आवास भत्तों में कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो यह संशोधन क्या है ? यदि नहीं, तो क्या शासन निबंधक, सहकारी समितियां, उ० प्र० को वेतनमान इत्यादि के संशोधन हेतु निर्देशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निबंधक, सहकारी समितियां प्रश्नगत वेतन एवं भत्तों के निर्धारण हेतु सक्षम हैं एवं उनके द्वारा औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दिनांक 21-7-97 को ता० प्र० सं० 9 द्वारा उत्तरित]

हिंडन एयर पोर्ट, गाजियाबाद के आस पास के क्षेत्रों में बूचड़खाना एवं मांस की बिक्री पर रोक लगाये जाने की मांग

*8–श्री रूप चौधरी–

क्या नगरिक उड्डयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोनी, पसोंड़ा व शहीदनगर कस्बों (गाजियाबाद) के समीप भारतीय वायुसेना का हिण्डन एयर पोर्ट होने के कारण इस क्षेत्र में एयर क्राफ्ट ऐक्ट लागू होने से यहां बूचड़खाना व मांस की बिक्री पर रोक है ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में चल रहे अवैध बूचड़खानों व मांस की बिक्री की वजह से भारतीय वायुसेना के तीन लड़ाकू विमान पक्षियों से टकराकर गिर जाने से देश को करोड़ों रुपयों की क्षति हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

एयर क्राफ्ट रूल्स, 1937 के प्राविधानों के अधीन प्रश्नगत क्षेत्र में पशुबध एवं खाल उतारने पर प्रतिबंध है ।

वर्ष 1994 और 1995 में थाना लोनी क्षेत्र में वायुसेना के दो विमान पक्षियों से टकराकर गिरे थे । उस समय लोनी, शहीदनगर एवं पसोंड़ा में अवैध रूप से पशुवध किया जा रहा था जिसके लिये दस अभियोग पंजीकृत किये गये ।

हिंडन एयरपोर्ट की दस किलोमीटर की परिधि में पशुबध, खाल उतारे जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है ।

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवा में अग्निशमन दस्ता नियुक्त किये जाने की मांग

*9–श्री अमर मणि–

क्या सरकार नौतनवा तहसील मुख्यालय, जनपद महराजगंज पर अग्निशमन दस्ता नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में हर वर्ष आग से व्यापक धन जन की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षति को रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

नौतनवा तहसील मुख्यालय, जनपद महराजगंज में अग्निशमन दस्ता स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्राप्त हुआ है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों में हुई अग्निकाण्ड की संख्या एवं उसमें हुई क्षति व्यापक नहीं रही है ।

नौतनवा तहसील में अग्निकाण्ड की संख्या काफी कम रही है फिर भी वहां पर ग्रीष्म ऋतु के लिये वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 में अंशकालिक अग्निशमन व्यवस्था की गयी है और यह अंशकालिक व्यवस्था आगे भी प्रतिवर्ष बनी रहेगी ।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूर्णरूपेण अग्निशमन दस्ता स्थापित करना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार को नया जेल कानून बनाने से सम्बन्धित प्रेषित नोटिस की जानकारी

*10–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नया जेल कानून बनाने संबंधी कोई नोटिस राज्य सरकार को मा० उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो वह नोटिस क्या है ?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)–

जी हां ।

नोटिस के साथ रिट याचिका (सी) संख्या–12223 /1984 राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 23-12-96 की प्रति प्राप्त हुई थी । निर्णय में कुल दस बिन्दुओं पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें जेल कानून सुधार के संबंध में बिन्दु संख्या–4 निम्नवत् है :––

सौ वर्ष पुराने भारतीय कारागार अधिनियम, 1894 के स्थान पर नये अधिनियम की संरचना, मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार की गयी रूप रेखा के आधार पर की जाय ।

इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में प्रति शपथ-पत्र दिनांक 26-3-97 को दाखिल किया जा चुका है ।

*11–श्री दल बहादुर कोरी–

[चौथे मंगल में ता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी समितियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल घटाये जाने से सम्बन्धित शासन के प्रस्ताव की जानकारी

*12–श्री मस्त राम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी समितियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल पुनः पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

*13–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[पांचवें मंगल में ता० प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश सरकार द्वारा आलू क्रय न किये जाने के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*14–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 22 मार्च, 1997 को उ० प्र० के आलू किसानों के आलू को 130/- प्रति क्विंटल सरकार द्वारा खरीदने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने पूरे प्रदेश में कितने आलू क्रय केन्द्र खोले तथा उन पर कितना आलू किसानों का खरीदा गया ? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा आलू न खरीदने से प्रदेश के किसानों का लाखों क्विंटल आलू सड़ गया ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रदेश में 28 जनपदों में 70 क्रय केन्द्र खोले गये तथा इन क्रय केन्द्रों के माध्यम से 844.815 टन आलू किसानों का क्रय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

*116–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

[चौथे सोम के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के परगना लोहाघाट में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग

1–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के परगना लोहाघाट में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुंसिफ कोर्ट कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भवन की उपलब्धता के विषय में राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । तदोपरान्त वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को दिये गये आश्वासनों पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की मांग

2–श्री मस्तराम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3-4-1997 को उनके द्वारा सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन उ० प्र० के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता के बाद सरकारीकरण, नयी भर्तियों पर रोक का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निबंधक, सहकारिता द्वारा सहकारी संस्था के सामान्य निकाय की बैठकों में प्रतिनिधियों को उपहार न दिये जाने के आदेश का अनुपालन

3–श्री मस्तराम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या निबन्धक, सहकारिता ने सहकारी संस्था के सामान्य निकाय की बैठकों में प्रतिनिधियों को उपहार वितरण पर रोक लगायी थी ? यदि हां, तो कितनी शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों ने रोक का पालन नहीं किया ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां, लेकिन कालान्तर में निबन्धक सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ ने उन सहकारी समितियों, जो लाभ पर हैं, को कतिपय शर्तों तथा प्राविधानों के अधीन उपहार वितरण की अनुमति प्रदान की थी ।

शीर्ष बैंकों एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्ध का पालन किये जाने के बिन्दु पर विशेष सम्परीक्षा कराये जाने का निर्णय किया गया है । जिसमें पूरी स्थिति स्पष्ट होगी ।

प्रदेश की पैक्स समितियों में बन्द ऋण वितरण को पुनः चालू कराये जाने की मांग

4–श्री मस्तराम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन पैक्स समितियों में भारी भ्रष्टाचार के चलते ऋण वितरण बन्द है क्या उन समितियों से गबन, अम्बैलेन्स की धनराशि घटाकर नवीन वसूली लक्ष्य निर्धारित कर ऋण वितरण आरम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यदि समितियों द्वारा जिला सहकारी बैंकों से लिया गया पूरा ऋण वापस नहीं किया जाता है तो इससे जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक क्षमता प्रभावित होगी ।

पैक्स समितियों के आंकिक वर्ग के सेवा नियम, प्रोन्नति एवं सरकारीकरण के संबंध में कथित विचाराधीन प्रस्ताव

5–श्री मस्तराम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि पैक्स समितियों के आंकिक वर्ग के सेवानियम, प्रोन्नति एवं सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पैक्स समितियों के आंकिक न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न सहकारी कृषि ऋण समितियों के कर्मचारी हैं । अतः इनके सेवा नियम केन्द्रीय रूप से बनाने का औचित्य नहीं है ।

पैक्स समितियों में स्थानान्तरण नीति के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी

6–श्री मस्तराम–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि पैक्स समितियों के सचिवों का जनपद के बाहर एवं अन्य कर्मचारियों का तहसील स्तर पर स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

पैक्स के सचिवों का सम्भाग के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण की नीति का प्रस्ताव विचाराधीन है । अन्य कर्मचारियों के संबंध में प्रश्नगत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विचाराधीन प्रस्ताव पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

समिति के अन्य कर्मचारी केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत नहीं आते हैं । अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेदकरनगर के ग्राम दानूपुर निवासी श्री राम सहाय धुरिया द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

7–श्री राजधारी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक शिकायती-पत्र दिनांक 13-6-97 को श्री राम सहाय धुरिया, ग्राम–दानूपुर, कोतवाली अकबरपुर जिला–अम्बेदकर नगर जो दलित जाति का है, प्रमुख सचिव गृह उ०प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर शासन का आदेश सं० 6024/पीजीएस/97 दिनांक 13-6-97 आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु जारी हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवश्यक कार्यवाही न करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

सन्दर्भित प्रकरण में दोनों पक्ष आपस में पंचायत दिनांक 29-6-97 को सुलह कर लिए है । इस प्रकार विवाह का निराकरण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम–खारी डीहा के निवासी सुबास को केले की खेती विषयक दिया गया अनुदान

8–श्री धनराज यादव–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा उस्का विकास खण्ड के ग्राम–खारी डीहा के सुबास पुत्र जयराम के नाम से केले की खेती करने विषयक, अनुदान 1994 तथा 1995 के वर्ष में प्रथम बार चेक नं०–537182 द्वारा 4251 रु० 10 पै० तथा दूसरी बार चेक नं० 537390 द्वारा 1850 रु० दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नगत जनपद विकास खण्ड तथा ग्राम में सुबाह पुत्र जैराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत वर्ष में सिद्धार्थनगर जनपद में जितने केला कृषकों को अनुदान दिया गया है उसकी सूची प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करते हुये जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम सभा खारी डीहा, विकास खण्ड–उस्का के श्री सुबास पुत्र जयराम को केले की खेती के लिए वर्ष 1994-95 में प्रथम बार चेक संख्या–537182 द्वारा रु० 4291.10 (न कि रु० 4251.10) तथा दूसरी बार चेक संख्या–537390 द्वारा रु० 1850.00 का अनुदान दिया गया ।

जी नहीं ।

अनुदान प्राप्त करने वाले कृषकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है किन्तु जिलाधिकारी से जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के इनामी, फरार अपराधियों की संख्या एवं उनके पकड़े जाने के सम्बन्ध में जानकारी

9–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में इनामी दस्यु फरार अपराधियों की संख्या क्या है ? उनको न पकड़े जाने के कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जनपद मथुरा में इनाम घोषित फरार अपराधियों की संख्या 60 है ।

उनकी गिरफ्तारी हेतु सभी सम्भावित पर दबिशें दिये जाने के बाद भी उपलब्ध न होने के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में फायर स्टेशन की स्थापना की मांग

10–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी तहसील–हैदरगढ़ में फायर स्टेशन वर्ष 1991 से प्रस्तावित एवं स्वीकृत हैं, जिसका निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या यह निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, किन्तु स्वीकृति नहीं है, क्योंकि फायर स्टेशन की स्थापना हेतु वहां भूखण्ड उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह की चिमनियों से निकलने वाले धुएं आदि प्रदूषण की रोकथाम हेतु संयंत्र लगाए जाने की मांग

11–श्री दलबीर सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और कोयले से आस-पास के क्षेत्रों में हो रहे भारी प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण निरोधक संयंत्र लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह 2×50 मेगावाट एवं 2×55 मेगावाट की चार इकाइयों से सम्बद्ध वायलर भूतल से 100 मीटर ऊंची एक चिमनी से जुड़े हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट कलक्टर की स्थापना की गई है। सी–पावर स्टेशन की 2×60 मेगावाट एवं 110 मेगावाट की इकाई से सम्बद्ध ब्वायलर भूतल से 110 मीटर ऊंची चिमनी से जुड़े हैं तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट कलक्टर की व्यवस्था की गई है। परन्तु स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्सर्जन को शुद्ध करने में सक्षम नहीं है जिसके कारण वायु प्रदूषण की समस्या विद्यमान है।

उद्योग की वर्ष 1997 हेतु वायु अधिनियम, 1931 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति बोर्ड द्वारा मई, 1997 में अस्वीकार की गई है।

इसके अतिरिक्त उद्योग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत अपने पत्रांक लीगल/320(14)96/10779, दिनांक 14 जून, 1996 द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया था जिसके अनुक्रम में, तत्पश्चात् उद्योग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक बी–33014/7/90/पीसी–11/13258, दिनांक 9 अगस्त, 1996 द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये हैं कि ई० एस० पी० की स्थापना हेतु समयबद्ध कार्यक्रम एवं कम राख वाले कोयले के ईंधन के प्रयोग हेतु परिवर्तन करने का कार्यक्रम जमा करें। इसके अतिरिक्त राख के सीमेन्ट, ईंट व बिल्डिंग ब्लाक बनाने में प्रयोग हेतु प्रस्ताव जमा करें। खाली पड़े ऐश पाण्ड में 15 सेमी० गहराई तक मिट्टी भरावें तथा उत्सर्जन की नियमित मानीटरिंग की व्यवस्था करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधिक घटनाओं एवं उन पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 एवं मई, 1995 तक और जून, 1995 से सितम्बर, 1995 तक एवं अक्टूबर, 1995 से 20 मार्च, 1997 तक और 21 मार्च, 1997 से जून, 1997 तक ऐसी कितनी अपराधिक घटनायें अ० जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जनपद आगरा एवं जनपद फिरोजाबाद में पंजीकृत हुई और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

सुश्री मायावती–

अनु० जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जनपद आगरा तथा जनपद

फिरोजाबाद में आलोच्य अवधि में पंजीकृत अभियोगों और उनमें की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

जनपद आगरा

वर्ष 1993 में 180 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 162 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 17 में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई व 1 अभियोग विवेचनाधीन है ।

1994 में 198 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 177 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 21 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 1-1-95 से 31 मई, 1995 की अवधि में 90 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 85 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 5 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 01 जून, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक की अवधि में 144 अभियोग पंजीकृत किये गये । इनमें से 134 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 9 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई व 1 अभियोग विवेचनाधीन है । दिनांक 01 अक्टूबर, 1995 से 20 मार्च, 1997 तक की अवधि में कुल 237 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 212 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 25 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 21 मार्च, 1997 से 30 जून, 1997 की अवधि में 50 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 47 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 3 अभियोग विवेचनाधीन हैं ।

जनपद फिरोजाबाद

वर्ष 1993 में 161 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 135 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 26 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । वर्ष 1994 में 203 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 172 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 31 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 1-1-95 से 31 मई, 1995 की अवधि में 66 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 58 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 8 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 1 जून, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 की अवधि में 145 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 140 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 5 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 1 अक्टूबर, 1995 से 20 मार्च, 1997 की अवधि में 212 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 197 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 15 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । दिनांक 21 मार्च, 1997 से 30 जून, 1997 की अवधि में 58 अभियोग पंजीकृत हुए । इनमें से 48 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये तथा 6 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई व 4 अभियोग विवेचनाधीन है ।

13–श्री रंगनाथ मिश्र–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के विधायक के विरुद्ध अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमें की जानकारी

14–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के विधायक पर उसी जिले के ग्राम गुलरिहा, थाना मौरावां के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने मुकदमा कायम करवाया था ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें की अद्यतन क्या स्थिति है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विवेचना समाप्त कर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 23-7-97 को न्यायालय में प्रेषित की गई ।

जनपद गोण्डा के कस्बा नवाबगंज में शुगर मिल के कारण फैल रहे प्रदूषण को रोके जाने की मांग

15–श्री विनोद कुमार सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज में शुगर मिल स्थित होने के कारण नवाबगंज कस्बे में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो सरकार प्रदूषण रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा के नवाबगंज कस्बे में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट नवाबगंज से निस्तारित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । लेकिन शुद्धिकरण संयंत्र का संचालन उचित रूप से न होने के कारण जल प्रदूषण हो रहा है ।

जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1997 व 23 जुलाई, 1997 को उद्योग को निर्देश/नोटिस जारी किया गया है ।

मा० उच्च न्यायालय में कतिपय पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की मांग

श्री राम नक्षत्र–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थाई अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता लोक अभियोजन, अपर लोक अभियोजन के पदों में कौन सा पद अनुसूचित जाति द्वारा भरा गया है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त पदों में से अनुसूचित जाति द्वारा कोई पद भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इन पदों में से अपर लोक अभियोजक (अपर शासकीय अधिवक्ता) के तीन पदों पर अनुसूचित जाति के अधिवक्ता कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973 में पुलिस के कर्मचारी राम अशीष राय के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग

17–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सन् 1973 में उ० प्र० के पुलिस कर्मचारी राम अशीष राय एल० आई० यू० लखनऊ पर थाना महानगर और हसनगंज लखनऊ में मुकदमा अपराध धारा 147/148/426 आई० पी० सी० और 43 (एस) डी० आई० आर० लगा था जो सक्षम न्यायालय ए० सी० जी० एम–8 और ए० सी० जी० एम–3 के सक्षम विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उन मुकदमें को उठाने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ?

सुश्री मायावती–

संदर्भगत पुलिस कर्मी (सही नाम राम अशीष राय) के विरुद्ध थाना–महानगर, जनपद–लखनऊ में मु०अ०सं० 242/73 अन्तर्गत धारा 147/148/149/426 भा० द० वि० एवं 43 (1) व 5डी० आई० आर० 1971, दि पुलिस फोर्सेज रिस्ट्रिक्शन आफ राइट्स एक्ट 1966 पुलिस इन्साइटमेन्ट टु डिसअफेक्शन एक्ट, स्पेशल सी० जे० एम०, सी० बी० आई के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें उक्त अभियुक्त के

विरुद्ध गैरजमानती वारन्ट जारी हुआ है । सुनवाई की तिथि 1-8-97 निर्धारित है । लखनऊ स्थित थाना–हसनगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 316/73 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149/426 भा०द०वि० जे० एम० प्रथम, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई की अगली तिथि–7-8-97 निर्धारित है ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद भदोही स्थित इण्डियन कार्गो कारपोरेशन की अपहृत ट्रक की बरामदगी की सूचना न देने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि गोपीगंज जनपद भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र इण्डियन कार्गो कार्पोरेशन फर्म की ट्रक नं०–23 एम० पी० डी० 1691 जिसका कन्डक्टर (खलासी) एक बड़े गैंग गिरोह से संबंधित है, ट्रक लेकर भाग गया ? क्या यह सही है कि उक्त की प्राथमिकी गोपीगंज थाने में 13-6-97 को लिखायी गयी थी ? क्या उक्त ट्रक चन्दवक थाने जौनपुर में 14-6-97 को पकड़ी गई एवं कन्डक्टर भी पकड़ा गया क्या इसकी सूचना उक्त फर्म के मालिक को नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इंडियन कार्गो कार्पोरेशन के मुनीम द्वारा दिनांक 13-6-97 को दी गयी सूचना के अनुसार कार्पोरेशन का खलासी दिनांक 13-7-97 को कम्पनी का ट्रक नं०–एम० पी० 23 डी–1691 लेकर भाग गया था ।

प्रकरण की प्राथमिकी दिनांक 13-7-97 को थाना गोपीगंज में दर्ज की गयी । उक्त ट्रक दिनांक 19-6-97 को थाना चन्दवक जौनपुर पुलिस द्वारा बरामद किया गया ।

ट्रक बरामदगी सूचना ट्रक मालिक श्री रामेश्वर नाथ पाण्डेय को दी गयी तथा दिनांक 19-6-97 को उन्हें ट्रक सुपुर्द कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि० लखनऊ में कामदारों की भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जानकारी

19–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि० लखनऊ के अधीन कार्यरत विभिन्न सहकारी संस्थाओं में कामदारों की भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो कितने पदों पर और भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन पदों की भर्ती हेतु कितने आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि तक अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों व सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से प्राप्त हो चुके हैं और उनमें कितने वैध एवं अवैध हैं ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

आरक्षित वर्ग के 150 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया द्वारा भर्ती की कार्यवाही की जा रही है ।

कुल 13,310 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10926 आवेदन पत्र वैध पाये गये तथा 2,384 आवेदन पत्र अवैध पाये गये हैं । वैध पाये गये आवेदन पत्रों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के 6,197 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के 126 तथा पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के 4600 आवेदन

प्रत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि भर्ती आरक्षित वर्ग के पदों के सापेक्ष है, अतएव सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के सभी थाना क्षेत्रों में मार्च, 97 से जून 97 तक की अवधि में दर्ज अभियोगों की जानकारी

20–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बहराइच में सभी थाना क्षेत्रों में मार्च, 1997 से जून, 1997 तक कितने अभियोग दर्ज किये गये हैं और कितनों पर रासुका लगाया गया है ? कत्ल, डकैती की घटनाओं की संख्या कितनी है ?

सुश्री मायावती–

जनपद बहराइच के सभी थाना क्षेत्रों में प्रश्नगत अवधि के दौरान कुल 389 अभियोग दर्ज किये गये हैं।

04 पर रासुका लगाया गया है।

कत्ल की 17 एवं डकैती की 02 घटनाएं हुई है।

जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या के चैत रामनवमी मेले में वर्ष 1995 में राजद्वार दीवार दुर्घटना काण्ड के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

21–श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि फैजाबाद जनपद के अयोध्या में चैत रामनवमी मेला वर्ष 1995 के दिन हुई राजद्वार दीवारल दुर्घटना काण्ड की मजिस्ट्रेटी जांच परगनाधिकारी, श्री अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

परगना मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी मजिस्ट्रीरियल जांच में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै०क्षे०) उ० प्र० के सहायक उद्यान निरीक्षक श्री मधुसूदन सिंह एवं तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय उद्यान फैजाबाद भी विजयपाल सिंह तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के श्री देवेन्द्र सिंह व श्री मुहम्मद मेंहदी रिजवी, सहायक अभियन्ता एवं श्री महेन्द्र कुमार सिंह अवर अभियन्ता को प्रथम दृष्ट्या दोषी होना इंगित किया गया है।

मजिस्ट्रीरियल जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त अभिकथित दीवाल दुर्घटना के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै०क्षे०), उ० प्र० के सहायक उद्यान निरीक्षक, श्री मधुसूदन सिंह एवं तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद श्री विजय पाल सिंह लापरवाही बरतने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। अतः शासनादेश संख्या–1135/अट्ठावन–1-97, दिनांक 31-3-1997 के द्वारा इन दोनों कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का आदेश प्रसारित किया जा चुका है। अनुशासनिक जांच अभी चल रही है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में कृत कार्यवाही की सूचना संबंधित विभाग द्वारा एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के थाना असोहा में नियुक्त पुलिसजनों के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्रों पर कृत कार्यवाही

22-श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उन्नाव जनपद में असोहा थाने की पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करने दलितों को सताने/थाने में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी कितने शिकायती-पत्र कैलेन्डर वर्ष 1997 के माह फरवरी से मई 30 तक डी० आई० जी० लखनऊ रेंज व एस० पी० उन्नाव को प्राप्त हुये हैं ? इन पत्रों की जांच किन अधिकारियों ने की है ? क्या प्रशासनिक आधार पर किन्हीं एस० ई० का स्थानान्तरण भी किया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण के बावजूद कितने दिन तक उक्त दोषी एस० ई० को उसी थाने में रखा गया है ?

सुश्री मायावती–

आलोच्य अवधि में 4 प्रार्थना-पत्र डी० आई० जी० लखनऊ रेंज से तथा 7 प्रार्थना-पत्र एस० पी० उन्नाव को प्राप्त हुए ।

उक्त प्राप्त 11 शिकायती-पत्रों में से 7 पत्रों पर जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा उन्नाव द्वारा व 4 शिकायती-पत्रों पर जांच प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ उन्नाव द्वारा की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् के पदाधिकारियों को पुनः सेवा में लिए जाने की मांग

23–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सन् 1973 में राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीयन सं०–2264/72-73 है, के पदाधिकारियों पर सरकार ने एक तरफा आदेश पारित करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) के अन्तर्गत सेवा से निकाल दिया गया था ? क्या यह सही है कि उसके बाद उनको जेल में रखकर मुकदमा चलाया गया जिसमें सक्षम न्यायालयों से वे निर्दोष करार दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उनकी बहाली का आदेश सरकार देगी ?

सुश्री मायावती–

राज्य की सुरक्षा के हित में कतिपय गैर अनुशासित एवं अपराधी पुलिस कर्मियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के प्राविधानों के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से निकाला गया था । अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त 63 कर्मियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है । इन कर्मियों ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में सेवा में लिये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सिविल याचिकायें दाखिल की हैं, जो विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में तैनात होमगार्ड की संख्या की जानकारी एवं उनको विनियमित किए जाने की मांग

24–श्री राम नक्षत्र–

क्या होमगार्ड मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में कुल कितने होमगार्ड तैनात है ? कितने कर्मियों को नियमित ड्यूटी पर लगाया जा रहा है ? क्या सरकार होमगार्डों को नियमित करने का प्राविधान कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लालमणि प्रसाद)–

उ० प्र० में होमगार्ड्स स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या 1,23,420 के विपरीत 1,19,337 होमगार्ड्स स्वयं सेवक एवं अवैतनिक अधिकारी उपलब्ध हैं ।

26,075 होमगार्ड्स कर्मियों को प्रतिदिन नियमित ड्यूटी पर लगाया जा रहा है ।

जी नहीं ।

इस संबंध में अन्य प्रदेशों से तत्संबंधी सूचना प्राप्त की जा रही है । सूचना प्राप्त होने के पश्चात् समस्त निहित बिन्दुओं पर सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त ही यथा स्थिति निर्णय लिया जा सकेगा ।

जनपद उन्नाव के थाना असोहा के पुलिसकर्मी के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्रों की जांच के पश्चात् कृत कार्यवाही

25–श्री अमरमणि–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में माह मार्च, अप्रैल व मई, 97 की तिमाही में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या यह सही है कि प्राथमिकी न लिखे जाने की तमाम शिकायतें इसी तिमाही से एस० पी० को दी गई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन शिकायतों की इस अवधि की संख्या क्या थी ? क्या सरकार बतायेगी कि असोहा थाना क्षेत्र के एक सब इंसपेक्टर आर० एन० सिंह के विरुद्ध पुलिस नियमों का उल्लंघन करने/लोक व्यवस्था के विरुद्ध भूपेश कुमार अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा असोहा ब्लाक आदि की तमाम लोगों को पीटने व तंग करने की कितनी शिकायतें उनके असोहा थाने के कार्यकाल में एस० पी०, उन्नाव को मिली ? जांच किसने की ? उसका परिणाम क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

इस अवधि की संख्या शून्य थी ।

असोहा थाने के एक सब इन्सपेक्टर आर० एन० सिंह के विरुद्ध 6 शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनकी जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा कराई गई । जांच से किसी भी शिकायती प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद उन्नाव के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस अत्याचार एवं लोक शिकायत की जांच में पाए गए दोषी कर्मियों की संख्या

26–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उन्नाव जिले में पुलिस अत्याचारों पर लोक शिकायतों की जांच की प्रक्रिया क्या है ? क्या जांच के निबटाने और जांच में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की कोई समय सीमा भी निर्धारित है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में कैलेण्डर वर्ष 1997 की प्रथम छमाही में कितने पुलिस कर्मी लोक शिकायतों में दोषी पाये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

पुलिस अत्याचारों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच आरोपी पुलिस कर्मी से उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा कराई जाती है ।

शिकायत की गम्भीरता के आधार पर समय सीमायें निर्धारित की जाती हैं ।

कैलेण्डर वर्ष 1997 की प्रथम छमाही में जनपद उन्नाव में लोक शिकायतों की जांच में एक निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक, 2 मुख्य आरक्षी तथा 17 आरक्षी कुल 28 पुलिस कर्मी दोषी पाये गये ।

जनपद मैनपुरी के थाना बिछवां में नामित अपराधी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग

27–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपराध संख्या 109/95 धारा 395/376/442/218/318/364/120 बी०आई०पी०सी० एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम थाना बिछवां जनपद–मैनपुरी में नामित अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रोजीक्यूशन सेक्शन प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायेगी कि विवेचना में किन-किन लोगों को दोषी पाया गया ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत अभियोग की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का मामला शासन में अभी विचाराधीन है ।

अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् ही गिरफ्तारी सम्भव होगी ।

अभियोजन जब तक स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता ।

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष उप निरीक्षक श्री जवाहर सिंह, कां० ना० पु० लक्ष्मी नारायण, कां० ना० पु० जवाहर सिंह, कां० ना० पु० जोरावर सिंह, कां० ना० पु० ओम गौतम, कां ना० पु० राजा राम एवं कां० ड्राइवर राजेन्द्र प्रसाद दीक्षित को दोषी पाया गया । इसी घटनाक्रम में जनता के अभियुक्तगण राजवीर, महेश, अशोक व राजेन्द्र निवासीगण देवगंज थाना बिछवां जनपद मैनपुरी को भी दोषी पाया गया है ।

विकास खण्ड मनकापुर जिला गोण्डा में मनवर नदी के जल प्रदूषण को दूर करने की योजना की जानकारी

28–श्री राम विशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर विकास खण्ड मनकापुर में मनवर नदी जिसमें आई०टी०आई० मनकापुर का गन्दा पानी बहाव से नदी में आ रहा है, जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी स्वच्छता के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मेसर्स आई०टी०आई० लि० मनकापुर गोण्डा से जनित उत्प्रवाह शुद्धिकरण के पश्चात् मनवर नदी में निस्तारित किया जाता है । उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से दिनांक 28 जनवरी, 1997 को जांच करने पर उद्योग के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का समुचित एवं सुचारु रूप से संचालन न किये जाने के कारण निस्तारित उत्प्रवाह की गुणता मानकों से कुछ अधिक पायी गयी । जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1994 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उद्योग की जल निस्तारण सहमति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अप्रैल, 1997 में अस्वीकृत कर दी गई है और उत्प्रवाह निर्धारित मानकों के अन्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिनांक 08 जुलाई, 1997 को दिये गये हैं ।

29–श्री महेन्द्र कुमार–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30–श्री राम विशुन आजाद–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम हसरमपुर निवासी श्री राम मूर्ति सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

31–तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री राममूर्ति सिंह पुत्र जोखू सिंह ग्राम–हसरमपुर, थाना–गौरीगंज सुल्तानपुर का दिनांक 17-6-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें स्थानीय पुलिस के खिलाफ अवैध तरीके से घर में घुसकर पैसा निकालने तथा परेशान करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा जांचोपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

थानाध्यक्ष, गौरीगंज द्वारा जांच की गई है ।

जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ''राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्'' संगठन को मान्यता दिए जाने की मांग

32–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सन् 1973 में उत्तर प्रदेश की पुलिस के सिपाहियों और हवलदारों ने अपना एक संगठन ''राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्'' नाम का सृजित करके सरकार से यथाविधि पुलिस के अधिकारियों के संगठन की भांति ही मान्यता का मांग पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके संगठन को मान्यता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं क्योंकि ''राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्'' बनाये जाने से पुलिस प्रशासन के अनुशासन में तथा उसकी कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

जनपद इटावा के थाना सहायल में दर्ज मुकदमा संख्या 393/96 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

33–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद इटावा में थाना सहायल में मुकदमा नं०–393/96 धारा 323/348/307 आई०पी०सी० पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वादी प्रताप सिंह बघेल की सूचना पर थाना सिविल लाइन, इटावा में सुलखान आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना संख्या–393/96 पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/148/323/307 के अन्तर्गत

अपराध संख्या–निल/96 पंजीकृत हुआ, किन्तु घटनास्थल थाना सहायल क्षेत्र का होने के कारण समस्त कागजात सहायल को भेज दिया गया, जहां पर मु०अ०सं०–127/96 पंजीकृत हुआ । विवेचना से इस मुकदमें में जुर्म सिद्ध न होने के कारण दिनांक 17-3-97 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामेश्वर मौर्य, पद–सेवक व्यापार कर कार्यालय बहराइच के समस्त देयों का भुगतान किए जाने की मांग

34–श्री सरदार सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामेश्वर मौर्य, पद–सेवक व्यापार कर कार्यालय, बहराइच की दिनांक 6 फरवरी, 1980 को सेवायें समाप्त की गयीं थीं ? क्या लोक सेवा अधिकरण–4 ने क्लेम नं०–59/एफ/IV/83, दिनांक 16 अप्रैल, 1990 को उन्हें बहाल कर दिया था ? क्या मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के रिट सं०–425 (एस०एस०)/95, दिनांक 8 फरवरी, 1995 तथा कमिश्नर व्यापार कर कार्यालय के आदेश सं०–3390, दिनांक 22-11-96 तथा पत्रांक सं० 4981 दिनांक 6-3-97 द्वारा नियम–54 (क) उपनियम (3) के अन्तर्गत श्री मौर्य को समस्त देयों का भुगतान करने हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनके वेतन निर्धारण तथा समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

जी हां ।

ज़ी हां ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ ने संदर्भित रिट याचिका में श्री मौर्य के समस्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण तत्परतापूर्वक करने के आदेश दिये व आयुक्त व्यापार कर कार्यालय के पत्र दिनांक 22-11-96 व 6-3-97 द्वारा स्वविवेक से निर्णय लेने के निर्देश जारी किये गये थे ।

बैंक ड्राफ्ट संख्या–868443 दिनांक 31-7-97 द्वारा देयों का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उन्नाव में अप्रैल, 97 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा की गई अराजकता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35–श्री अमर मणि–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगीं कि माह अप्रैल, 97 में समाजवादी पार्टी के धरना दे रहे कुछ नेता कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उन्नाव में घुस गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से एक कार्यकर्ता ने एस०पी० की उपस्थिति में कट्टे से हवाई फायर किया था ? क्या इस प्रकरण की जांच किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और आराजकता के लिये कौन दोषी था ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

सुश्री मायावती–

माह अप्रैल, 97 समाजवादी पार्टी के धरना दे रहे नेता/कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उन्नाव में अपनी मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन देने हेतु उपस्थित हुए थे ।

जी नहीं ।

अराजकता की कोई घटना घटित ही नहीं हुई । अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन स्थित राधाकुण्ड में वर्ष 1996 में होली का त्योहार हुरंगा मनाते समय पुलिस द्वारा की गई फायरिंग के दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36–श्री राम नक्षत्र–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1996 में होली का त्योहार हुरंगा जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन के कस्बे राधाकुण्ड में मनाते अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने छेड़छाड़ की थी ? क्या यह सही है कि इस पर विरोध करने पर अनुसूचित जाति के जाटव युवकों को चौकी राधाकुण्ड पर ले जा कर पिटाई की गयी थी ? क्या पुलिस के अत्याचार का शान्ति पूर्वक विरोध करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर थानाध्यक्ष सहित पुलिस कर्मियों ने गोली चलाकर छगनलाल को मौत के घाट उतार दिया और सतीश नामक युवक व अन्य दो दर्जन महिला/पुरुष भी गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, यदि हां, तो उक्त काण्ड पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-3-96 को सायंकाल लगभग 7.00 बजे थाना गोवर्धन के अन्तर्गत पुलिस चौकी राधाकुण्ड के सामने लोक निर्माण विभाग की सड़क पर स्थानीय कस्बे के लोगों द्वारा होली (हुरंगा) का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें लगभग 1000 हजार व्यक्ति सम्मिलित थे । उत्सव के मध्य कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया तथा मारपीट शुरू हो गयी । ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मियों द्वारा शान्ति भंग की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस चौकी राधाकुण्ड थाना–गोवर्धन की तरफ ले जाया गया । पुलिस के इस हस्तक्षेप के कारण कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ को पुलिस के विरुद्ध भड़काया गया जिससे आक्रामक भीड़ पुलिस चौकी के निकट पहुंच गयी । वहां उपस्थित पुलिस बल द्वारा भीड़ को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया किन्तु भीड़ शान्त नहीं हुई । भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया तथा पुलिस चौकी के फर्नीचर, जीप, अभिलेखों, बाउन्ड्रीवाल, पुलिसकर्मियों के निजी वाहनों आदि को क्षति पहुंचायी और आग भी लगा दी । कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कट्टे (तमंचे) से फायरिंग भी की गयी । स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग किया परन्तु सफलता नहीं मिली । इस उग्र भीड़ ने थानाध्यक्ष पर प्राणघातक हमला किया जिससे थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी गम्भीर रूप से तथा 15 पुलिसकर्मी साधारण चोटों से घायल हुये । इन परिस्थितियों में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षक 4 राउन्ड फायर किये गये थे ।

जनपद मथुरा के कस्बा राधाकुण्ड में वर्ष 1996 में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से मृत छगन लाल की हत्या के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री राम नक्षत्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना गोवर्धन के कस्बे राधाकुण्ड में मार्च, 1996 होली का प्रसिद्ध त्योहार मनाते मारे गये हरिजन छगनलाल हत्या काण्ड से बचने के लिये पुलिस ने अनुसूचित जाति के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मृतक एवं घायलों की तरफ से मुकदमा जनता के आन्दोलन के बाद जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश से थाना सादाबाद में दर्ज हुआ था जिसमें अनु० जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 को वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक के आदेश से नहीं लगाया गया था और तहरीर में मुख्य अभियुक्त थानाध्यक्ष को भी अभियुक्त नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो इस हत्याकाण्ड के दोषियों के प्रति अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । इस घटना के सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पर अ०सं० 23/96 धारा 147/148/149/307/323/224/332/333/353/225/232/336/436/427 भा०दं०वि० व 7 क्रिमनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट एवं 4 लो० स० निवा० अधि० के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ ।

दिनांक 14-3-96 को श्री डोरीलाल निवासी राधाकुण्ड के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी, मथुरा के आदेशानुसार थाना सादाबाद पर अपराध अंकित किया गया जो दिनांक 15-3-96 को थाना गोवर्धन पर अ०सं० 23ए/96 धारा 147/148/149/302/307/354/506 भा०दं०वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जिसमें वादी द्वारा 4-5 पुलिसकर्मी नाम पता अज्ञात सादा कपड़ों में, को अभियुक्त बनाया गया है । वादी द्वारा प्रस्तुत की गयी तहरीर के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराध नहीं बनता है । तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । इस तहरीर में थानाध्यक्ष को नामांकित नहीं किया गया है । इस प्रकरण की विवेचना/मजिस्ट्रीरियल जांच प्रचलित है ।

जनपद बलरामपुर के थाना ललिमा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

38–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि गोण्डा जनपद (वर्तमान में बलरामपुर) के ललिमा थाने पर अंकित अपराध सं०–29/97 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में विवेचनाधिकारी थानाध्यक्ष ललिमा द्वारा किये गये भेदभाव एवं अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को दिनांक 10-4-97 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

माननीय सदस्य द्वारा दिया गया उक्त पत्र क्षेत्राधिकारी, तुलसीपुर के विवेचनाधीन है ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम रायपुर निवासी स्व० गणेश यादव के हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने की मांग

39–श्री राजेन्द्र–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के ग्राम रायपुर थाना–नोनहरा निवासी स्व० गनेश यादव की 8-6-97 को दिन में सायं लगभग 6 बजे हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त हत्या में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस हत्या की सी०बी०,सी०आई०डी० से जांच कराने का क्या औचित्य था ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त हत्या में नामजद अभियुक्तों में से मनोज कुमार सिंह को थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा दिनांक 17-6-97 को गिरफ्तार किया गया ।

तथ्यों का सही पता लगाने के लिए उक्त हत्या की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी ।

40–श्री राम खिलाड़ी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वित्तीय वर्ष 1997-98 में प्रदेश में नए थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

41–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कितने थाने एवं पुलिस चौकियां स्थापित करने जा रही है ? क्या यह सच है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1996-97 में जिला प्रशासन ने कई पुलिस चौकी, रिपोर्टिंग चौकी व नये थाने खोलने के प्रस्ताव शासन को भेजे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से और कब तक सरकार इस पर अन्तिम निर्णय ले लेगी ? क्या यह सही है कि जनपद मैनपुरी के अति संवेदनशील थाना-बेवर को इन्सपेक्टर रैंक (कोतवाली) में परिवर्तित करने का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक बेवर को थाने से कोतवाली में परिवर्तित करने का निर्णय लेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में 1 चौकी, 2 थाने तथा 2 चौकियों का उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने की योजना है । इसके अतिरिक्त दशम वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 26 चौकियों के निर्माण की योजना है ।

जी हां ।

जनपद मैनपुरी में थाना कोतवाली देहात (कीरतपुर) एवं नवीगंज में थाने की स्थापना हेतु पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुये थे, जो मानक के अनुरूप नहीं थे, अतः उन्हें पुलिस मुख्यालय को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिये वापस किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना बेवर, मानक के अनुरूप न पाये जाने एवं तहसील स्तर का थाना न होने के कारण, पुलिस मुख्यालय द्वारा उसे उच्चीकृत कर निरीक्षक स्तर का किये जाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया ।

जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा संचालित राजकीय आलू फार्म द्वारा उत्पादित आलू बीज की आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

42–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कितने राजकीय आलू फार्म हैं ? इनका सालाना टर्न ओवर क्या है ? क्या ये फार्म क्षेत्रीय किसानों को उन्नतिशील बीज आपूर्ति करते हैं ? इन फार्मों में कितना आलू बीज का उत्पादन होता है ? विगत 1996-97 में कितना उन्नतिशील बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया ?

सुश्री मायावती–

जनपद पिथौरागढ़ में बालाती में एक आलू फार्म है ।

सालाना टर्न ओवर	आय रुपया
वर्ष–1995-96	3,80,175.00
वर्ष–1996-97	2,16,296.00

जी हां ।

वर्ष	उत्पादन (कु०)
1995-96	286.40
1996-97	339.55

211.40 कुन्टल ।

प्रदेश में रासुका लगाए जाने के मानक की जानकारी

43–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में रासुका लगाने का कोई मानक तय किया गया है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ? क्या भदोही जनपद के थाना गोपीगंज निवासी श्री शिव नारायण शुक्ला के ऊपर रासुका लगाया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

रासुका लगाने के लिए मानक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (सं०–65/1980) में स्पष्ट रूप से दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री राम औतार शाक्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में मार्च, 97 से जून, 97 तक हुई हत्याओं एवं पंजीकृत मुकदमों की संख्या की जानकारी की मांग

45–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने मार्च, 97 से जून, 97 तक प्रदेश में हुई कत्ल की घटनाओं का कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो इस अवधि में प्रदेश में कुल कितने कत्ल हुये और कितने मुकदमें पंजीकृत हुये ? क्या सरकार यह बतायेगी कि मार्च, 96 से लेकर जून, 96 तक प्रदेश में कुल कितने कत्ल हुये और कितने मुकदमें पंजीकृत हुये ? क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते हुये कत्लों के रोकथाम की कोई विशेष योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में मार्च, 1997 से जून, 1997 तक अनुसूचित, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमों की जानकारी

46–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उन्नाव जनपद में मार्च, 1997 से 30 जून, 1997 तक अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं ? कितने

मुकदमों में आरोप पत्र अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत न्यायालय को निर्धारित अवधि में गये हैं, कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र निर्धारित अवधि में न प्रेषित किये जाने के कारण अभियुक्तों को जमानत का तकनीकी लाभ मिल गया है ? इस अधिनियम के दुरुपयोग के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

93 (तिरानबे)

74 (चौहत्तर)

शून्य

शून्य

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

48–श्री भारत सिंह रावत–

[चौथे बुध में अता० प्र० सं० 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने के मानकों की जानकारी

49–श्री राजाराम तथा श्री राम नक्षत्र–

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में विभिन्न थानों पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोलने के कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या श्री अंगद सिंह पुत्र राम स्वरूप सिंह ग्राम उतरौला थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध थाना बबुरी में हिस्ट्रीशीट खोली गयी ? क्या यह सही है कि उक्त श्री अंगद सिंह के विरुद्ध अभी तक केवल एक बार भारतीय दण्ड विधान की धारा 307,332,333,147 तथा 188 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें उनकी जमानत हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त हिस्ट्रीशीट निर्धारित मानकों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे निरस्त करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

हिस्ट्रीशीट खोले जाने के संबंध में पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 228 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यासिक अपराधियों अथवा ऐसे व्यक्तियों, जो ऐसे अपराधियों के दुष्प्रेरक है उनकी हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है ।

जी हां ।

जी नहीं । श्री अंगद सिंह के विरुद्ध वर्ष 1986 में तीन मुकदमें विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये ।

श्री अंगद सिंह के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट निर्धारित मानक के अनुसार खोली गयी है ।

वर्तमान में श्री अंगद सिंह के एक प्रार्थना पत्र की जांच कराये जाने पर श्री अंगद सिंह को अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय नहीं पाया गया । अतः इनकी हिस्ट्रीशीट पर निगरानी बन्द कर दी गयी है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम मड़ियांव निवासी श्री छेदा की भूमि की रजिस्ट्री सरकारी तन्त्र द्वारा धोखा धड़ी में करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

50–श्री राम खिलाड़ी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम व थाना मड़ियाव, लखनऊ के छेदा पुत्र स्व० खन्ना ने धोखा-धड़ी करके भूमि नं०–453 रकबा डेढ़ बीघा को रजिस्ट्री व परमीशन छेदा के द्वारा न कराये जाने के उपरान्त भी सरकारी तन्त्र में रजिस्ट्री कर ली गयी ? क्या उस पर 9 लोगों के विरुद्ध दिनांक 31-10-96 को अ० सं०–437/96 धारा 420, 467, 468 तथा 471 मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? क्या उसकी विवेचना एस० आई० एस० कैसरबाग से की जा रही है ? क्या उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? इसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

विशेष अनुसंधान शाखा कैसरबाग जनपद लखनऊ की जांच से अभियुक्तगण (1) श्रीमती रेनू सिंह (2) राम विलास (3) रहमान खान (4) टी० सी० शुक्ला (5) एस० एन० मिश्रा (6) संबंधित लिपिक (7) संबंधित पेशकार (8) कु० केतकी मुखर्जी (9) संबंधित वकील को मुकदमा अपराध संख्या–437/9 में नामजद किया गया परन्तु अभियुक्तगण क्रमांक (2) (3) (6) (7) तथा (8) की नामजदगी गलत पायी । तथा अभियुक्त सं० 3-4 एवं 9 की सकूनत तस्दीक नहीं है ।

मुख्य अभियुक्त श्रीमती रेनू सिंह पूर्व में ही आत्मसमर्पण कर जमानत पर रिहा हो चुकी हैं जिसके विरुद्ध दिनांक 3-7-97 को आरोप पत्र सं०–12 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । शेष अभियुक्तों का पता लगाकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

नवम्बर–96 से अब तक जनपद मैनपुरी में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा निर्गत लाइसेन्सों की जानकारी

51–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में माह जनवरी, 1996 से लेकर अब तक आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र नवम्बर, 1996 से लेकर अब तक विभिन्न उप जिलाधिकारियों एवं एस० एस० पी० की संस्तुतियों सहित प्राप्त हुए ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त अवधि में संस्तुतियों सहित प्राप्त प्रार्थनापत्रों में कितने और किन लोगों को किस-किस आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निर्गत किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उप जिलाधिकारियों की संस्तुतियों वाले सभी प्रार्थना-पत्र को मार्च, 97 के बाद पुनः वापिस कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनवरी 1996 से 24-7-97 तक कुल 9160 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । माह नवम्बर, 1996 से अब तक उप जिला मजिस्ट्रेट एवं एस० एस० पी० से कुल 719 प्रार्थना-पत्र संस्तुतियों सहित प्राप्त हुए । 207 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये जिसकी सूची संलग्न है । †

जी हां ।

मार्च, 1997 के बाद अद्यावधिक अपराधिक इतिहास की रिपोर्ट तथा नवीनतम जांच हेतु वापस भेज दिये गये ।

जनपद मैनपुरी में स्टाम्प वेण्डरशिप के लाइसेंस निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

52–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में अब तक स्टाम्प ऐक्ट के अन्तर्गत कितने स्टाम्प वेण्डरशिप के लाइसेंस निर्गत किये जा चुके हैं, उसका विवरण क्या हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक इस हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र जिला मैनपुरी में लम्बित हैं ? क्या यह सच है कि श्री सुल्तान सिंह पुत्र रामदीन निवासी रामलीला मैदान, आगरा रोड, मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र वर्ष 1995 से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो उसे लाइसेंस क्यों निर्गत नहीं किया गया ? क्या यह सच है कि उक्त प्रार्थना-पत्र के बाद आये प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार कर लाइसेंस दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जनपद मैनपुरी में 145 स्टाम्प वेण्डर के लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं जिसमें से 53 स्टाम्प वेण्डर के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं एवं वर्तमान में 92 लाइसेंसी कार्यरत हैं जिनमें से 36 कलेक्ट्री परिसर में, 10 दीवानी परिसर में, 2 तहसील मैनपुरी में, 29 तहसील भोगांव में, 8 तहसील करहल में और 7 अन्य स्थानों के लिए हैं ।

वर्तमान समय में लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र जनपद मैनपुरी में लम्बित हैं ।

जी नहीं ।

प्रार्थना-पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र व चरित्र प्रमाण-पत्र–मूलरूप में अथवा फोटो प्रति संलग्न न होने के कारण स्टाम्प वेण्डर के लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है ।

गुण-दोषों के आधार पर विचार करके कतिपय प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार करते हुए लाइसेंस निर्गत किए गए हैं ।

जनपद देवरिया के सलेमपुर उप निबन्धक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित श्री भृगुनाथ कुशवाहा द्वारा दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सलेमपुर उपनिबन्धक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के संबंध में जिला जनता दल उपाध्यक्ष, श्री भृगुनाथ कुशवाहा का कोई शिकायती पत्र माह फरवरी, 1997 में जिलाधिकारी देवरिया को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस परिपेक्ष्य में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री यशवन्त–

[तीसरे बुध में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सभी थानों पर जीप उपलब्ध कराये जाने की मांग

55–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में ऐसे भी थाने हैं जिसमें कानून व्यवस्था पर काबू पाने के लिये जीपों की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो कितने ? क्या सरकार पुलिस की सक्रियता बढ़ाने व अपराधियों को नियंत्रित करने के लिये जीपों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद मैनपुरी के थानों में प्रदत्त जीपें ज्यादातर पुरानी व खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नई जीपें प्रदत्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के 22 थानों के लिये अभी जीपें स्वीकृत नहीं हैं जिनकी स्वीकृति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक धनराशि का प्राविधान कर दिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जनपद मैनपुरी की दो तिहाई जीपें नई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नागरिक सुरक्षा सआदतगंज लखनऊ में अवैतनिक पोस्ट वार्डनों का नवीनीकरण कर परिचय-पत्र दिए जाने की मांग

56–श्री अजय भट्ट–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नागरिक सुरक्षा प्रखण्ड, सआदतगंज, लखनऊ में अवैतनिक पोस्ट वार्डनों का वर्ष 1996 से वर्ष 1998 तक नवीनीकरण जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ द्वारा किस दिनांक को किया गया ? क्या पोस्टवार्डनों को उक्त नवीनीकरण की सूचना दी जा चुकी है तथा उनका परिचय पत्र नवीनीकरण किया गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री लालमणि प्रसाद–

नागरिक सुरक्षा प्रखण्ड, सआदतगंज के अवैतनिक पोस्ट वार्डनों का वर्ष 1996 से वर्ष 1998 तक नवीनीकरण किए जाने के आदेश जिलाधिकारी/नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-12-96 को दिए गए थे । इसकी सूचना उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ के पत्र दिनांक 4-1-97 के द्वारा सम्बन्धित प्रखन्ड के सहायक उपनियंत्रक तथा डिवीजनल वार्डन को दी गई । सम्बन्धित पोस्ट वार्डनों को उक्त नवीनीकरण की सूचना सआदतगंज के प्रखन्डीय कार्यालय के पत्र दिनांक 7-1-97 द्वारा दी जा चुकी है । इसी क्रम में एक पोस्ट वार्डन का परिचय पत्र, दिनांक 9-1-97 को नवनीकृत किया गया है तथा शेष 5 द्वारा परिचय-पत्र प्रस्तुत किया जाना है । 4 पोस्ट वार्डनों का नवीनीकरण

दिनांक 31-12-96 के बाद उनके उदासीन होने तथा अधिक उम्र होने के कारण नहीं किया गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में जघन्य अपराधों के स्थल निरीक्षण के निर्देशों का पालन पुलिस अधीक्षक द्वारा न किए जाने की शिकायत

57–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जघन्य अपराधों/एस० आर० केसेज में घटना स्थल पर निरीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक के पहुंचने के निर्देशों का परिपालन उन्नाव जनपद में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कैलेण्डर वर्ष 1997 की प्रथम छमाही में उन्नाव जनपद में कुल कितने एस० आर० केसेज की घटनायें हुई हैं ? कितने केसेज में पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया है ?

सुश्री मायावती–

जघन्य अपराध/एस० आर० केसेज के घटना स्थल पर निरीक्षण हेतु पहुंचने के निर्देश का परिपालन उन्नाव जनपद में किया जा रहा है ।

कुल 161 (एक सौ इकसठ)

110 (एक सौ दस)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुहाई गाजियाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा बजट के धन को अनियमित रूप से खर्च करने के कारण संस्थान पर प्रतिकूल असर पड़ने के कारण कार्यवाही की मांग

58–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुहाई–गाजियाबाद के वर्तमान प्रधानाचार्य के जुलाई, 1995 से अब तक कार्यकाल में विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु कितना धन आवंटन किया गया ? आवंटित धन में कितना रुपया पेट्रोल/डीजल गाड़ियों की मरम्मत में खर्च किया गया ? अन्य व्यवसायों में व्यवसायवार प्रशिक्षण हेतु कितना धन खर्च किया गया ? क्या प्रशिक्षण हेतु प्राप्त बजट को अनियमितता से खर्च करने पर प्रशिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी के प्रति क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दुहाई–गाजियाबाद के वर्तमान प्रधानाचार्य के जुलाई, 1995 से दिनांक 30-6-97 तक के कार्यकाल में प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा रुपये 10,82,000/–की धनराशि का आवंटन किया गया ।

आवंटित की गयी धनराशि में पेट्रोल/डीजल एवं गाड़ियों की मरम्मत में रु० 4,16,237/–खर्च किया गया ।

अन्य व्यवसायों में व्यवसायवार प्रशिक्षण हेतु निम्नवत धन खर्च किया गया :–

1–विद्युत व्यवसाय	रु० 1,15,365.70
2–वायरमैन व्यवसाय	रु० 68,487.0
3–वेल्डर व्यवसाय	रु० 12,709.9
4–इलेक्ट्रानिक्स व्यवसाय	रु० 1,00,522.35

5–मशीनिष्ट व्यवसाय		रु० 94,972.50
6–टूल एण्ड डाइमेकर व्यवसाय		रु० 43,208.60
7–अन्य व्यय		रु० 2,30,496.95
	योग	रु० 6,65,763.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रधानाचार्य द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में दिये गये अभ्यासों की आवश्यकतानुसार संस्थान में चल रहे व्यवसायों हेतु आवंटित बजट से नियमानुसार कच्चा माल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाता रहा है ।

जी० आई० टी० आई०, चारबाग, लखनऊ में पिछले 10 वर्षों में प्रवेश के समय जमा कराई गई काशनमनी का वितरण छात्रों में सही रूप से न करने के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

59–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी० आई० टी० आई०, चारबाग, लखनऊ में पिछले 10 वर्षों में प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में कितनी धनराशि जमा की गयी ? जमा की गयी धनराशि में कितनी धनराशि छात्रों को वापस की गयी ? कितनी धनराशि संस्थान में शेष है ? क्या यह सही है कि काशनमनी की धनराशि का वितरण छात्रों में सही रूप से नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

वित्तीय वर्ष 1987-88 से वर्ष 1996-97 तक जी० आई० टी० आई०, चारबाग, लखनऊ में कुल रुपये 1,24,800/–की धनराशि जमा हुई है ।

आवेदन करने वाले प्रशिक्षार्थियों को कुल रुपये 4250/–धनराशि की काशनमनी वापस की गयी है ।

जी नहीं । नियमानुसार छात्रों द्वारा काशनमनी वापस करने हेतु आवेदन करने पर ही वापस की जाती है । अतः काशनमनी की धनराशि के वितरण में अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 1990 से 1996 तक खरीदी गई मशीनों एवं उपकरण में धांधली के दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

60–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 1990 से 1996 तक कुल कितने रुपये की मशीनें व उपकरण खरीदे गये ? खरीदी गयी मशीनें व उपकरण क्या मानक के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? दोषियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 1990 से 1996 तक रु० 1399.53 लाख की मशीनें व उपकरण खरीदे गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ के कार्यदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच शीघ्र पूर्ण किए जाने की मांग

61–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत कार्यदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच मार्च, 1996 से चल रही है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन है ? एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के उपरान्त जांच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

श्री एस० एन० मिश्रा, कार्यदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 19-3-96 प्राप्त हुआ था । इस पर श्री एल० एन० वार्ष्णेय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) लखनऊ–फैजाबाद मण्डल से जांच करायी गयी । जांच पूर्ण हो चुकी है । शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

62–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री बाबू राम–

[पांचवे मंगल में अता० प्र० सं० 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ में "अंसारी–कुरैशी विवाद" के खिलाफ कायम मुकदमें को वापस लिए जाने की मांग

63–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या न्याय मंत्री जी मेरठ में वर्ष 94-95 को हुए "अन्सारी-कुरैशी विवाद" में जो कमेले को लेकर हुआ था, में अन्सारियों व कुरैशियों के खिलाफ कायम किये गये मुकदमों को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इस संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ में वर्ष 1994 को स०पा० बन्द के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कायम मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग

64–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में 13 सितम्बर, 1994 को स० पा० के बन्द के दौरान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर कायम किये गये फर्जी मुकदमों को वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इस संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के श्रम विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा श्रम कल्याण केन्द्र के चिकित्साधिकारियों के वेतनमानों में व्याप्त विसंगति को दूर करने की मांग

65–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा श्रम कल्याण केन्द्र के चिकित्साधिकारियों के वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं को प्रोन्नति अवसर, प्रोन्नत वेतनमान तथा वैयक्तिक वेतनमान में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इन विसंगतियों को दूर करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह विसंगति कब तक दूर हो जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

दिनांक 1-1-1986 से समता समिति की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न कर्मचारियों के वेतनमानों की समकक्षता केन्द्र सरकार दिल्ली प्रशासन के संबंधित विभाग से स्थापित की गई है अतः किसी एक विभाग के किसी पद की तुलना किसी दूसरे विभाग के पद से किये जाने अथवा एक ही विभाग के किसी एक पद की तुलना दूसरे पद से किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के अनुरूप समयमान वेतनमान की सुविधा इस आधार पर दी गई है कि पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्साधिकारी प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के ही अधिकारी थे और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के श्रम विभाग को हस्तान्तरण के अवसर पर यह आदेश थे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत स्टाफ को वही वेतनमान व भत्ते अनुमन्य होंगे जो चिकित्सा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुमन्य हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

राम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान कायम किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग

66–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राम जन्म भूमि आन्दोलन के दौरान कायम किये गये मुकदमें विशेषतया 153 ए व बी के मामलों को शासन वापस लेने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

समय-समय पर शासन द्वारा ऐसे मुकदमों की वापसी के आदेश निर्गत किये गये हैं । जारी आदेश निम्नवत् हैं :–

1–संख्या 3095पी/छः–पु-6-91-1249(डी)/1991, दिनांक 23 नवम्बर, 1991

2–संख्या 5174पी/छः–पु०-3-94, दिनांक 24 नवम्बर, 1994

3–संख्या 913डब्लू सी/सात–न्याय–5-94-115 डब्लू सी/94, दिनांक 23-12-1994

4–संख्या 16/जीएसए/1995, दिनांक 16 जनवरी, 1995

5–संख्या यू ओ 289/सात–न्याय–5–12पी/94, दिनांक 21 फरवरी, 1995

6–संख्या 98 एम एम/छः–पु०–3-95, दिनांक 13 मार्च, 1995

7–संख्या 1436पी/ छः–पु-3-95-12पी/94, दिनांक 2 मई, 1995

8–संख्या 330 एमएम/छः–3–1995, दिनांक 6 जून, 1995

सम्प्रति नये आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में फाइनेन्स कम्पनियों एवं चिटफण्ड कम्पनियों द्वारा निवेशकों के धन को गबन से बचाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की मांग

67–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में फाइनेन्स कम्पनियां, चिटफण्ड कम्पनियां निवेशकों का धन गबन करके नगरों से पलायन कर रही हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध गरीब निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिये सरकार कोई उपाय करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

फाइनेन्स कम्पनियों का नियमन एवं नियंत्रण भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है अतः यह बिन्दु राज्य सरकार से संबंधित नहीं है । जहां तक चिटफण्ड कम्पनीज का प्रश्न है, इनके संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप निबन्धक पद पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाए जाने की मांग

68–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक के पद पर सीधी भर्ती का कोटा 75 प्रतिशत एवं लिपिकीय पदों से पदोन्नति का 25 प्रतिशत निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्यालय अधिष्ठान व जिला अधिष्ठान लिपिकों का उप निबन्धक पद के लिये निर्धारित 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्धारित पदोन्नति का कोटा पर्याप्त है ।

प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी पदों का आरक्षण कोटा पूर्ण किए जाने की मांग

69–डा० रामबाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में कितने कान्सटेबिल, सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर के पद हैं ? क्या इन संवर्गों में आरक्षण कोटा पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश पुलिस में कान्सटेबिल के 94865, सब-इन्सपेक्टर के 11449 व इन्सपेक्टर के 1417 पद हैं ।

जी नहीं ।

कुछ पदों पर न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है । शेष पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने का प्रयास जारी है ।

इस प्रकरण में कोई दोषी नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की पैक्स समितियों में सचिव संवर्ग के पदों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कोटे को पूर्ण करने की मांग

70-डा० रामबाबू हरित तथा श्री नारायण राम दास–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स समितियों के सचिवों के सेवाकैडर में रिक्त पदों पर भर्ती का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सचिव संवर्ग के पदों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

पैक्स के सचिवों का वेतन देने हेतु कैडर फंड में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण प्रश्नगत रिक्तियों पर भर्ती बाधित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण नियमित चयन नहीं हो पा रहा है ।

नियमित चयन होने की स्थिति में आरक्षण कोटा पूर्ण करने पर विचार करना संभव हो सकेगा ।

फैजाबाद मण्डल में कार्यरत पात्र बन्दी रक्षकों को उच्चतम वेतनमान दिए जाने की मांग

71–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० कारागार विभाग के पात्र बन्दी रक्षकों को उच्चतम वेतनमान फैजाबाद मण्डल को छोड़कर समस्त मण्डलों में दिया जा चुका है ? यदि हां, तो फैजाबाद मण्डल के साथ यह भेदभाव क्यों बरता गया ? ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन–

फैजाबाद मण्डल के सभी पात्र बंदी रक्षकों को उच्चतम वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रदेश के नगरीय सहकारी बैंकों में अवकाश प्राप्त कर्मियों को सचिव/सामान्य प्रबन्धक के पदों पर दी गई नियुक्ति के संबंध में जानकारी

72–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने नगरीय सहकारी बैंकों ने अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को सचिव/सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्तियां दी हैं ? क्या इन नियुक्तियों के लिये निबन्धक, सहकारी समितियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के०- चौधरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

73–श्री रंगनाथ मिश्र–

[दिनांक 28-7-97 को ता० प्र० सं० 12 द्वारा उत्तरित]

74–श्री रंगनाथ मिश्र–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फैजाबाद, बस्ती तथा गोरखपुर मण्डल में स्थापित चीनी मिलों एवं डिस्टलरियों से निकलने वाले प्रदूषित जल की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

75–श्री विनय कुमार पाण्डेय–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद बस्ती तथा गोरखपुर मण्डल की चीनी मिलों एवं डिस्टलरियों से निकलने वाले प्रदूषित जल में प्रदूषण की मात्रा का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मण्डलों में स्थापित चीनी मिलों एवं डिस्टलरियों से निकलने वाले प्रदूषित जल में प्रदूषण की मात्रा का परीक्षण कराकर उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर संबंधित चीनी मिलों एवं डिस्टलरियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जी हां ।

फैजाबाद, बस्ती तथा गोरखपुर मण्डल की चीनी मिलों एवं डिस्टलरियों से निकलने वाले उत्प्रवाह में प्रदूषण की मात्रा का परीक्षण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से कराया गया जिसका विवरण संलग्न है* जिन † उद्योगों से निस्तारित उत्प्रवाह में प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है, उनको जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत प्रदूषण की मात्रा को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश/नोटिस दिये गये हैं ।

प्रदेश में साम्प्रदायिकता समाप्त करने हेतु साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

76–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, मुस्लिम मजलिस व शिव सेना जैसे साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस तरह का प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार भारत सरकार को है ।

उप निदेशक उद्यान लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षण ग्रामीण को दिए गए पत्र के बावजूद हरे पेड़ों के कटान के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

77–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक उद्यान, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने पत्र सं०–मेमो–1 कैम्प निदेशक 96-97 दिनांक 20 सितम्बर, 1996 द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) लखनऊ

नोट :–† छपा नहीं गया ।

से यह अनुरोध किया था कि श्री मैकू पुत्र कालीचरन ग्राम सैदापुर, थाना माल, जिला लखनऊ के 36 कलमी आम तथा 9 तुकमी आम के पेड़ों के कटान को रोक दिया गया ? यदि हां, तो उक्त आदेश के उपरान्त भी पेड़ों का कटान हो जाने का क्या कारण है ? उन हरे-भरे पेड़ों के कटान को न रोके जाने हेतु कौन पुलिसकर्मी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) लखनऊ को प्रश्नगत पत्र दिनांक 20-9-96 प्राप्त नहीं हुआ है ।

पत्र अप्राप्त होने की स्थिति में कोई भी कारण अंकित करना संभव नहीं है ।

उपरोक्त के संदर्भ में किसी पुलिस कर्मी के दोषी होने एवं तद्विषयक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लखनऊ द्वारा मैकू निवासी सैदापुर को हरे पेड़ों की कटान की अनुज्ञा न देने पर भी हरे पेड़ों के कटान के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

78–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लखनऊ के पत्रांक–562-64/96-97, दिनांक 10-9-96 द्वारा मैकू पुत्र कालीचरन ग्राम सैदापुर पो० व थाना माल, जिला लखनऊ के नाम अनुज्ञा पत्र 895 दिनांक 6-9-96 द्वारा 36 कलमी आम तथा 9 तुकमी आम के हरे पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की गयी थी ? क्या इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ पत्रांक–1556-62/अनुज्ञा पत्र दिनांक 10-9-96 द्वारा कटान पर रोक लगाते हुए उप निदेशक उद्यान लखनऊ को जांच हेतु नियुक्त किया था ? क्या यह सही है कि उप निदेशक की जांच के बिना ही उक्त हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया ? क्या उक्त पेड़ फल पट्टी क्षेत्र में थे ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै०क्षे०) उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 562-64/96-97, दि० 10-9-96 द्वारा पेड़ों को काटने हेतु कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है, किन्तु उक्त पत्र द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–895, दि० 6-9-96 द्वारा श्री मैकू पुत्र श्री कालीचरन, ग्राम सैदापुर, पो० व थाना–माल जिला लखनऊ के नाम 36 कलमी आम तथा 9 तुकमी आम के पेड़ों को काटने हेतु जारी अनुज्ञा पत्र को जांच होने तक स्थगित किया गया था ।

जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–1556–62, दिनांक 10-9-96 द्वारा पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी गयी थी, किन्तु इस पत्र द्वारा उप निदेशक को जांच हेतु नियुक्त नहीं किया गया था ।

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै०क्षे०) उ०प्र० के पत्रांक–562–64/96-97, दि० 10-9-96 द्वारा इस प्रकरण की जांच करवाने हेतु उप निदेशक, उद्यान लखनऊ मण्डल, लखनऊ को आदेशित किया गया था । उप निदेशक ने जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ को यह आदेशित किया कि जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ स्वयं या संबंधित क्षेत्र के प्रभारी से वस्तुस्थिति की सही जांच कराकर अपने स्तर से कार्यवाही करें । जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ ने प्रकरण की प्रभारी निरीक्षक से जांच कराई प्रभारी निरीक्षक की जांच आख्या एवं संस्तुतियों के आधार पर आपत्ति निराधार पाते हुए जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–1638/अनुज्ञप्ति, दिनांक 17-9-96 द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान की गयी ।

जी हां, किन्तु जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच में आपत्तियों को निराधार पाये जाने पर पेड़ों को काटने हेतु अनुज्ञप्ति पत्र जारी किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के ग्राम दुलारा में अनुसूचित जाति के लोगों को गांव में न घुसने देने की शिकायत

79–श्री राजधारी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना फतेहपुर सिकरी जनपद आगरा के गांव दुलारा में अनुसूचित जाति के कोली परिवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता है ? क्या यह सही है कि दिनांक 1-6-97 को भगवान सिंह (कोली) को अपने गांव में जाने पर कुछ लोगों द्वारा उसे गोली मारकर घायल कर दिया ? क्या यह भी सही है कि थाने से भदौरिया नामक एम० आई० द्वारा भगा देने पर जिलाधिकारी आगरा के आदेश से मुकदमा थाना फतेहपुर सिकरी में दर्ज किया गया ? थाना एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा उन्हें जबरन धमकाया जा रहा है कि राजीनामा कर लो । यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मामले की शीघ्र जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

दिनांक 1-6-97 को भगवान सिंह (कोली) को गांव दुल्हारा में जाते समय गोली मारकर घायल कर दिया गया था, इस संबंध में श्री भरत सिंह पुत्र फूल सिंह नि० दुल्हारा, थाना–फतेहपुर सीकरी, आगरा का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, आगरा के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर मु०अ०सं० 258/97 धारा 252/307/323/506/504/441 भा० द० वि० व 3 (2) 5 अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत जालिम सिंह, राम कुमार पुत्र गण चन्दन सिंह, सत्यवीर पुत्र राजन सिंह, भूरा जाट नि० दुल्हारा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

उक्त अभियोग जिलाधिकारी, आगरा के आदेशानुसार पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण) आगरा द्वारा कराई गई जांच से पाया गया कि श्री भरत सिंह व घायल भगवान सिंह थाना फतेहपुर सीकरी पर नहीं आये और न ही उ० नि० श्री भदौरिया से मिले । यह भी असत्य पाया गया कि क्षेत्राधिकारी द्वारा राजीनामा के लिये धमकाया जा रहा है ।

विवेचना के पश्चात् आरोप झूठा पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी ।

पैक्स समितियों के कर्मचारी सेवा संगठन साधन समिति सचिव, परिषद् उ० प्र० की मांगों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–डा० राम बाबू हरित तथा श्री नारायण राम दास–

क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पैक्स समितियों के कर्मचारी सेवा संगठन साधन समिति सचिव, परिषद् उ० प्र० की मांगें शासन के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

उक्त संगठन से प्राप्त मांग-पत्र का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–डा० राम बाबू हरित, श्री नरेश अग्रवाल, श्री मित्रसेन यादव तथा श्री नारायण रामदास–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद एटा में स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी शीतगृहों की संख्या एवं भण्डारण की जानकारी

82–श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जिले में कितने सरकारी और गैर सरकारी शीतगृह हैं ? प्रत्येक शीतगृह की आलू भण्डारण क्षमता क्या है ? वर्तमान वर्ष 1997 में कितना-कितना आलू किस-किस शीतगृह में रखा गया है ? क्या यह सत्य है कि क्षमता से अधिक आलू का भण्डारण हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद एटा में सहकारिता विभाग तीन तथा गैर सरकारी पन्द्रह शीतगृह हैं । प्रत्येक शीतगृहों की भण्डारण क्षमता एवं भण्डारित मात्रा सूची संलग्न है ।

एक सहकारी तथा एक निजी शीतगृह मेसर्स राजे कोल्ड स्टोरेज में क्षमता से अधिक भण्डारण हुआ है ।

प्रक्षेत्र में आलू का उत्पादन अधिक होने तथा शीतगृह के बाहर सड़क पर बढ़ते हुए जाम को दूर करने के उद्देश्य से तहसीलदार, कासगंज ने कुछ वाहनों पर लोड आलू शीतगृह के गेट के अन्दर उतरवा दिया तथा बाद में भण्डारित करा दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 111 पर)

83–श्री राम औतार शाक्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद के कस्बा शिकोहाबाद स्थित बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्या द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेख गायब कराये जाने की जानकारी

84–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बी० डी० एम० म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में कार्यालय अधीक्षक द्वारा उक्त कालेज के गोपनीय रिकार्ड को वहीं की प्राचार्या एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा ताला तोड़कर गायब किये जाने की शिकायत डी० जी०पी० लखनऊ को रजिस्ट्री संख्या–490 दिनांक 26-4-96 को तथा थानाध्यक्ष, शिकोहाबाद जनपद–फिरोजाबाद की रजिस्ट्री संख्या–399 दिनांक 25-4-96 द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त पत्र में मुख्य बिन्दु यह था कि महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या डा० श्रीमती कान्ता श्रीवास्तव आये दिन अनेक षडयन्त्र रचती रहती हैं । डा० श्रीमती कान्ता श्रीवास्तव, लिपिक सतेन्द्र कुमार जैन, बुक लिफ्टर श्रीमती सन्तोष बाला गुप्ता, मनमोहन गुप्ता महाविद्यालय का ताला जबरियन तुड़वाकर बहुमूल्य गोपनीय रिकार्ड निकाल ले गये । थाना शिकोहाबाद रिपोर्ट लिखाने गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ।

उक्त शिकायती पत्र की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद से करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि श्री गयासी राम कुशवाहा पूर्व प्राचार्या डा० प्रभा गुप्ता के साथ दिनांक 13-12-95 को कुछ गोपनीय अभिलेख निकाल कर ले गये इसकी शिकायत प्राचार्या डा० श्रीमती कान्ता श्रीवास्तव ने अध्यक्ष

से की थी । श्री गयासी राम द्वारा महाविद्यालय का कुछ पैसा गबन करना बताया गया जिस पर प्राचार्या द्वारा 20-4-96 व 27-4-96 को स्पष्टीकरण मांगा गया तब श्री कुशवाहा स्पष्टीकरण न देकर 5000/- जमा कर अवकाश पर चले गये । रिकार्ड रूम की चावी अध्यक्ष बी० डी० एम० कन्या महाविद्यालय के आदेश श्री गयासी राम ने प्राचार्या को सौंप दी थी । प्राचार्या ने पुराना ताला हटवा कर नया ताला रिकार्ड रूम में लगवा दिया था जिसकी एक चावी प्राचार्या के पास तथा एक चावी शिकायतकर्ता श्री गयासी राम कुशवाहा के पास रहती थी । कालेज के रिकार्ड की देखभाल प्राचार्या करती थी । जांच से ताला तोड़ने एवं रिकार्ड गायब करने की पुष्टि नहीं हुयी । जांच से यह भी पाया गया कि श्री गयासी राम प्राचार्या के खिलाफ झूठा अभियोग पंजीकृत कराना चाहते थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के थाना फेफना को नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने की मांग

85–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के थाना फेफना का निर्माण कार्य वर्षों पहले होने के बावजूद अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नवनिर्मित थाना भवन में न जाकर पंचायत भवन में ही कार्यरत हैं ? थाना नवनिर्मित सरकारी भवन में कब तक स्थानान्तरित हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

थाना भवन अभी अपूर्ण है जिसके कारण सम्प्रति थाना फेफना पंचायत भवन में ही कार्यरत है ।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर थाना नवनिर्मित सरकारी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

गोपन अनुभाग–7 द्वारा भेजे गये पत्र के अनुसार की गई जांच एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

86–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को गोपन अनु०–7 द्वारा पत्रांक एम० एल० ए० 325/92 गो०–7, दिनांक 31-7-92 भेजा गया था जिसमें सी० आई० डी० जांच होना सूचित किया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इसमें अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रकरण 5 वर्ष पुराना है, एतद्विषयक तत्कालीन गोपन अनुभाग–7 जो सम्प्रति गृह (पुलिस) अनुभाग–14 है, में सुसंगत अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह सूचित किया जाना सम्भव नहीं है कि गोपन अनुभाग–7 के पत्रांक–एम० एल० ए० 325/92–गो०–7 दिनांक 31-7-92 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रकरण में सी० आई० डी० जांच होना सूचित किया गया है ।

प्रकरण से संबंधित थाना, अपराध संख्या, लागू धाराएं तथा शिकायतकर्ता का नाम व पता प्रश्न में उल्लिखित न होने के कारण जांच रिपोर्ट अथवा कृत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद भदोही में, कालीन फैक्ट्री में, मजदूर शम्भू की हुई मृत्यु के कारण की गई आगजनी एवं लूट की जांच के आधार पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

87–श्री समरपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 फरवरी, 1996 को जनपद भदोही में एक कालीन व्यवसायी की फैक्ट्री के एक मजदूर शम्भू पुत्र दयाराम की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 7 फरवरी, 1996 को जिम्मेदारान अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त व्यवसायी की फैक्ट्री में हुयी भारी लूट, आगजनी, तोड़-फोड़ आदि से करोड़ों रुपये के नुकसान की जांच हेतु शासन के गृह अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–2061/पी०जी०एफ० 1996 के अन्तर्गत आयुक्त, वाराणसी को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट फरवरी, 1996 में ही शासन को दे दिया है ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

विचारोपरान्त प्रकरण, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को जांच हेतु संदर्भित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश को वर्ष 1996 एवं 1997 में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की जानकारी

88–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश को वर्ष 1996 में वर्ष 1997 में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जून, 1996 के बाद अब तक लोक आयुक्त द्वारा निर्णीत कितने मामलों में दण्ड दिये जाने की कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

लोक आयुक्त संगठन में वर्ष 1996 एवं 1997 में दिनांक 23-7-1997 तक कुल 7709 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 6578 शिकायतों का निस्तारण किया गया ।

जून, 1996 से 23-7-1997 तक लोक आयुक्त द्वारा कुल 15 निर्णीत मामलों, जिनकी रिपोर्ट उनके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों को भेजी गयी, में से एक मामले में रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के लिये सावधान करने तथा दूसरे मामले में रिपोर्ट की प्रति शासन को भेजकर तथ्यों से अवगत कराने तथा कृत कार्यवाही की सूचना लोक आयुक्त संगठन को भेजने की संस्तुति की गयी है । ये संस्तुतियां दण्ड की श्रेणी में नहीं आती हैं ।

जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर स्थित डा० गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला-पुरुष चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित श्री अश्वनी कुमार मिश्रा द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री शेर बहादुर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अश्वनी कुमार मिश्रा निवासी अकबरपुर, जनपद अम्बेदकर नगर द्वारा अकबरपुर स्थित डा० गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला-पुरुष चिकित्सालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दिनांक 21-11-96 में कोई शिकायती-पत्र साक्ष्यों के साथ उ० प्र० शासन को भेजा गया है ? क्या उसकी जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी जनपद–अम्बेदकर नगर को दी गयी थी ? यदि हां, तो शिकायत क्या है ? जांच अधिकारी ने आरोप पत्र के किन-किन बिन्दुओं को सत्य पाया है ? अपनी रिपोर्ट में क्या संस्तुति की है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, अकबरपुर द्वारा की गयी है ।

दन्त चिकित्सक डा० जे० पी० वर्मा तथा डा० संजीव सिंह यादव का स्थानीय होना मुख्य चिकित्साधिकारी डा० एम० कुमार का निजी क्लीनिक खोलकर प्रैक्टिस करना तथा शासन की बिना अनुमति के प्रैक्टिस के स्थान अकबरपुर में अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने की शिकायत है ।

शिकायत के उक्त बिन्दु जांच में सही पाये गये ।

उक्त आरोपों को भ्रष्टाचार की श्रेणी में बताते हुए प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग अथवा सतर्कता अधिष्ठान से कराये जाने की संस्तुति की है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

आज की कार्य सूची में मेरा एक तारांकित प्रश्न संख्या–15 था कि क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1995-96 तथा 1996–97 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में वित्तीय संस्थाओं ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया ? यदि नहीं तो क्यों ? निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ? क्या प्रदेश में विगत वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में वित्तीय संस्थाओं का साख जमा अनुपात (क्रेडिट डिपाजिट रेसियो) निर्धारित मानक 60 प्रतिशत से बहुत ही कम रहा है ? यदि हां, तो निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने हेतु सरकार कौन सा प्रयास करने जा रही है ? इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात समझ गया हूं । मैं पत्रावली मंगाकर देख लूंगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं । राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जिले प्रदेशों में लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग देने का प्राविधान है उसकी समीक्षा राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की जाती है और जो लक्ष्य वित्तीय संस्थाओं को दिया जाता है उसमें उपलब्धि तय कर रखी है । इसमें 100 प्रतिशत उपलब्धि तय होनी चाहिए इसकी एकाउन्टीबिलिटी सीधे राज्य सरकार की है । 1993 में आर० बी०आई० के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आई०डी० बजाज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी और एक प्राविधान राज्य सरकार को दिया गया था और उस प्राविधान के आधार पर एक कोर ग्रुप गठित किया था इन संस्थाओं के आधार पर राज्य सरकार ने एक कोर ग्रुप का गठन किया है । इस कोर ग्रुप में बैंकों से दिये जाने वाले ऋण के लक्ष्य को निर्धारित किया गया । यह 1994–95 में 2453 करोड़, 1995–96 में 2854 करोड़, 1996–97 में 3412 करोड़ रुपये था । इसके विपरीत बैंकों द्वारा 1994–95 में 1551 करोड़, 1995–96 में 1145 करोड़ तथा 1996–97 में 1392 करोड़ रुपये का ही ऋण प्रदान किया गया । राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जनहित के जो कार्यक्रम हैं उनमें वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धि शत प्रतिशत होनी चाहिये जबकि आज प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है और यह राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा संचालित योजनाओं में जिनमें वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहयोग का प्राविधान है वह शत प्रतिशत उपलब्धि प्रदान करें लेकिन आज प्रदेश में वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धि बहुत ही निराशाजनक है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो व्यवस्था इस बात की उठायी कि इसे निरस्त नहीं होना चाहिये । मैं पत्रावली मंगा कर देख लूंगा । इस पर मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूं । मैं अपनी व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री केशो मेहरा–

संस्थागत मंत्री के अधीन एक समिति बनी है.....

श्री अध्यक्ष–

अभी केवल प्रश्न के निरस्तीकरण की बात है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, प्रश्न के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा तारांकित प्रश्न 4 है उसमें मैंने पूछा है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व राजस्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में गिरफ्तार अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान पर इससे पूर्व किन-किन थानों में कौन-कौन से अपराध पंजीकृत हुए थे ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में गिरफ्तार उपदेश सिंह को इस सरकार ने एक गनर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न को दोहराये नहीं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरा प्रश्न था कि कितने आपराधिक मुकदमें कायम किये गये हैं तो उत्तर आया है कि 48 मुकदमें कायम हैं । बेवर और भोगांव में, शाहजहांपुर और एटा और भिण्ड में 60 आपराधिक मुकदमें कायम हैं फिर भी इनको गनर दे दिया गया है । ब्रह्मदत्त द्विवेदी का कातिल है तो पूरी सूचना आ जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

शासन ने तो पूरी सूचना दे दी है लेकिन आपके हिसाब से अधूरी सूचना है ।

श्री राम औतार शाक्य–

एटा में, शाहजहांपुर में और भिन्ड में और कानपुर देहात में मुकदमें दर्ज हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 04 अगस्त, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 33 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गईं :–

आजमगढ़ नगर पालिका परिषद् के सभी मोहल्लों में उत्पन्न पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद–

[महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाते हुये यह सूचना करना चाहता हूं कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आजमगढ़ नगरपालिका परिषद् के मुहल्लों में पानी की भारी किल्लत है । लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिये तरसना

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पड़ रहा है । कुछ मुहल्लों जैसे मुकेदीगंज, पाण्डेयबाजार, गुलामीपुरा, जोधीपुरा, मड़पाएवलव, हर्रा की चुंगी, बाज बहादुर कोर्टर, सफदीपुर, मुसेपुर, सिधारी, बदरका पहाड़पुर, नरौली, जालरी, सिविल लाइन आदि में बसने वाली आबादी के लिये पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । कुछ जगहों पर इंडिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगे हैं जो प्रायः खराब पड़े रहते हैं । शहर में जो भी ट्यूबवेल लगे हैं । वह बहुत ही पुराने हो चुके हैं । कभी पम्प का फाल्ट होता है तो कभी ट्रान्सफारमर तथा बिजली की वजह से प्रायः खराब हो जाता है जिससे जनता को पीने तक पानी दूर से लाना पड़ता है इन व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु प्रशासन के पास कोई योजना भी नहीं है जिससे इस समस्या से उबरने की कोई आशा नहीं है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर तत्काल व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं ।]

मुजफ्फर नगर के कस्बा बुढ़ाना में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमीर आलम खान–

[मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में अतिक्रमण हटाने तथा सौन्दर्यीकरण के नाम पर पिछले 45 वर्षों से बसी बस्ती तथा बाजार को बिना किसी पूर्व सूचना दिये एवं बिना कानूनी कार्यवाही के बुल्डोजर द्वारा गिरवा दिया गया है । इस अभियान में उजड़े परिवार खुले आसमान के नीचे व बरसात में अपने परिवार को रखने के लिये मजबूर/विवश हैं । कई परिवारों के कारोबार उजड़ जाने के कारण बेरोजगार हो गये हैं उन लोगों को आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है । प्रशासन की इस कार्यवाही के कारण उजड़े लोगों के बच्चों की शिक्षा भी छूट गयी हैं । यह अभियान जिला मैजिस्ट्रेट मुजफ्फर नगर के आदेश पर उप जिलाधिकारी बुढ़ाना द्वारा कराया गया है । कुछ लोग हाईकोर्ट से इस कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश भी लाये थे किन्तु किसी की कोई सुनवाई नहीं की गयी ।

मान्यवर, बुढ़ाना तहसील का नाम उप जिलाधिकारी श्री गौड़ एक साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का अधिकारी है । इस अभियान में अधिकतर नुकसान अल्पसंख्यक वर्ग का हुआ है ।

इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में एक कमेटी सदन से गठित की जाय और इस प्रकरण में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये और जिसका जितना नुक्सान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाये ।]

(श्री लल्लू सिंह का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिये अगली सूचना ली गई ।)

जनपद हमीरपुर के ग्राम टूकां में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामाधार सिंह–

[महोदय, मैं आपका ध्यान ग्राम टूकां तहसील राठ जिला हमीरपुर में फैल रहे प्रदूषण के तरफ दिलाना चाहता हूं । उक्त आबादी और पक्की सड़क से जुड़ा मेहरबाबा ग्रेनाईट इण्डस्ट्रीज स्टोन क्रेशर लगा है जो नियमानुसार सड़क व आबादी से 500 मीटर की दूरी पर लगना चाहिये था परन्तु ऐसा न करके मात्र 15 मीटर की दूरी पर ही सड़क के किनारे यह इण्डस्ट्रीज लगा दिया गया है । जिससे प्रदूषण फैल रहा है आये दिन आबादी के लोगों को बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है । यहां तक कि जानवरों

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में भी भयंकर प्रदूषण से बीमारियां फैल रही हैं। यहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है और आये दिन प्रदर्शन व अनशन होता रहता है स्थिति विस्फोटक है और जनहित का प्रकरण है।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त इण्डस्ट्रीज को आबादी से 500 मीटर की दूरी पर स्थानान्तरित कर दिया जाये,जिससे फैल रही बीमारी से आम नागरिकों, जानवरों को राहत मिल सकें। यह कार्य अविलम्बनीय तथा लोक महत्व का है।]

कर्ण प्रयाग क्षेत्रान्तर्गत हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों के जीर्णशीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[महोदय, मैं इस बार कर्ण प्रयाग विधान सभा से तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैंने उ०प्र० की ग्यारहवीं व 12वीं विधान सभा में न केवल जीर्णशीर्ण भवनों के निर्माण हेतु प्रश्न उठाये अपितु नियम 301 और नियम 51 तथा नियम 311 जैसे नियमों में मैं लगातार प्रश्न उठाता रहा हूं। विधान सभा से लगातार आश्वासन भी मिलते रहे किन्तु अभी तक भी इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

दमदेवल, पैठाणी, खेड़ाखाल, जाख, कण्डारा, सकनोली, त्रिपाली, सैक, चाकीसैंण, चम्पेश्वर, सहित तमाम विद्यालय कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

मैं कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हाई स्कूल इण्टर कालेजों के भवनों का पुनः निर्माण किये जाने का विनम्र आग्रह करता हूं। कृपया कर सरकार को आदेश देने की कृपा करें।]

लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2 के निर्माण में की गई कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव–

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में अत्यन्त लोक महत्व का प्रकरण लेकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं। लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–2 के दो सहायक अभियन्ताओं के भ्रष्टाचार, फर्जी भुगतान और प्राक्कलन के विपरीत कार्यों में घटिया स्तर राष्ट्रीय राज मार्ग 24 के किलोमीटर 447 तथा 448 पर 2 लाख रुपये फर्जी बाण्ड बनाकर भुगतान किया गया। इसी मार्ग के किमी० 478, 475, 489, 490, 487, 424 तथा 491 में वर्ष 1995-96 अन्तर्गत एम०एस०एस० का कार्य घटिया किस्म का कराया गया मिट्टी और तारकोल लूट लिया गया। किमी० 464 तथा 466 में पटरी का गिट्टी कार्य में लाखों का फर्जी भुगतान कराया गया। कि०मी० 474 में स्थित अर्जुनपुर के निरीक्षण गृह प्रांगण में कार्य कराये बिना भुगतान ले लिया गया। इस प्रकार शिकायत है कि दोनों घोटाला करने वाले सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शासन में अनेक शिकायती पत्र और फैक्स भेजे गये लेकिन रिश्वत के बल पर उच्चाधिकारियों के पास ही शिकायती पत्रावली लम्बित करा दिया गया जिससे भ्रष्टाचार करने वालों को बल मिल गया है।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कराने एवं दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाना करम अली कोतवाली मेरठ (मेरठ) द्वारा कतिपय गुमशुदगी के मामलों में निष्क्रियता बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[श्रीमन्, कु० हिना लड़की मेरठ अपने ननिहाल में रहकर चर्चसिटी पब्लिक स्कूल मेरठ में पढ़ती थी, 12-12-96 से गायब है। काफी ढूंढने के बाद करमअली थाना, कोतवाली मेरठ में 28-12-96 में गुमशुदगी दर्ज है। मा० मुख्य मंत्री जी को प्रतिवेदन दिया गया था। परिणाम शून्य रहा।

परिवार पर 5 लाख रुपये देने के फोन आते रहे, पुलिस सक्रिय नहीं हुई।

अचानक 6-7-97 को सिविल लाइन थाना मुजफ्फरनगर ने खतौजी जनपद मुजफ्फर नगर निवासी अब्दुल्ला तथा असलम को पकड़ा। उन्होंने कु० हिना को अपहृत करना स्वीकार किया।

अतएव यह मुकदमा 364ए धारा आई०पी०सी० में कायम होकर मुजफ्फर नगर से मेरठ कोतवाली गुमशुदगी के संदर्भ में स्थानान्तरित हो गया।

खेद की बात यह है कि 6-7-97 से अब तक पुलिस न तो लड़की को बरामद कर पायी और न ही यह जानकारी कर परिवार को अवगत करा पायी कि क्या कोई दुर्घटना घट गयी है।

परिवार बेहाल है। मैं इस घटना को सदन के संज्ञान में लाकर पुलिस की निष्क्रियता दूर कर कु० हिना की परिस्थित परिवार को पता लग सके। ऐसी कार्यवाही का निवेदन करता हूं।]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं एक सूचना प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं।

जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में स्वीकृत कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्ण मासी पंकज–

[मान्यवर, जनपद भदोही के विकास खण्ड सुरियावां में शहीद ध्रुव लाल यादव कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत हुआ है किन्तु जो प्रबन्ध समिति विद्यालय निर्मित करना चाहती है उसके पास विद्यालय के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण जिलाधिकारी, भदोही द्वारा उक्त प्रबन्ध समिति का धन देने पर रोक लगा दिया है। चूंकि विद्यालय अत्यन्त आवश्यक है तथा "जयभारत माता कालेज" के नाम से मुख्यालय के समीप 2 एकड़ भूमि सेवा हायर सेकेंड्री सोसाइटी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसलिये शहीद ध्रुवलाल कन्या इण्टर कालेज के स्थान पर मुख्यालय के समर्पित "भारत मात" के नाम से कन्या इण्टर कालेज स्थापित करना जनहित में अत्यन्त लाभ कर होगा।

अतः स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखते हुये "जय भारत माता इण्टर कालेज" नाम से धन अवमुक्त कराने एवं विद्यालय निर्मित कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें।]

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं। श्री उबैदुर्रहमान, श्री अमर मणि, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्रीमती उर्मिला देवी, श्री गजेन्द्र कुमार (मुन्ना) एवं श्री राजपाल सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री यशवन्त सिंह, श्री सतीश महाना, श्री संग्राम सिंह, श्री बिन्दु लाल, श्री अरुणवीर सिंह, श्री हरीश चन्द्र "हरीशजी", श्री अजय कुमार पोइया, श्री तेजभान सिंह, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री राम सिंह सैनी, श्री बाबू लाल कुरील तथा श्री दीपलाल भारतीय (नियम–51 में परिवर्तित कर दी गई है।) श्री हरिशंकर तिवारी, श्री जोखू लाल यादव, श्री विजयपाल सिंह व श्री राम औतार शाक्य।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की सूचनाओं को मैं ले रहा हूं । आज की कार्यसूची को देखते हुए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उनमें तीन सूचनाओं पर मैं माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुनूंगा पहली सूचना माननीय अम्बिका चौधरी जी की है कृपया संक्षेप में बतायें ।

दिनांक 2 अगस्त, 97 को सदन की कार्यवाही रात्रि 12 बजे के बाद दिनांक 3 अगस्त 97 को बिना प्रस्ताव स्वीकृत कराये चलाए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरी सूचना पर बोलने का अवसर दिया है । श्रीमन् मैं उद्धृत नहीं करना चाहता हूं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सदैव इस बात पर आपका बल रहा है कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलनी चाहिए हमें प्रसन्नता और गर्व इस बात की है कि आप हमेशा नियमों के अनुसार निर्देश देते हैं और आपके संरक्षण में नियमों के अनुसार ही कार्यवाही होती है । आप देखें विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–15 (2) में स्पष्ट प्राविधान है कि जब तक सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा । पिछले दिन कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिश सदन में आई और जो सिफारिश सदन में स्वीकृत हुई उसमें पिछले शनिवार, जो बीत गया है 2 अगस्त को सदन की जो कार्यवाही चलाई गई रविवार तक चली । जैसा कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश थी उसमें अतिक्रमण होते-होते ऐसा मान लिया गया कि कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और सरकार ने किसी तरह का प्रस्ताव रखकर सदन की अनुमति अनिवार्य नहीं समझी और रविवार को भी सदन की कार्यवाही चलने दी गई ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान के प्राविधानों को ध्यान में नहीं रखते और सदन की अनुमति की आवश्यकता न मानते हुए कोई प्रस्ताव नहीं रखा और आपकी ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया । ताकि आपकी घोषणा कर देते । और कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की आवश्यकता को न मानते हुए इस स्थिति में अगले दिन के लिए भी चलाया जाय ।

मान्यवर, उसके पूर्व कभी ऐसा हुआ है तो वह मुझे पता नहीं है मेरी जानकारी में यह पहला अवसर रहा है कि रात को 12 बजे के बाद कार्यवाही चलायी गयी । इसीलिये यह औचित्य का प्रश्न उठाया है ताकि एक ऐतिहासिक फैसला आ जाय और भविष्य में यह कठिनाई न हो ।

मैं संविधान का अनुच्छेद 208 व 209 भी नहीं पढ़ना चाहता हूं । मैं संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वित्तीय मामलों के निपटाने के मामले में जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो संशोधन के रूप में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर ने जो संशोधन रखा था वह यह है वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने के प्रयोजन से किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा किसी वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक इस प्रकार बनायी हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन राज्य के विधान मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन राज्य के विधान मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो, और वहां तक ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा ।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत और तमाम है और उनकी जो कार्य संचालन नियमावली है उनमें हमारी जो प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है सर्वश्रेष्ठ है और उसमें प्राविधान है कि ऐसी विशिष्ठ स्थिति आ जाय तो उसके लिये निवेदन किया जाता है और अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं और तभी वह कार्य लिया जाता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री यदि आवश्यक समझते तो नियम 311 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित करके कार्य लिया जा सकता था । लेकिन संसदीय कार्य मंत्री और उनकी सरकार को कोई विश्वास संविधान, नियमों, परम्पराओं और सदन की मर्यादा को बनाये रखने में नहीं है । सदन का समय इतना सीमित कर दिया गया है कि कोई विषय लिया ही न जा सके । लेकिन आपने सदन में चर्चा के घण्टे बढ़ाकर, आपने काफी हद तक प्रयास किया है कि जो दिनों की कमी की गयी है उसको समय बढ़ाकर आपने पूरा करने का प्रयास किया है । मैं इसके लिये आपका व्यक्तिगत रूप से और सारा सदन भी इसके लिये आपका आभारी है ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं नियमों को तोड़कर जहर यह पैदा कर रहे हैं और शिव की तरह नीलकंठ आप न हो जायं और इस जहर को आप कंठ में धारण न करें और इनके जहर तथा जहर के प्रभाव को इनको लौटा दें, इनको प्रताड़ित करें और भविष्य में नियमों और संविधान तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का ध्यान रखते हुए पहले सोपान पर यह जो घटना हुयी है और तिथि बदल जाने के बाद जो कार्यवाही हुयी है उसको निरस्त करके पुनः चर्चा कराने और पुनः उस कार्य को लेने के निर्देश संसदीय कार्य मंत्री को देने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने औचित्य के माध्यम से अपनी बात कही है और उसमें नियमावली के नियम–15(2) को उद्धरित किया है कि जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा । मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है । कार्य मंत्रणा समिति ने शनिवार को अधिवेशन होगा इसके लिये सहमति दी । आपके माध्यम से उसे रखा गया और मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया और सदन ने उस पर स्वीकृति दी । इसमें कहां अनियमितता हो गयी ? जो व्यवस्था है, उसका पालन किया गया ।

जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि बारह बजे के बाद कार्यवाही चली तो मान्यवर यह अधिकार आपकी पीठ का है । आपने व्यवस्था दी । आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही चली । आपके द्वारा दी गई व्यवस्था के ऊपर कोई औचित्य का प्रश्न उठाना, आपकी व्यवस्था के ऊपर टीका टिप्पणी करना न तो इस सदन को न इस पीठ को शोभा देता है । कोई अनियमितता नहीं हुई है । आपके निर्देशों के तहत, आप में अधिकार निहित हैं । आप सदन की कार्यवाही चलाने के लिये व्यवस्था कर सकते हैं । आपकी व्यवस्था के तहत ही कार्यवाही चली है । इसलिये कहीं पर भी इसके नियम–300 के अन्तर्गत आने का सवाल ही नहीं है । सदन आपके निर्देशों के मुताबिक चला है इसलिये इसे अग्राह्य किया जाय । यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, नियम 15(1) में दिया है कि अध्यक्ष के निर्देश के अधीन रहते हुए सभा का उपवेशन साधारणतया 11.00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगा और तब तक चले जब तक उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा:-

मान्यवर, इसमें देख लें लिखा हुआ है कि जब तक कार्य सूची । यह नहीं लिखा गया है कि 12.00 बजे तक समाप्त हो जाय । जब तक कार्य सूची के सभी बिन्दु समाप्त न हो जायं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रक्रिया नियमावली के नियम-15(2) में यह प्राविधान है कि जब तक सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुटिट्यों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा । परन्तु उप नियम (1) के अनुसार सदन 11.00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होकर तब तक जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाय । दिनांक 2 अगस्त, 97 का कार्यक्रम अनुमोदित था और उसका कार्य 12.25 तक जारी रहा । माननीय सदस्य जो उपस्थित थे उन्हें याद होगा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि तारीख बदल गई । मैंने उसी समय व्यवस्था दे दी कि बैठक शनिवार वाली चल रही है चलती रहेगी तारीख या दिन बदलने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । संविधान का अनुच्छेद-209 इस प्रकरण में लागू नहीं होता । उसमें वित्तीय प्रयोजन के लिये जो बड़ा समय दिया गया है कि इतने समय में बजट पारित होना चाहिये किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है । इसलिये भी वह लागू नहीं होगा । ऐसी परिस्थिति में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता । मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सदन में अत्यधिक शोर गुल होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव तथा श्री अशोक कुमार सिंह की है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं आपने मुझे यह औचित्य का प्रश्न करने की अनुमति दी । मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कि संसदीय इतिहास में आप जैसा व्यक्ति इस पीठ पर अध्यक्ष के पद पर आसीन है । जिस तरह से निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, विद्वतापूर्ण आप कार्य का संचालन कर रहे हैं इससे सारे सदस्य आपके आभारी हैं ।

श्री अध्यक्ष-

यह जो सूचना आपने दी है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं । मान्यवर, किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन संविधान के अनुच्छेद-194 द्वारा जो माननीय सदस्यों के अधिकार हैं माफियाओं द्वारा उनका हनन हो रहा है । हम सब नये सदस्य सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भी हैं और बहुत से ऐसे पुराने माननीय सदस्य भी हैं ।

जो बहुत सी बातों को सदन में उठाना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से माफिया का शासन प्रदेश में चल रहा है कुछ विशेष वाक के माफिया सदन में आ गये हैं जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं । [x x x]

श्री अध्यक्ष-

जिन लोगों के नाम की तरफ इशारा है वह अपनी पहचान स्वयं करायेंगे ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप बैठ जायं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

इस तरह से इनको आरोप नहीं लगाना चाहिये यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

संविधान का मुझे आपसे कम ज्ञान नहीं है, मैं 13-14 वर्ष तक प्रोफेसर रहा हूं ।मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 में प्राविधान है कि .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो आपत्तिजनक बात है उसको निकाल दिया जाएगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

एक बिन्दु कहना चाहता हूं एक माननीय सदस्य ने अपनी बात नियमों के तहत ध्यान आकर्षण किया जाता है, बिना अनुमति के कह दी जिस व्यक्ति का नाम लिया [x x x] के संदर्भ में उन्होंने एक दल से उठकर बोलना प्रारम्भ कर दिया किसी माननीय सदस्य अज्ञानी नहीं कहा जा सकता है । मान्यवर, "टाकिंग इज सिल्वर, साइलेंस इस गोल्ड" जो न बोले वह अज्ञानी नहीं हो सकता तो इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मैं अपने अधिकारों के बारे में कहने जा रहा था । बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात से सदन को अवगत कराना चाहते हैं हमारी जिम्मेदारी है विधानसभा क्षेत्र की जो हमारे क्षेत्र की समस्यायें हैं उनको सदन में रखें । वाक स्वातन्त्रय संविधान के अनुच्छेद 194 में है । हम लोगों के वाक स्वातन्त्रय का हनन होगा तो सदन में हर विषय पर कुछ को ही बोलने का अवसर मिलेगा और अन्य माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को कैसे अवगत करायेंगे ? फिर तो हमें यही लगेगा कि सदन में हो-हल्ला किये बिना काम नहीं चलता है । इसके बगैर हम अपनी बातें सदन में ठीक ढंग से नहीं रख सकते हैं । इस विषय पर मैं अपकी व्यवस्था चाहता हूं आप इस पर विचार कर लें ।

(व्यवधान)

जिस समय उस पीठ पर अधिष्ठाता पीठासीन रहते हैं तो और लोगों को मौका नहीं मिलता है आप तो और सदस्यों को सुन लते हैं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित है और औचित्य का प्रश्न है । जिनको बहुत इच्छा बोलने की बीमारी हो तो एक दिन सदन में भाषण प्रतियोगिता हो जाए उसमें बुलवा दिया जाए ।

(व्यवधान)

और भी वरिष्ठ सदस्य हैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी है, ज्ञाता हैं वरिष्ठ सदस्य हैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख देते हैं दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं, डा० अशोक बाजपेयी जी हैं, इनको सुनने की इच्छा होती है ।

श्री अध्यक्ष–

नाम न लें ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

कुछ सदस्य हैं जो हर बात पर खड़े हो जाते हैं । जिससे नये सदस्यों को दिक्कत हो जाती है जब देखो वह खड़े हो जाते हैं । जिससे नये सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है इन [x x x] से मैं नये माननीय सदस्यों का संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

असंसदीय शब्द कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

आप जब तक इस पीठ पर हैं तब तक तो हम लोगों को संरक्षण मिलता रहेगा लेकिन उसके बाद क्या रूपरेखा होगी यह नहीं कहा जा सकता है । मैं आपसे न्याय की [x x x] मांग रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं । आप दूसरों के बारे में कह रहे हैं लेकिन अब स्वयं तो इस तरह की बात न करें ।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, ज्ञान तो हम नये लोगों के पास भी कम नहीं है मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में लेक्चरर रहा हूं लेकिन हम इस तरह से बात बात पर खड़े नहीं हो जाते हैं ।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इन [x x x] के साथ साथ [x x x] से भी निजात दिलाने की कृपा करें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी आप बैठ जायं । इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का अधिकार बराबर है । जो माननीय सदस्य बोलते हैं वह अध्यक्ष पीठ या अधिष्ठाता की अनुमति से बोलते हैं । आपने अधिष्ठाता के ऊपर आरोप लगा दिया । उसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा । आपकी सूचना में एक दो शब्द ऐसे हैं जो असंसदीय तो नहीं हैं लेकिन वह अच्छे नहीं हैं । उसे इस सूचना से निकलवा दूंगा । सभी सदस्य विद्वान हैं, सभी ज्ञाता हैं, सभी का अधिकार बराबर है, उनकी विद्वता का ही परिचायक है कि वह सभी सदस्य आपकी बातों से शान्त बैठे रहे ताकि उनकी पहचान न सिद्ध हो जाय । आपने कुछ बातें गम्भीर कही हैं तथा कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बातों में हास्य का भी पुट दे दिया । मेरा सदैव यह प्रयास रहता है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले । ताकि सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल जाय । अन्त में इस अपेक्षा के साथ कि सभी माननीय सदस्यगण एक दूसरे का सहयोग करेंगे मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।

औचित्य के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

तीसरी सूचना डा० अशोक बाजपेयी व श्री ओम प्रकाश की है ।

आपने अपनी सूचना में अतारांकित प्रश्न संख्या का उल्लेख नहीं किया है ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में आपकी व्यवस्था चाही है । मैंने 30 जुलाई, 1997 को अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के द्वारा सरकार से जानकारी चाही थी उसके संबंध में जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न संख्या लिखकर दूसरी सूचना दे दीजिये, चूंकि सदन की कार्यवाही से संबंधित है,इसलिये मैं आपको सुन लूंगा । शेष सूचनायें जो नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं– उनमें डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक'' की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के बारे में 3 बार प्रस्ताव पारित किये जाने के बारे में है, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल व श्री समर पाल सिंह की विधान सभा द्वारा पारित बजट से अधिक धनराशि उ० प्र० राज्य सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा व्यय किये जाने के बारे में है, श्री रघुवर दयाल वर्मा की, जनपद मथुरा की नगर पंचायत गोवर्धन के अध्यक्ष को पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार न दिये जाने के बारे में, श्री हरिशंकर तिवारी की विधान सभा सदस्य श्री के० सी० सिंह बाबा को कई खेलों में कीर्तिमान स्थापित किये जाने के बावजूद सम्मानित न किये जाने के बारे में, श्री अमरमणि की बसपा तथा भाजपा द्वारा छः-छः महीने के लिये सरकार चलाये जाने के समझौते के बारे में एवं डा० अशोक बाजपेयी की लखनऊ नगर निगम द्वारा ककरोही गांव की 43 बीघा जमीन सस्ते दामों पर बेचे जाने के बारे में है, को निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी,अरबों रुपये का घोटाला सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में हुआ है जो बजट की सीमा थी उससे अधिक धन खर्च किया गया है । इसमें जो तकनीकी समिति की जो रिपोर्ट आयी है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैंने इसे निरस्त कर दिया है । कल आप दूसरी सूचना दे दीजियेगा तो मैं विचार कर लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कल मैं नियम 56 के अन्तर्गत दूंगा ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4-8-97 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ।

पहली सूचना सर्वश्री प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल, नरेश चन्द्र अग्रवाल, सम नरेश यादव, सतीश शर्मा, वीरेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, सुरेन्द्र नाथ, हरिशंकर तिवारी, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, दिलीप कुमार, गौरी शंकर एडवोकेट, समरपाल सिंह, दयाशंकर, गजेन्द्र कुमार (मुन्ना), ओम प्रकाश, डा० अशोक बाजपेयी, डा० वकार अहमद शाह, चन्द्र नाथ सिंह, चन्द्र पाल सिंह यादव व अशोक कुमार सिंह की नियम 311 में प्राप्त हुई है । डा० अशोक बाजपेयी की सूचना 311 व 56 दोनों में विकेन्द्रित योजनाओं के अन्तर्गत जिला/विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं के निर्धारण में माननीय विधायकगणों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के संबंध में है ।

इसके साथ ही पूर्वांचल निधि से सम्बन्धित सूचना भी है, इन सारी सूचनाओं को एक साथ कर दिया गया है ।

विकेन्द्रित योजनाओं के अन्तर्गत जिला विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं के निर्धारण में माननीय विधायकगणों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जो प्रश्न नियम 311 या नियम 56 के अन्तर्गत अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा कार्य-स्थगन या और नियमों को निलम्बित करके इस प्रश्न को स्वीकार करने का अनुनय, विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें वह भी सदस्य भले ही सत्ता पक्ष के हों, उनकी भावनायें भी निहित हैं, जो किन्हीं नियमों के अन्तर्गत कार्यस्थगन के रूप में इस प्रश्न को नहीं दे सकते क्योंकि उनकी बाध्यता है, सत्तारूढ़ दल में होने के नाते, सहयोगी होने के नाते । वह एक सदस्य के रूप में रहने के बावजूद इस नियम के अन्तर्गत नहीं दे सकते । अगर इन नियमों से ऊपर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठकर कार्यस्थगन की भावना को देखें, तो मैं समझता हूं कि सारा सदन इस पर सर्वसम्मति से सहमत रहेगा । मान्यवर, निरन्तर जब विधायिका का गठन, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने के बाद विधान सभा का गठन होता है और जनता के, मतदाताओं के क्षेत्र के विकास की अपेक्षा उनको जनप्रतिनिधियों से होती है । निरन्तर विकास की अपेक्षायें, विकास की आकांक्षायें बढ़ती जा रही हैं, जिससे आज एक जन प्रतिनिधि के लिये,उसके सामने विवशता और कठिनाई की स्थिति उत्पन्न हो रही है ।

आज जो दूसरी अन्य योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं को किन्हीं एक सरकार की प्राथमिकताओं को निर्धारित करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, जिससे आज क्षेत्रों में स्थिति यह हो रही है कि एक भी विधान सभा का सदस्य अपने क्षेत्र के किसी गांव का अपनी मर्जी से विद्युतीकरण नहीं करा सकता, एक भी हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 अपनी मर्जी से नहीं लगवा सकता, गांव की सड़क तक नहीं बनवा सकता । एक विधायक के क्षेत्र में 300-400 गांव मजरे मिलाकर होते हैं । जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद बड़े विश्वास के साथ, आस्था लेकर वह विधान सभा में आता है, लेकिन अपने कार्य का निर्वहन करने में वह अपने आपको असमर्थ पाता है, उसी नाते,उसी मंशा से,उसी मूल भावना से मैं इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं । आज केन्द्र/केन्द्र सरकार ने, लोकसभा व राज्य सभा सदस्यों के लिये, उनकी कठिनाईयों को देखते हुये सांसद निधि का गठन किया है, जिससे आज विभिन्न लोक सभा के क्षेत्रों में ये सांसद, जहां कोई भी जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति में कहीं भी अपनी उस निधि से पैसा देने में सक्षम हैं, जिससे वह उपहास और अपमान की स्थिति से बच सकते हैं ।

मैं केवल लोकसभा और राज्यसभा का उदाहरण ही नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी तुरन्त कह देंगे कि वह तो केन्द्र की सरकार ने किया है, केन्द्र सरकार के पास संसाधन हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है । मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के तमाम ऐसे राज्य हैं, जहां की सरकारें इसे कर रही हैं । यहां तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, जहां एक विधायक का क्षेत्र कुल 10 से 15 किमी० से ज्यादा नहीं है, वहां विधायकों को 1 करोड़ रुपया दिया गया है । केन्द्र सरकार अपने सांसदों के लिए दे सकती है, दिल्ली सरकार विधायक निधि गठित कर सकती है । इसी प्रकार मध्य प्रदेश में विधायक निधि गठित हो सकती है, बिहार जैसे राज्य ने पहले अपने विधायकों को 25–25 लाख दिया अब 50–50 लाख कर दिया गया है तो कदाचित मैं समझता हूं कि इस सदन को यह पहल करनी चाहिये थी । मैं चाहता हूं कि इस विषय को सर्वसम्मति ढंग से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये, उत्तर प्रदेश की सरकार आज विधायक निधि की घोषणा करे और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये एक-एक करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो नियम 311 के माध्यम से हम लोगों ने आज सदन को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की मांग किया है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई दूसरा नहीं हो सकता है ।

हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद् में जो लोग बैठे हैं उनको छोड़कर शेष इधर और उधर दोनों तरफ के हर माननीय सदस्य आज वह इसलिए उद्वेलित हैं कि उसकी स्थिति 5–6 वर्षों में ऐसी हो गयी है कि वह नाम मात्र का विधायक रह गया है और क्षेत्र के विकास में आज उसका कोई हाथ नहीं रह गया है । यदि यह सरकार मान लिया जाय गठबंधन की सरकार एक साल की है, 4 महीने के अन्दर जो क्षेत्रों में धन गया है उससे विधायक से कहीं पूछा नहीं गया है । जैसा पाल जी ने कहा है हैण्डपाइप के संबंध में सदन में कई बार स्पष्ट घोषणा हुई है कि वह विधायकों की संस्तुति पर लगाये जायेंगे । लेकिन (इस

समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुए) । आज न हैण्डपाइप लग रहे हैं और न सड़कें ही विधायकों की संस्तुति पर बन रही हैं ।

मान्यवर, देखा जाय तो लोकसभा के सदस्य भी इसमें भागीदार हो गये हैं जब कि एक-एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दिया जाता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज न तो ट्यूबवेल लग रहे हैं और न विकास के कोई कार्य ही विधायक के कहने पर होते हैं । इसके साथ ही एम०एल०सी० को भी जोड़ दिया गया है । इसलिए आप से और सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इसे पक्ष-विपक्ष का सवाल न बनाकर सरकार को आज घोषित करना चाहिए कि विधायक निधि बनायेंगे और संसदीय कार्यमंत्री जी इसकी यहां घोषणा करें जैसा कि राज्य सभा और अन्य प्रान्तों में हुआ है । मैं चाहता हूं कि आज इसका निराकरण सरकार सदन में कर देगी ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां दल की सीमा से ऊपर उठकर समस्यायें होती हैं और वह दल की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से संबंध रखती हैं । मान्यवर, आज जो समस्या हम लोग लेकर यहां आये हैं उसे दलों के बंधन से नहीं बांध सकते हैं और न व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के क्षेत्र से ही बांधा जा सकता है ।

मान्यवर, पृष्ठभूमि में देखें तो वर्ष 1989 में चुनाव हुआ, सरकार डेढ़ साल चली, 1991 में दोबारा चुनाव हुआ और 1993 में पुनः चुनाव हुआ एवं फिर 5 साल पूरे नहीं हुए और 1996 में फिर चुनाव हो गये । इसलिए आज अस्थिरता का दौर है और आप देखें कि 6 सालों में 4 चुनाव लड़ चुके हैं । मान्यवर, चुनाव के लिए 5 वर्ष का समय होता लेकिन इस तरह जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई सदस्य क्या परिकल्पना कर सकता है कि वह अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकेगा ?

मान्यवर, डेढ़ साल के बाद विधान सभा भंग हो जाती है आज विधान सभा इतिहास यही है । मान्यवर, जब तक नये सदस्य आते हैं पुराने सदस्य आते हैं और जब तक वह सदन की समस्याओं से रूबरू होते हैं उसकी समस्याओं के निदान का प्रयत्न करते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है । मान्यवर, आज स्थिति क्या है जो सरकार आती है उसको जल्दी रहती है वह चाहती है कि अपने कार्यकाल में जो घोषणा हैं उसको पूरा कर लें क्योंकि दूसरी सरकारों पर विश्वास नहीं है सच बात तो यह है कि इन सरकारों को अपनी जिन्दगी पर ही विश्वास नहीं है । जो यह सरकार भारतीय जनता पार्टी और बसपा की बनी है उसमें 6–6 महीने की एक व्यवस्था की गयी है इसमें मैं कुछ नहीं कहता हूं कि यह उनकी एक राजनीतिक सोच है, गठबन्धन है और इसे करने के लिए वह सक्षम हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही आ रहा हूं जो भूमिका मैं बना रहा हूं उसे बना लेने दें ।

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि यह जो भाजपा बसपा गठबन्धन की सरकार है, माननीया मुख्यमंत्री जी का कमिटमेन्ट है 6–6 महीने का उचित ही कर रही है मैं उसमें कुछ नहीं कहता हूं । मान्यवर, अम्बेडकर गांवों को वह पूरी तरह से सुसज्जित करना चाहती हैं वह उनका कमिटमेन्ट है अब उसे पूरा करने के लिए धन नहीं है तो पूर्वांचल विकास निधि से, बुन्देलखण्ड विकास निधि से आदि तमाम निधियों से धन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है । मान्यवर, सरकार के मंत्रियों की बात मैं नहीं करता हूं लेकिन विधायकों की स्थिति यह है कि आज वह अपने क्षेत्र में अपनी मर्जी से चाहते हुए भी एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनवा सकता है । जब नहीं बनवा सकता है तो वही मतदाता दिखाई पड़ता है । मान्यवर, 1989 में मैं जहां गया था सड़के नहीं थीं तो 91 में, 93 में मैं उसे नहीं करा पाया और 96 में नहीं कर पाया । मान्यवर, मात्र एक लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च करके गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा सकता है पर मेरे पास धन नहीं है । यह विकेन्द्रीकरण का जमाना है । ऐसे में विधायक से ज्यादा कौन उचित पात्र हो सकता है अपने क्षेत्र की समस्याओं से क्योंकि गांव -गांव से उसका सम्बन्ध रहता है ।

मान्यवर, सांसदों के प्रति मैं अपमानजनक बात नहीं करता हूं लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जितना सम्पर्क विधायकों को अपने क्षेत्र से रहता है उतना सांसदों का नहीं रहता है । लेकिन विधायक करें क्या, सांसद को तो एक करोड़ रुपया मिल जाता है जिसको क्षेत्र का ज्ञान नहीं और जो विधायक समस्याओं से जूझते रहते हैं उनको एक लाख रुपया भी नहीं दिया गया है कि वह समस्या का समाधान कर सकें ? राज्यसभा के सदस्य जिनकी मतदाताओं से कोई जिम्मेदारी नहीं है. जवाबदेही नहीं वह भी एक करोड़ का थैला लिये घूम रहे हैं और विकास करा रहे हैं ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी का जवाब भी मैं जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि जब यह समस्याएं हैं तो उनका समाधान विधायक करेगा । विधायक कोई अपने लिये नहीं करेगा, यह निधि वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं मांग रहा है यह निधि वह पूरा तरह से क्षेत्र के लिए मांग रहा है जिसके विकास की जिम्मेदारी सरकार पर है । मान्यवर, एक करोड़ रुपया हमें दे दीजिए ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक प्रश्न आयेगा, माननीय मंत्री जी खड़े होंगे और यह कहेंगे कि सरकार इसलिए नहीं दे सकती है. क्योंकि बजट में इसकी सूचना नहीं है । कहा जायेगा कि बजट में इसके लिए आवंटन नहीं है । अगर आप एक करोड़ की राशि देंगे तो 425 करोड़ रुपया व्यय भार आयेगा फिर 50 लाख देंगे तो 212 करोड़ 50 लाख आयेगा । हम विरोधी दल के नेता यह जिम्मेदारी लेते हैं, एक हफ्ते के अन्दर हम बता देंगे यदि घोषणा कर देंगे समिति बनाने की, कि 425 करोड़ रुपया कहां से आयेगा यह हम आप को बजट से निकाल कर बता देंगे । अगर नहीं सुझा सकेंगे तो हमारा दोष । मैं निवेदन करूंगा कि दल की तरफ न देखें । सत्तारूढ़ और विपक्ष सभी के सदस्यों का मामला है । एक निर्णय सदन को लेना चाहिए सभी विधायकों के क्षेत्र में एक करोड़ की विधायक निधि की घोषणा करें । यह प्रदेश के हित में होगा, जनहित में होगा और आज के अस्थिरता के युग में एक बहुत बड़ा कल्याण होगा इससे ज्यादा लोकमहत्व का और कोई प्रश्न नहीं हो सकता । इसमें कृपा पूर्वक एक करोड़ की धनराशि के लिए सरकार को विवश करें ।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्रों की समस्याओं से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं । विकास का पैसा कहां लगना चाहिए माननीय सदस्य ही अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा बता सकते हैं । जो क्षेत्रीय जनता है उसकी निर्वाचित विधायक से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं । लेकिन आज स्थिति विधायक की इतनी दयनीय हो गयी है कि जो पैसा जाता है सरकार की प्राथमिकता उस पर है उस हिसाब से खर्च किया जा रहा है कोई अधिकारी जहां चाहता है वहां खर्च होता है राज्य सरकार जहां चाहती है वहां खर्च होता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । मान्यवर, सम्पर्क मार्ग की यदि कहीं सबसे ज्यादा आवश्यकता है विधायक उसे नहीं करा सकता एक लाख दो लाख का काम वो नहीं करा सकता है । पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है विधायक उस कार्य को नहीं करा सकता यह जानते हुए भी कि कहां हैण्ड पम्प की जरूरत है उसमें विधायक असहाय है । इससे ज्यादा आज असहाय स्थिति किसी विधायक की नहीं हो सकती ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, माननीय सांसदों को राज्य सभा के सदस्यों को एक करोड़ रुपया दिया गया है राज्य सभा के पास क्षेत्रीय जनता ज्यादा जाती नहीं, संसद सदस्य बहुत कम क्षेत्र में जाते हैं । विधायक के विवेक पर पैसा नहीं है कि वे राहत दिला सके । मान्यवर, यह किसी दल से जुड़ी हुई बात नहीं है । पैसा विकास के काम में लगे और प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके । जहां सही आवश्यकता है वहीं खर्च किया जाय । मान्यवर, जब केन्द्र सरकार दे सकती है, दिल्ली की सरकार अपने सदस्यों को जिनका क्षेत्र 5–10 किलोमीटर होता है, एक करोड़ रुपया दे सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार दे सकती है तो ऐसी कौन सी बाधा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे सकती है ?

मान्यवर, इसमें दलीय नेताओं की बैठक बुलालें माननीय मुख्य मंत्री जी से उस पर विचार कर लें कि धनराशि कहां से आयेगी सभी विधायकों को एक करोड़ रुपया दिया जायेगा ।

*श्री हुकुम सिंह–

ऐसा कोई नियम नहीं है कि नियम–56 में हम नहीं बोल सकते हैं । अभी माननीय मंत्री जी का बयान आ जायेगा इस सरकार का बयान आ जायेगा । हम सत्ता पक्ष में जरूर हैं लेकिन पहले हम विधायक हैं । मैं तीन चार बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, जब से माननीय सांसदों को एक-एक करोड़ रुपया विकास के लिए मिला है तब से हम सदस्यों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि हम लोग क्या करें, हमारी भूमिका क्या है ? इसके पहले यह बात नहीं थी । परसों सभी सांसदों का सम्मेलन हो रहा था और माननीय स्पीकर साहब भी मौजूद थे । उसमें यह कहा गया कि जो एक करोड़ रुपया आपको प्रदेश के विकास के लिए मिला है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं ? तो 80 फीसदी लोगों का बयान यह था कि जो एक करोड़ रुपया हमको दिया गया है, वह अधिकारी लिये बैठे हैं और उस पैसे को रिलीज नहीं कर रहे हैं । अतः जो एक करोड़ रुपये से विकास के लिए जो जनता की अपेक्षाएं हमसे थीं वह पूरी नहीं हो पा रही हैं ।

आज विधायकों के सामने यह प्रश्न खड़ा है, लोग हमसे कहते हैं कि सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ तो हम कहां से इसका निर्माण करायें । मेरा सुझाव है कि जैसे दिल्ली में दिया, राजस्थान में दिया गया और मध्य प्रदेश में दिया गया है उसकी तरह से हम लोगों को भी पैसा मिलना चाहिए । इसमें मैं चाहूंगा कि विधायकों की एक समिति बना दी जाये जो कि एक महीने में या दो महीने में इस समस्या का अध्ययन कर ले और अपनी रिपोर्ट दे दे उसके बाद निर्णय ले लें । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक मिनट में खड़े होकर बोल देंगे । मान्यवर, यह एक पक्ष का मामला नहीं है इसमें दोनों पक्षों को बैठकर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए । यह किसी एक की समस्या नहीं है बल्कि समूचे विधायकों की समस्या है और इसमें निर्णय लिया जाना है । अतः इसमें एक समिति गठित कर दी जाय विधायकों की, जो कि इसका अध्ययन कर ले ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, सदन के सामने जो प्रस्ताव आया है विधायक निधि का यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जानकारी में है कि इस देश के कुछ राज्यों को, वहां के विधायकों को, विधायक निधि के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिल रहा है और यही स्थिति सांसदों की भी है । तो ऐसी स्थिति में हम 425 विधायकों को, अभी यह कहा गया कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस निर्णय में सोचना चाहिए, सबको इस बात की चिन्ता है कि हम इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ करें और इस हेतु कुछ धन हमें

मिलना चाहिए । हम सभी को इस बात की चिन्ता है और हमारे क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हैं ।

मान्यवर, आज विधायक लोग अपने-अपने क्षेत्र में विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यह बड़ी विचित्र स्थिति है । तो मैं समझता हूं कि इन मंत्री लोगों की भावना भी है, भले ही यह लोग स्पष्ट न कह सकें, उनकी भी मजबूरी है लेकिन उनके मन में है .. मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं, आप भी सदन की भावनाओं से सहमत होंगे । पिछले दिन यह प्रश्न आया था और उसके बाद आज यह आया है । सम्मानित सदस्य हुकुम सिंह जी ने जो सहमति जताई है, उसके लिये मैं उनका अभिवादन करता हूं । महोदय एक कमेटी बनाकर एक महीने तक इंतजार करने का प्रश्न नहीं है, लोक सभा में इसी प्रकार का प्रश्न आया था, तो उसी समय घोषणा हो गयी थी और फिर सारा मामला चलता रहा और कार्यकारी संस्थायें हैं, वह उसका पालन करती हैं । जहां तक विधायक की कमेटी बनाने का प्रश्न है, क्या विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी नहीं है । वह जानता है कि उसके क्षेत्र में क्या-क्या कमियां हैं, तो वह योजनाबद्ध प्रस्ताव भेजेगा ।

सचमुच में विधायक अपने लिये नहीं करता है वह अपने क्षेत्र के लिये और प्रदेश के विकास के लिये करता है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वह कभी-कभी हम लोगों की बात स्वीकार कर लेते हैं और कभी-कभी तो ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिससे लगता है कि दूसरी स्थिति बन रही है और माननीय सदस्य दूसरा कदम उठाने के लिये मजबूर हो जाते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मा० मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर विचार कर लिया है और यह घोषणा करेंगे कि 1 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, प्रदेश के हित में और आने वाले समय को देखते हुये घोषणा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

डा० अशोक बाजपेयी की सूचना है और श्री गौरी शंकर एडवोकेट की सूचना है ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मा० अध्यक्ष महोदय नियम–311 में सूचना सदन में है । मान्यवर, इससे ज्यादा लोक महत्व और तात्कालिक दूसरी सूचना नहीं हो सकती है । विधायक के विकास निधि का प्रश्न नहीं है. यह जनतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बना रहे, उसका प्रश्न है । 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र से एक विधायक चुन कर आता है और ढाई लाख उसके मतदाता होते हैं । मतदाता यह समझते हैं कि विधायक हमारे विकास के कार्यों को करेगा, लेकिन इधर पिछले कई वर्षों से विधायक की विकास कार्यों से सम्बन्धित भूमिका सीमित होती जा रही है । वह जनता में जो आश्वासन देता है, उसे पूरा नहीं कर पाता है । सबसे बड़ी चिन्ता इसलिये हो गयी है कि संविधान के 73वें संशोधन से पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है तो जिला नियोजन समितियों का स्वरूप बदल जायेगा । जिस दिन से यह पंचायतराज संशोधन विधेयक लागू हो जायेगा विधायक की भूमिका सीमित हो जायेगी । हम विकास के कार्य नहीं कर पायेंगे । क्षेत्र के विकास के लिये वह कार्य नहीं कर पायेगा इसके लिये एक निधि की स्थापना हो और उसी से वह विकास के कार्यों को करे ।

मान्यवर, अम्बेडकर गांव के नाम पर विकास का कार्य हो रहा है । इससे एक सत्ता पक्ष के केवल 65 लोग लाभान्वित हो सकते हैं । जनता में लगातार यह भ्रम होता है कि यह एक पार्टी का कार्यक्रम है । 70 हजार गांव में केवल 10 हजार गांव चयनित हो सकते हैं । हम हैण्ड पम्प नहीं लगवा पा रहे हैं, एक बिजली का खम्भा नहीं खड़ा करवा पा रहे हैं तो हमारे सदस्य होने का क्या अभिप्राय होगा । मान्यवर, इसलिये इस विधायक निधि की आवश्यकता है । एक जिले में 8-9 विधायक होते हैं अगर 10 करोड़ की विधायक निधि बना दी जाये तो अच्छा रहेगा । शिक्षा पर जितना व्यय होना है, उसको निर्धारित कर दिया जाये, लेकिन प्राथमिकता तय करने का अधिकार विधायक का होना चाहिये ।

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कई दूसरी योजनाएं सरकार की देख-रेख में चल रही हैं परन्तु जनता की उनमें उतनी सहभागिता नहीं हो सकती है । केवल विधायक विकास निधि ही एक ऐसी निधि है जो जनता के सर्वांगीण विकास व उनकी भावनाओं के अनुरूप का प्रतीक है । इस निधि के माध्यम से जनता से संबंधित विकास के कार्य भी होंगे, उन पर जनता की निगरानी भी रहेगी, कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और प्राथमिकता के आधार पर जनता के समन्वित विकास के काम भी हो सकेंगे । मान्यवर, भले ही माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आज इसका कोई गोल-मोल जवाब दे दें । लेकिन 31 सितम्बर के बाद जब वह भूतपूर्व हो जायेंगे तो उस समय केवल विधायक विकास निधि से ही जनता में विश्वास और विकास के कार्य को कर सकने में सहायक हो सकेंगे ।

मान्यवर, चाहे इधर बैठे सदस्य हों या उधर बैठे सदस्य हों सभी अंतरमन से इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि विधायक विकास निधि की स्थापना होनी चाहिए । जहां सांसदों को विकास के नाम पर एक-एक करोड़ रुपया मिलता है जिसे वह प्राथमिकता के आधार पर अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को करवाते हैं, यहीं पर मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय जनता की समस्याओं से जितना विधायक सीधा जुड़ा हुआ होता है उतना सामाजिक जीवन में कोई दूसरा जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ा होता है । हमारे पास क्षेत्र की जनता समस्या लेकर आती है परन्तु हम उनका निराकरण नहीं कर सकते, अब तो मान्यवर, जब से एक-एक साल के लिए विधायक होने लगे हैं उससे जनता का काम तो हो ही नहीं पा रहा है । क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो यह कहते हैं कि आप के वहां ट्यूबवेल लगा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे । परन्तु जब हम दोबारा इतनी जल्दी चुनाव में पहुंच रहे होते हैं तो वहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ होता है । ऐसी स्थितियों से मान्यवर, आज इस लोकतंत्र की सबसे गरिमामय इस आदरणीय सदन के प्रति भी प्रश्न चिन्ह लग गया है और जनता यह महसूस करने लग गई है कि विधायक केवल कोरी घोषणायें करते हैं और उन्हें कार्यरूप नहीं देते हैं इसलिए मान्यवर, प्रदेश की 15 करोड़ की जनता के विकास से जुड़ा हुआ यह एक तात्कालिक महत्व का प्रश्न है, उनकी समस्याओं के निराकरण से संबंधित यह प्रश्न है इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता । इसलिए मान्यवर, आप इसमें कोई ऐसी ठोस व्यवस्था करें ताकि मंत्री जी कोई हीलाहवाली इसमें न कर सकें ।

मान्यवर, आप एक विद्वान और विधायकों की समस्या को समझने वाले व्यक्ति हैं और आप भी निरन्तर इस समस्या से जूझते रहे हैं इसलिए कि एक विधायक विकास निधि की स्थापना करवा लें । इसमें कहीं से पैसा भी नहीं लाना है, जनपद से ही इस पैसे को लिया जाना है, इसलिए एक-एक करोड़ रु० के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर विधायक जो काम करवाना चाहें उसे वह करा सकें । इसमें सरकार को कहीं से अतिरिक्त संसाधनों को नहीं जुटाना है । इस विकास निधि से जनता की जो समन्वित विकास की आकांक्षा है वह पूरा हो सकेगी और जिन अंचलों व गांवों में आज तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है या जिसे यह सरकार नहीं पहुंचा पाई है वहां पर विकास की किरण पहुंच सके इसके लिए मान्यवर, आज आप इस आदरणीय सदन के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दें "विधायक विकास निधि के" नाम पर जिसे देश की दूसरी संस्थाएं भी याद करें और उसका आदर करें । इसलिए मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप कोई न कोई सुनिश्चित व्यवस्था इस पर देंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही रोककर इस पर विस्तार से चर्चा करवायें ताकि दूसरे बिन्दु भी आ सकें और माननीय मंत्री जी को निर्णय लेने में आसानी हो सके ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सूचना 311, 300 को आपने नियम–56 में परिवर्तित कर मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं । मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्यों से संबंधित प्रश्न है अगर जनता की समस्याओं के निराकरण से संबंधित प्रश्न है । इसलिए इस विषय के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, आपका भी एक लम्बा संसदीय जीवन रहा है और आपने भी इसे महसूस किया होगा । 1974 से पहले जब मैं इस आदरणीय सदन में आया तब से लगातार उन 20–25 सालों में विधायक की अथार्टी का डाइल्यूशन होता आ रहा है ।

श्रीमन् आप स्वयं अवगत हैं पहले जब एक प्रश्न विधायक का चला जाता था तो पूरे जनपद में हड़कम्प मच जाता था और अगर आश्वासन बन जाता था तो पूरे जिले में एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता था और वहां के अधिकारी पीछा नहीं छोड़ते थे विधायक का, कि क्या बात हो गई जिससे माननीय विधायक को यह प्रश्न पूछना पड़ा । धीरे-धीरे वह विधायक की स्थिति डायल्यूट हो गई है । और अब एक हैण्डपम्प लगाने के लिए भी वह सक्षम नहीं है । तमाम गांव के लोग अपनी मांग लेकर आते हैं कि उनके वहां हैण्डपम्प लगा दिया जाये लेकिन आज विधायक के कहने पर यह नहीं हो पा रहा है । तमाम योजनाएं डी० आर० डी० ए० और एक नई योजना एस० आर० वाई० आ रही है उसमें हिस्सेदारी और कम हो गई है । जो माननीय सदस्यगण के संज्ञान में है । जो पहले एक लिस्ट विधायक दे देता था उस हिसाब से हैण्डपम्प लग जाया करते थे । लेकिन आज मैं लखनऊ का उदाहरण देता हूं, लखनऊ जनपद के सी० डी० ओ० ने आदेश दे दिया है कि इस प्रकार की जो लिस्ट पहले बनी है, उसको तत्काल रोक दिया जाए । यह स्थिति लखनऊ की ही नहीं सभी जनपदों की है, पूरे प्रदेश की यह बात है सभी सदस्यों के संज्ञान में यह होगी । जरा आप मालूम करा लीजिए कि जिलाधिकारी या सी० डी० ओ० के माध्यम से यह पत्र जा रहा है । उसमें कहा यह जा रहा है कि जो 1993 में पंचायत ऐक्ट के अनुसार सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हुआ है उसके हिसाब से अब वह लिस्ट बनेगी । मान्यवर, आप जानते हैं कि यह पंचायत ऐक्ट के बारे में प्राप्त सहमति लोगों में नहीं हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावत साहब ने पंचायत राज ऐक्ट में परिवर्तन चाहा है । शेखावत वांट्स पंचायत राज ऐक्ट बी एमेंडेड । पंचायतों को अधिकार देने में अभी राम राय नहीं है । अभी जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है उसमें भी यह बात आई है । जितने भी मुख्य मंत्री या मुख्य मंत्रीगण या सदस्यगण हैं सब इस पीड़ा से अवगत हैं । अब जो एस० एन० डी० ए० की लिस्ट दे दी है अब उसमें विधायक के कहने पर सड़क, स्कूल, विद्यालय या अन्य विकास के कार्य नहीं हो पायेंगे । तो जनता में विधायक के कहने पर जो कार्य हो जाया करते थे वह अब नहीं हो पाएंगे । मैं समझता हूं कि अगर आपने इस संवेदनशील के लोक महत्व का विषय नहीं समझा तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा ।

हम सबकी स्थिति धीरे-धीरे डायल्यूट होती जा रही है । यह भावना सभी सदस्यों की है आज जो इधर हैं तो वह कल उधर होंगे और उधर वाले इधर भी होंगे ? यहां पर सवाल किसी दल का नहीं है सवाल विधायकों का है । उनके क्षेत्र की समस्याओं के विषय में है । मेरा अनुरोध है कि यह जो हैण्डपम्प लगाने के लिये शासनादेश पहले से थे विधायक की एक लिस्ट हुआ करती थी उसके हिसाब से अधिष्ठापन हुआ करता था और पेयजल के संकट का निवारण हो जाता था । इस समय पूरे प्रदेश में पेयजल का संकट है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं बड़े सम्मान और विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं । सभी दलों की यह भावना है, इस बात को मस्तिष्क में रखते हुए आपके संज्ञान में ला रहा हूं । मान्यवर, आपका संबंध इलाहाबाद से है और मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, आप मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे । मुझे इस अवसर पर एक शेर याद आ रहा है क्योंकि सरकार इस विषय पर बिल्कुल गंभीर नहीं है ।

"कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को है बहुत, मगर आराम के साथ" ।

इतने आराम से समस्या का समाधान न कराइए कि विधायक क्षेत्र में जाए तो उसका सम्मान घटे। पूरे प्रदेश के विधायकों का सम्मान बना रहे इस भावना को ध्यान में रखा जाय। और जो आदेश सी० डी० ओ० या जिलाधिकारी ने जारी कर दिए हैं उन्हें वापस लिया जाए और विधायकों की लिस्ट के अनुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाएं।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले मैं उन माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा जिनकी सूचना है उसके बाद माननीय हमीद जी और सुभाष जी आपको भी सुन लूंगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, 12 वरिष्ठ माननीय सदस्यों के सुनने के उपरान्त एक नये माननीय सदस्य को बोलने के लिये आपने मौका दिया उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। कई दिनों से मैं पूर्वांचल निधि के बारे में सूचना दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जून के महीने में प्रमुख सचिव, नियोजन के यहां से एक जी० ओ० सभी जनपदों में गया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि क्षेत्र पंचायत हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित करायेगी।

मान्यवर, विधायक सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वह जनता का प्रतिनिधि होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य और ब्लाक प्रमुख जनता से सीधे नहीं चुना जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि विधायकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस जी० ओ० को वापस ले लिया जाय। आज समस्त 425 विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं अपनी पीड़ा को कहना चाहता हूं हम विधायक चुने गये लेकिन सदन निलम्बित था मेरे यहां के जिलाधिकारी प्रसाद जी थे। मेरे यहां एक भी हैण्ड पम्प मेरी राय से नहीं लगा। जब मैंने उनसे यह बात उठायी तो उन्होंने कहा कि विधान सभा निलम्बित है आपकी राय से हैण्ड पम्प नहीं लग पायेगा। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि था, माना विधान सभा गठित नहीं थी लेकिन मेरी राय नहीं ली गयी। मान्यवर, में शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हम जनता से सीधे चुने हुये विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इस जी० ओ० को वापस लिया जाय। यह जो विधायक निधि की जो मांग की गयी है इस पर सारे विधायक सहमत हैं। सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस 311 के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज आपके संज्ञान में कुछ उदाहरण उद्धरित करके इसकी आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा। अगर विधायक निधि होती तो हमारे विधान सभा क्षेत्र के डेरवा, छेपिया, मुजौना का अस्तित्व न समाप्त होता। हमने सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध किया था कि 10 लाख रुपया दे दिया जाय। अगर यह रुपया दे दिया गया होता तो अभियन्ता उन गांवों को कटने से बचा सकते थे और वह अस्तित्व में होते। इसी तरह यदि विधायक निधि होती तो हमारे यहां हैजा न फैलाता और जिन 11 लोगों की जानें गयी हैं वह बच जाते क्योंकि विधायक निधि से हैण्ड पम्प लगते और जनता को स्वच्छ पानी पीने को मिलता जिससे हैजा न फैलता। यदि विधायक निधि का प्राविधान किया जायगा तो जो स्थानीय समस्यायें हैं उनको पूरा कराया जा सकता है।

हमारे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अधूरा है। इस अर्ध निर्मित अस्पताल से लोगों को तमाम असुविधायें झेलनी पड़ रही हैं। जब आपके पास आपके क्षेत्र का कोई हैण्ड पम्प लेने और गली कूचों में खड़ंजा लगाने के लिये जाता होगा तो आपके कहने से काम हो जाता होगा। लेकिन यदि कोई विधायक इस काम के लिये जाता है तो आज इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों

या उधर के माननीय सदस्य हों, 425 विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जिसको विधायक निधि की आवश्यकता न हो।

मान्यवर, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपने अध्यक्ष पीठ से शासन को निर्देशित करें कि विधायक कोष स्थापित हो ताकि स्थानीय समस्याओं को लेकर विधायक स्वविवेक से उन स्थानीय समस्याओं को वरीयता वरीयता के आधार पर उस काम को पूरा करा सके।

* श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

मान्यवर, मैं आज जिस गंभीर विषय पर सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। खास कर विधायक निधि की तरफ हम जैसे नये विधायकों को जरूरत है चूंकि हमारे जैसे नये विधायक अभी तक यह नहीं जानते हैं कि कौन सा विभाग कहां है, उनके कार्यालय कहां हैं ? किस विभाग से कैसे हम विकास के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में ले जायं। कैसे हम उसको प्रस्तावित करें। हम जैसे विधायकों को इसकी जरूरत है क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं तीन-चार टर्मों से कि ज्यादा से ज्यादा एक विधायक का टर्म डेढ़ साल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी हमारे विधान सभा क्षेत्र में जैसे हम महसूस करते हैं हमारे जैसे नवनिर्वाचित विधायक भी महसूस करते होंगे। ऐसी अधूरी योजनाएं हैं जिन पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। 1988 से हमारे विधान सभा क्षेत्र में जब श्रीनाथ सिंह एम० एल० ए० हुआ करते तो उस समय की अधूरी सड़कें हमारे क्षेत्र में अभी पड़ी हैं। उनके बाद जितने लोग आये उन्होंने, शासन, प्रशासन, जिलाधिकारी किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सड़कों पर गिट्टी पड़ी है अधूरी पड़ी है, पेयजल योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन पर 4/5 लाख रुपया दे दिया जाय तो वह पूरी हो जायेंगी और उससे गांव और उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि हम नौजवान और नये विधायकों की तरफ ध्यान देते हुए कि एक करोड़ रुपया विधायक निधि में देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कई माननीय सदस्यों को इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया और कुछ सदस्यों को जिनका मैं नाम लूं वह भी विचार एक-एक मिनट में रख लें। मैं समय इसलिये दे रहा हूं ताकि संसदीय कार्य मंत्री जी के मन में यह बात बहुत अच्छी तरह से जमती जाय।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं जो बातें आ चुकी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। सत्ता और विपक्ष में बैठे सभी विधायकों के मन में यह धारणा है कि उनके क्षेत्र का विकास हो। वह कैसे हो इसके लिये हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ बिन्दु आपके माध्यय से रखना चाहता हूं। जिला योजना के माध्यम से रखना चाहता हूं। जिला योजना के माध्यम से जिलों को धन आवंटित किया जा रहा है ऐसा सरकार कहती है। लेकिन किस मद पर कितना धन जायेगा इस बात का निर्णय लखनऊ से होता है जिले से नहीं। जिले से कोई योजना बनाकर भेजी जाती है धन अधिक दिया जाता है तो काट दिया जाता है। विकेन्द्रीयकरण प्रणाली को शुरू कर दिया गया है। लखनऊ में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार से आज जो धन दिया जा रहा है।

मान्यवर, मेरे यहां सड़कों की आवश्यकता है किसी के यहां पुल की आवश्यकता होगी किसी के यहां स्कूल की बिल्डिंग बनने की आवश्यकता है। क्या इस तरह से जिला योजना में बजट जा रहा है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला योजना में बजट जाता है सड़क के लिये इतना, इतना मिसिंग रोड के लिये, गिट्टी डालने और पेन्टिंग के लिये । पेन्टिंग कितनी की जायेगी इसका निर्णय लखनऊ से लिया जाता है विधायक नहीं कर सकता है । इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे बहुत से काम जो अधूरे पड़े हैं और 5/10 लाख रुपया अगर दे दिया जाय तो करोड़ों रुपया बच सकता है ।

लेकिन वह बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है सरकार का आधा पैसा खर्चा हो चुका है उसका उपयोग नहीं हो रहा है । यह प्रदेश के धन की क्षति है राष्ट्रीय धन की क्षति है । इस मद पर विशेष ध्यान दिया जाए । आपकी बात आ गई है । माननीय मंत्री जी यदि अपना मन बना लें यह पूंजीपतियों के यहां पड़े धन को वसूल लें तो 425 करोड़ रुपया मिल सकता है ।

* श्री कौकब हमीद–

अब वह जमाने खत्म हो गए जब विधायकों की बात सुनी जाती होगी, अब विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है । 10-12 डिस्ट्रक्ट प्लान में कार्य होता है, नई योजनायें आईं और नई स्कीमें आईं और इन नई स्कीमों के साथ विधायक छोटे हो गए । विधायकों को कभी काम के लिए ग्राम प्रधान से कहना पड़ता है कि जवाहर रोजगार योजना में पैसा आया होगा काम करा दो जिला परिषद् के मेम्बर से कहना पड़ता है काम करा दो । डी० एम०, सी० डी० ओ० के यहां लाइन लगानी पड़ती है, काम करना पड़ता है जिस तरह से स्कीम शुरू हुई तो विधायक छोटे हो गए । वह केवल खड़े रहते हैं ग्राम प्रधान के यहां कहते हैं वहां पम्प लगा दो । मान्यवर, समझ में नहीं आता जब पूरा सदन चाह रहा है इस पक्ष के लोग और उस पक्ष के लोग चाहते हैं तो इस योजना की माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि विधायकों को एक करोड़ पैसा मिल जाएगा जो माननीय सदस्य सदन में नहीं है वह भी चाहते हैं कि सदन में यह घोषणा कर दें यह दुख दर्द को महसूस करते हैं । जब विधायक की हालत यह हो जाएगी उसकी मान-मर्यादा खत्म हो जायेगी तो इस सदन की मान-मर्यादा का क्या होगा यह एक करोड़ विधायकों को देने की घोषणा कर दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी जिस प्रकरण पर इस सदन में चर्चा हो रही है मैं इस पर कुछ कहूं इसके पहले आज मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जनतंत्र की सर्वशक्तिशाली संस्था और मंदिर यह सम्मानित सदन है और इस सम्मानित सदन में बैठे समूचे सम्मानित सदस्यों के संरक्षक श्रीमन् आप हैं और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि संसदीय लोकतंत्र के क्षितिज पर सबसे दीप्यमान नक्षत्र को आज अध्यक्ष के रूप में हम सबने पाया है जब-जब इस प्रदेश में आपकी कयादत संसदीय लोकतंत्र में मिली है उस दौर में हर मौके पर आपने संसदीय व्यवस्था में नई जान डालने का काम किया है ।

मान्यवर, 1989 से 1996 तक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से यह प्रदेश गुजरा है राजनैतिक अस्थिरता के कारण आज वर्तमान परिस्थिति में सबसे निर्जीव प्राणी विधायक हो गया है । सम्मानित सदस्यगण मेरे पूर्व में, जो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सदन में व्यक्त किए हैं हमें उस पीड़ा के साथ स्वयं को जोड़ता हूं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आज चाहे प्रदेश के जिस भी हिस्से से जो भी माननीय सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं । 1996 के चुनाव के बाद, आज तक इतने दिन हो गए इस अवधि में मुझे विकास कार्य के मामले में लाये हैं कि हमारी ही स्थिति में संभवतः सभी आदरणीय सदस्य हैं प्रदेश में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में कोई नवनिर्माण का कार्य नहीं हो सका है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और नही किसी सम्मानित सदस्य को अपने क्षेत्र में नए विकास कार्य हेतु अब तक शिलान्यास का एक ईंट रखने का सुअवसर ही प्राप्त हो सका है ।

शायद यह अभी तक के विधायकों को सौभाग्य प्राप्त नहीं है । हम इतने अधिकार विहीन है । ऐसी स्थिति में जबकि जबरदस्त प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा के माननीय सदस्य जिनकी जनता के प्रति सीधे-सीधे जवाबदेही नहीं हैं वह एक करोड़ रुपये की निधि लेकर घूम रहे हैं । इस सदन के जो सदस्य जिनकी क्षेत्र की जनता के प्रति सीधी जवाब देही है क्षेत्र में उनको यही सुनने को मिलता है कि तुम कोई काम नहीं करा सके । मुझे सर्वाधिक पीड़ा उस दिन हुई जब तक अपने क्षेत्र के ही एक मौजा सिरवनियों का मस्जिद टोला जिसके अधिकांश लोग नदी के पेट में रहते हैं कुछ नदी के किनारे रहते हैं मैंने उनको चुनाव के दौरान बचन दिया था कि निर्वाचित होने के बाद इस गांव में बिजली का इन्तजाम करूंगा । लेकिन इस अधिकार विहीनता और लाचारी के कारण मैं अपने उस बचन का पालन नहीं कर सका ।

यहां पर सम्मानित सदस्य जो बैठे हैं वे संसदीय लोकतंत्र के प्राइम मूवर हैं लेकिन इनको आज कोई घास डालने वाला नहीं है । इस ब०स०पा०–भा०ज०पा० गठबन्धन की सरकार की नीतियों के कारण हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से जीतकर आए हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश से तमाम लोग इस सदन में बैठे हैं । पूर्वांचल विकास निधि के सहारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायक रहते थे । इसी का उनको सहारा मिलता था अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए किन्तु वर्तमान गठबन्धन की यह सरकार पूर्वांचल विकास निधि के धन को भी दूसरे मदों में लगाने का अनुचित फैसला करके इस क्षेत्र के विधायकों को पूर्णतः असहाय बना दिया है । इस बात से आप खुद भी अवगत हैं । विगत 1989 से लेकर 1996 तक के बीच जनता ने हम लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर रखी हैं आज जनता की अपेक्षा है कि विधायकगण सड़क बनवाएं, पुलिया बनवाएं, विद्युतीकरण करवाएं किन्तु जिला विधायक निधि से आज जनता की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं की जा सकती ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जाएं । अब सब चीजें आ गईं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अब इसके बारे में कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है । जैसा कि अभी हुकुम सिंह जी ने कहा मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं । यह पूरे सदन की मंशा है चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, या विपक्ष के । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह विधायक निधि बनाने की मांग को मान लें तथा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकरण पर सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि वह आज ही विधायक निधि बनाने की घोषणा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री रघुवर दयाल वर्मा जी आपकी सूचना नियम 56 में भी है आप इस पर बोलना चाहते हैं कि नियम 56 में एक पर ही सुना जाएगा ।

* श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपने इस विषय पर सभी दलों के नेताओं को सुना है । मुझे भी दो मिनट में अपनी बात रखने का अवसर दें । मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं । एक बात कहना जरूर चाहूंगा आज विधायक निधि की चर्चा आई है । मान्यवर, विशिष्ट व्यक्तियों को चाहे वह मंत्री हो या मुख्य मंत्री अपने क्षेत्र के विकास कार्य कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है । लेकिन विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता है । तो इससे एक तरह की विषमता की स्थिति पैदा हो जाती है । इससे पूरे प्रदेश का समग्र विकास नहीं हो पाता है । इसलिए विकास निधि की अत्यन्त आवश्यकता है । मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को चाहे जितना वह खर्च करें उनको छूट रहती है इस पर रोक लगाई जाए । सभी विधायकगणों को अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए विकास निधि बनाने की

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे पूर्वांचल विकास निधि या बुन्देलखण्ड विकास निधि का सवाल हो जब इन सबकी स्थापना हुई तब आर्थिक असमानता थी और श्रीमन्, आपके पास जो मानक हैं आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति की जो आय होनी चाहिए वह घटी है । 1989 में मुलायम सिंह यादव जी ने की सरकार आयी तो उन्होंने भी पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि को अधिक पैसा दिया । अब तक श्रीमन् यह होता था कि पूर्वांचल विकास निधि का जो पैसा होता था वह पूरा का पूरा जनपदों में चला जाता था और वहां से विधायक तय करके भेजते थे कि इतना पैसा वहां भेजा जाये । पैसा बढ़ता गया तो दो पार्ट बने आधा तो सीधे जिले को चला जाता है, आधे में कभी महामहिम और कभी मुख्य मंत्री अपने-अपने हिसाब से घोषणायें करते रहते हैं । इसमें इस तरह की परिपाटी चली कि आप कमिश्नर के जरिये भेजें, हम आवंटित कर देंगे, जिस मानक के अनुसार स्थापना की गयी थी, उसका गला–घोंटा जा रहा है और जो प्रभावशाली लोग हैं उनको राज्य सेक्टर से आवंटन हो रहा है ।

मान्यवर, यह 3 दिन से लगातार कह रहे थे कि सोमवार के दिन संसदीय कार्यमंत्री जी से बात करके विस्तार से चर्चा होगी । हम जिस विधान सभा से जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के लोगों को हमसे बड़ी अपेक्षायें होती हैं वह हमसे अपेक्षा करते हैं कुछ विकास का काम करायें । लोग हमारे पास आते हैं कहते हैं कि क्षेत्र की यह समस्यायें हैं लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि काम नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार ने संदेश भेजे हैं कि केवल अम्बेडकर गांव में ही विकास कार्य किया जा सकता है । जो अम्बेडकर गांवों का चयन किया गया है उसमें दिलदार नगर विधान सभा क्षेत्र में तो ब्लाक के एक-एक गांव भी नहीं आ पाये हैं विकास की दूर-दूर तक कोई किरण नहीं दिखायी देती है । हमें केवल पूर्वांचल विकास निधि की आशा थी लेकिन अम्बेडकर गांव के नाम पर पूर्वांचल विकास निधि का पैसा भी लिया जा रहा है । आजादी के बाद हमने अनुसूचित जाति के विकास के लिये उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कोटा तय किया और आज 50 साल बाद भी हम उसका सहृदय स्वागत करते हैं । आज गांव के लोग आते हैं और यह कहते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे गांव के विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा है ऐसे समय में प्रदेश की हुकूमत का एक खराब संदेश जाय यह देश और प्रदेश की सेहत के लिये ठीक नहीं है ।

दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा कि जिला विकास योजना का 1982 में गठन हुआ उस समय जो सांसद और विधायक तय करके भेज देते थे उसी के अनुसार होता था लेकिन उसके बाद एक नया संशोधन हुआ जिसमें दो तरह की योजनायें बनायी गयी एक सामान्य योजना दूसरी स्पेशल कम्पोनेन्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

योजना । स्पेशल योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ 40 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग में चला गया और 35 लाख रुपया सामान्य गांवों को जोड़ने के लिए मिला । इससे एक असन्तोष की भावना उत्पन्न हो रही है, कुण्ठा की भावना पैदा हो रही है । आज संसदीय कार्यमंत्री जी इस सदन में इस बात को कहें कि जो 21.5 प्रतिशत है उससे अधिक पैसा सामान्य गांवों की योजनाओं से काट कर नहीं दिया जायेगा । आप चाहे भारत सरकार से ले आयें, अन्य मदों से कटौती करें या कहीं और से व्यवस्था करें लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बात को इस हाऊस में एश्योर करें कि 21.5 प्रतिशत जो जिला योजना का है उसे अधिक नहीं लिया जायेगा । पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि का 23 करोड़ रुपया लिया जा चुका है ।

श्रीमन्, इससे विकास नहीं हो सकता । मैं चाहूंगा कि इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी आज इस हाउस में इस बात को श्योर करें कि 21.5 प्रतिशत से ज्यादा अम्बेडकर गांवों को यदि पैसा देना होगा तो कहीं और से देंगे । आज क्षेत्रों में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में जबर्दस्त असन्तोष व्याप्त है, इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, अक्सर नियम–56 की सूचना जो उधर से आती है, हम लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार पूर्वांचल विकास निधि में धन का आवंटन होता रहा है, वह इस समय नहीं हो पा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन तो लीजिये । मान्यवर, कोई विधान सभा स्थायी नहीं हो सकती लेकिन आने वाले दिनों के लिये यह अच्छा होगा । भले ही कोई सरकार बदल जाय, कोई भी विधायक बने, कम से कम वह अपने क्षेत्र में कुछ काम तो करा सकेगा । मान्यवर, हम लोगों के सामने अक्सर पुलों, छोटे रपटों, सड़क, हैण्ड पम्प लगाये जाने की बात आती है । पुलों–छोटे रपटों आदि के प्रस्ताव नियोजन विभाग द्वारा काट दिये गये । जिन विभागों ने उनसे सिफारिश नहीं की, या जिन विभागों ने उनको कमीशन नहीं दिया । मान्यवर, आज पूर्वांचल विकास निधि में उतना पैसा एलाट नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा, हमारी पीड़ा इसलिये है कि क्षेत्र में जो हम कहकर आते हैं, उसे कैसे पूरा कर पायेंगे, आपकी पीठ से इस संबंध में निर्देश होना चाहिये ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, नियम 311 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव विधायक निधि स्थापित किये जाने से संबंधित दिया गया है और इस पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । श्रीमन् इन सभी माननीय सदस्यों के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुये, आगे की कड़ी में यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह पूर्वांचल निधि हो, चाहे उत्तराखण्ड निधि हो, चाहे पर्वतीय विकास निधि हो, चाहे बुन्देलखण्ड विकास निधि हो, इन सबकी स्थापना इसलिये की गई थी कि यह क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों से ज्यादा पिछड़े हुये थे, इनको भी अन्य क्षेत्रों की तरह बराबरी पर लाने के लिये धन की व्यवस्था की गई थी । इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इन तीनों विकास निधियों में, जो पैसा आज अम्बेदकर गांवों पर लगभग 80 प्रतिशत के लगभग खर्च किया जा रहा है, उससे न पर्वतीय विकास हो सकता है, न बुन्देलखण्ड का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास हो सकता है, न पूर्वी क्षेत्र का विकास हो सकता है, इसी तरह से मैदानी क्षेत्र में भी विधायक विकास निधि की स्थापना के लिये आज हम लोग चिन्तित हैं यह चिन्ता इसलिये है कि जो भी पैसा है, वह सारे का सारा अम्बेदकर गांव में जा रहा है और जो बचता है, वह अधिकारियों के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, इसमें विधायक का कहीं किंचित मात्र भी हाथ नहीं रहता है ।

हम लोग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जबकि लोक सभा व राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता से जुड़े नहीं हैं, उनको एक करोड़ रु० प्रतिवर्ष दिया जा रहा है जिससे वह अपने क्षेत्रों में काम कराते हैं । हम लोगों से जनता पूछती है कि आप अपने कोटे से क्या करा रहे हैं ? हमारे यहां एक कि०मी० मिट्टी डलवा दीजिये, हमारे यहां नाले की सफाई करवा दीजिये, जिससे जमीन पर खेती हो सके आप थोड़ा ट्यूबवेल की नाली बनवा दें लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं जिससे जनता में असंतोष होना स्वाभाविक है । इस तरह लगातार विधायिका का अपमान हो रहा है मान सम्मान को धक्का लग रहा है । साथ ही साथ विधायिका द्वारा जो विकास कार्य होते हैं उनकी जांच करा लें तो जो विकास कार्य सरकारी एजेंसियों द्वारा हो रहे हैं वह उतने ठीक नहीं हैं और न उनकी लिस्ट ही विधायकों को दी जा रही है कि मालूम हो सके कि अमुक योजना चल रही है और उतने धन से काम हो रहा है जिसकी जांच विधायक कर सकें । यदि काम हो रहा है तो उसकी शिकायत की जा सके, ऐसा भी नहीं हो रहा है । इसलिये आज सारे प्रदेश में चिन्ता इस बात की है अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है ।

मान्यवर, आप देखें कि अम्बेडकर पार्क पर एक अरब से अधिक खर्च हो रहा है । साहू मेले और गुब्बारों पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है । लेकिन विधायक विकास निधि के नाम पर इतनी कंजूसी दिखा रही है । मंत्री जी अपने क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं और एक-दो करोड़ रुपया अपने क्षेत्र मेंलेकर खर्च करवा रहे हैं और एक-दो करोड़ रुपया अपने क्षेत्र में लेकर खर्च करवा रहे हैं । मान्यवर, विधायकों से कोई राय नहीं ली जा रही जिसकी चिन्ता सभी विधायकों को है । मान्यवर, भा०जा०पा० और बसपा के मंत्रियों को चाहे चिन्ता न हो लेकिन अन्य सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है । इसलिये मैं चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री आज ही विधायक विकास निधि की स्थापना की यहां घोषणा करें अन्यथा विधान सभा कार्यवाही चलने का कोई औचित्य नहीं है । मान्यवर, यदि आप चाहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही नियमित और शान्तिपूर्वक चले तो सरकार को विधायक निधि स्थापित करने के लिये आप निर्देश दें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आज यह सदन प्रदेश की एक गम्भीर समस्या की तरफ एक घंटे से अधिक से अपने-अपने विचार ग्राह्यता के माध्यम से माननीय सदस्यों ने यहां रखा है और वह केवल क्षेत्र के विकास के बारे में ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि सब मिलाकर प्रदेश के विकास के बारे में चिन्तित हैं । आज इस बिन्दु को लेकर माननीय सदस्यों की जो पीड़ा है कि प्रदेश का विकास होना चाहिए. प्रदेश ज्यादा विकसित हो ताकि यहां के लोगों की परकैपिटा इन्कम ज्यादा हो । यहां लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान मुहैय्या हो सके, लोग तरक्की कर सकें, खुशहाल हो सकें, इसके बारे में जो माननीय सदस्य चिन्तित हैं वह सरकार की भी चिन्ता है, हमारा प्रदेश कृषि पर आधारित प्रदेश है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, ये विषय से हटकर बोल रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जब तक कृषि पर से बोझ कम नहीं किया जायेगा, जहां पर लोग कृषि पर निर्भर होंगे वहां पर खुशहाली कम होगी । अमेरिका में 4 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं, वहां खुशहाली ज्यादा है । परकैपिटा इन्कम ज्यादा है । (व्यवधान)

मान्यवर, कृषि उद्योग हम लगा सकें जो मान्यवर, इन्फास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसमें सबसे बड़े उद्योग नहीं आ पायेंगे जब तक बिजली नहीं मुहैय्या करायेंगे (व्यवधान)

मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिए इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है जल प्रबंधन की । इन सब के लिये पैसे की आवश्यकता है । आज हम प्रदेश को खुशहाल बनाना चाहते हैं । सबको सुख-सुविधा मुहैय्या कराना चाहते हैं जिसके लिये सरकार व्यवस्था कर रही है । जहां तक कई माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं, मान्यवर, आज यह समस्या जो हम लोगों ने सदन के सामने रखी है और इस सदन का महत्वपूर्ण समय लगाया है अच्छा होता कि ये सरकार को सुझाव देते कि हम कहां से प्रदेश के खजाने को, अपने प्रदेश के संसाधन को बढ़ा सकते हैं । (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र (वेल से)–

मान्यवर, यह स्पष्ट जवाब दें ।

श्री राम विशुन आजाद (वेल से)–

प्रदेश के विकास का सारा पैसा इस सरकार ने खा लिया है । (व्यवधान)

(वेल में आये सदस्य मांग करने लगे कि एक करोड़ रुपये विधायकों को, विधायक विकास निधि बनाकर देने की घोषणा सदन में की जाय)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 2.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है । 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है । 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का 3 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

(3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कोई स्पष्ट बात विधायक निधि स्थापित करने के लिये नहीं कहा है । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है । ऐसी स्थिति में किसी भी तरह विधान सभा चलने का कोई औचित्य नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले सुन लीजिए । संसदीय कार्य मंत्री जी कहते क्या हैं ? (व्यवधान) कार्य-स्थगन की सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

(श्री अब्दुल कलाम, श्री सुधाकर सिंह, श्री श्याम किशोर यादव, श्री वसीम अहमद, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री धर्मज्ञ मिश्र आदि कई सदस्य सदन के मध्य आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य प्रवर समिति को भेजने के संबंध में अपना प्रस्ताव रखें ।

(किसी मा० सदस्य के खड़े न होने पर और प्रवर समिति को सुपुर्द करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 3, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1988 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,––

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल को छोड़कर उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्र के संबंध में धारा 5 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तरांचल के संबंध में धारा 5-क के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) से है।"

(ख) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ–1) "उत्तरांचल" का तात्पर्य ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र से है जिसमें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के जिले समाविष्ट हैं"

नयी धारा 5-क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

उत्तरांचल के लिये आयोग की की स्थापना

"5–क (1) धारा 5 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उत्तरांचल के लिये एक आयोग की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) कहा जायगा।

(2) धारा 5 के अधीन स्थापित आयोग, उपधारा (1) के अधीन आयोग की स्थापना के दिनांक से, उत्तरांचल के संबंध में आयोग न रह जायगा।

(3) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकारिता ऐसे मामलों में लागू रहेगी जहां चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (उत्तरांचल) की स्थापना के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसी स्थापना के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये वही चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायगी जहां भर्ती,—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर की जानी हो और लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना संशोधन रखना चाहेंगे ?

(किसी के खड़े न होने और प्रवर समिति को सुपुर्द करने संबंधी संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 51 तक, खण्ड–1, अनुसूची प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 33 का संशोधन

2–भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में उपधारा (5) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।"

धारा 35 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 35 में, परन्तुक के खण्ड (क) में शब्द "पांच रुपये की शास्ति अथवा जब उसके उचित शुल्क या कमी वाले भाग के दस गुनी रकम, पांच रुपये से अधिक हो तब ऐसे शुल्क या भाग के दस गुने के बराबर राशि" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"शास्ति की जो राशि उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने के बराबर हो,"

धारा 39 का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 39 निकाल दी जायगी।

धारा 40 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में,–

– (क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के दस गुने से अनधिक होगा दी जाय ;"

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति उद्ग्रहीत नहीं की जायगी जब तक संबंधित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय।"

धारा 47–क का प्रतिस्थापन

6–मूल अधिनियम की धारा 47–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"47–क (1) यदि किसी लिखत, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, कि विषयवस्तु ऐसी सम्पत्ति की उक्त लिखत में उल्लिखित बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित बाजार मूल्य से कम हो, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबन्धन अधिकारी, लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व, ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क को अवधारित करने के लिये उसे कलक्टर को अभिदिष्ट करेगा।

लिखत का अवमूल्यन

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिदेश प्राप्त होने पर कलक्टर पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने और ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जाय, जांच करने के पश्चात् सम्पत्ति का बाजार मूल्य जो ऐसी लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय उचित शुल्क अवधारित करेगा।

(3) कलक्टर, स्वप्रेरणा से, या किसी न्यायालय या स्टाम्प आयुक्त या किसी अपर स्टाम्प आयुक्त या उप स्टाम्प आयुक्त या सहायक स्टाम्प या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के अभिदेश पर, किसी लिखत को जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो और जो उपधारा (1) के अधीन उसे पहले से अभिदिष्ट न हो, सम्पत्ति के बाजार मूल्य जो ऐसे लिखत की विषयवस्तु हो, और उस पर देय शुल्क की सत्यता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष के भीतर मंगा सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसे परीक्षण के पश्चात् उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि लिखत में ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है तो वह ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क अवधारित कर सकता है;

परन्तु राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही लिखत के, जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य हो, निबन्धन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष की अवधि के पूर्व की जा सकती है।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन जांच और उपधारा (3) के अधीन परीक्षण करने पर कलक्टर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को–

(एक) ठीक प्रकार से उल्लिखित और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित पाये तो वह पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है और इसे उस व्यक्ति को वापस करेगा जिसने अभिदेश किया हो;

(दो) ठीक प्रकार से उल्लिखित न पाये और लिखत को सम्यक् रूप से स्टाम्पित न पाये तो वह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या कमी को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम और साथ-साथ शास्ति की रकम जो उचित शुल्क या उसके कमी वाले भाग की रकम के चार गुने से अनधिक होगी, दी जाय।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलक्टर के सामने प्रस्तुत लिखत को उसके कृत्यों के पालन में उसके सामने आया हुआ समझा जायगा।

(6) यदि लिखत कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह स्टाम्प शुल्क की कमी यदि कोई हो, लिखत की प्रति पर उपधारा (2) और (4) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार शास्ति के साथ संदाय करने की अपेक्षा कर सकता है।"

धारा 64 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 64 में, शब्द "वह जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर "वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 73–क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 73–क में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) जहां कलक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत बिल्कुल प्रभारित नहीं किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय शुल्क से गलत रूप से प्रभारित किया गया है, वहां वह या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी परिसर में, जहां कलक्टर को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे लिखत से संबंधित या उसके संबंध में कोई रजिस्टर, पुस्तक अभिलेख, कागजादि मानचित्र, दस्तावेज या कार्यवृत्त रखे गये हैं, प्रवेश कर सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे टिप्पण, प्रतियां और उद्धरण जिसे ऐसा अधिकारी आवश्यक समझे, ले सकता है।";

(ख) उपधारा (2) में शब्द "कागजादि" के पश्चात् शब्द 'मानचित्र" और शब्द "टिप्पण" के पश्चात् शब्द "प्रतियां" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 74 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 74 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा ;

"(ग) ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक और उनसे प्रभार्य फीस।"

धारा 78 का निकाला जाना

10–मूल अधिनियम की धारा 78 निकाल दी जायगी।

अनुसूची 1–ख का अनुच्छेद का संशोधन

11–मूल अधिनियम की अनुसूची 1–ख में, जिसे आगे उक्त अनुसूची कहा गया है, अनुच्छेद 1 (अभिस्वीकृति) में "लिखतों का वर्णन" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" और "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

अनुच्छेद 4 का प्रतिस्थापन

12–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 4 (शपथ पत्र) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्–

"4–शपथ पत्र जिसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों के मामले में जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा है।

दस रुपये

छूटें

लिखित रूप में शपथ पत्र या घोषणा जब कि वह–

(क) सेना अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950 या नौ सेना अधिनियम, 1957 के अधीन भर्ती होने के लिये शर्त के रूप में; या

(ख) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिये समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए, की गयी है।"

अनुच्छेद 5 का संशोधन

13–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 5 (करार या करार का ज्ञापन) में–

(क) खण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "साठ नये पैसे" के स्थान पर, शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पैंतालिस रुपये से अधिक न होते हुए, प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये "तीस नये पैसे" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये से अधिक न होते हुए प्रतिभूति या शेयर के मूल्य के प्रत्येक बीस हजार रुपये या उसके भाग के लिये दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ग) विद्यमान खण्ड (ख–1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख–1)" यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है जहां कब्जे का दिया जाना स्वीकार न किया गया हो और न ही हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार दिया गया हो;	वही शुल्क जो हस्तांतरण पत्र [सं० 23 खण्ड (क)] पर करार में दी गयी प्रतिफल की रकम के आधे पर देय हो।

परन्तु जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किया जाय, तब इस खण्ड के अधीन भुगतान किये गये शुल्क, जो खण्ड (ग) के अधीन देय शुल्क से अधिक हो, का समायोजन हस्तान्तरण पत्र पर देय शुल्क के प्रति किया जायगा।

"(ख–2)" यदि वह किसी भूमि पर, किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न हो, किसी भवन के निर्माण से सम्बन्धित हो और उसमें ऐसा अनुबन्ध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसे भवन को यथास्थिति, ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार और उस अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायगा, या कि उनके द्वारा उसे संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायगा या कि उसके एक भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक धारित किया जायगा और उसके शेष भाग को उनके द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बेचा जायगा।

वही शुल्क जो भूमि के मूल्य या धनराशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [संख्या 23 खण्ड (क)] पर देय हो।

स्पष्टीकरण :–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए :–

(1) पद "भूमि" में वे वस्तुयें जो भूबद्ध हों या किसी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, भी सम्मिलित हैं।

(2) पद "पट्टेदार" का तात्पर्य शाश्वतकाल के लिए या तीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पट्टा धारक से होगा।

(3) पद "भवन" का तात्पर्य किसी भवन जिसमें एक से अधिक फ्लैट या कार्यालय वास स्थान, या दोनों हैं, से होगा और पद "फ्लैट" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश फ्लैटों का स्वामित्व अधिनियम, 1975 में उसके लिए दिया गया है।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुच्छेद 6 का संशोधन

14–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 6 (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम् या गिरवी से संबंधित करार) खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्–

"(क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है प्रतिसंदेय है ;

उधार या ऋण की रकम के प्रत्येक 1,000 रुपये या उसके भाग के लिए	बीस रुपये

स्पष्टीकरण :–इस अनुच्छेद के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए, हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित कोई कागजादि, टिप्पण या ज्ञापन या लेख चाहे हक विलेखों के निक्षेप के प्रभावी होने के समय या उसके पूर्व या पश्चात् लिखे या बनाये गये हों और चाहे वह प्रथम उधार या किसी पश्चात्वर्ती उधार के संबंध में हो, ऐसे कागजादि, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को हक विलेखों के निक्षेप के संबंध में किसी पृथक करार की अनुपस्थिति में, हक विलेखों, के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्य करने वाला लिखत समझा जायगा ।"

15–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 9 (शिक्षुता विलेख) में "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "बारह रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 9 का संशोधन

16–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 10 (कम्पनी के संगम अनुच्छेद) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 10 का संशोधन

17– उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 12 (पंचाट) में, खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "एक रुपया पचास नये पैसे" के स्थान पर "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 12 का संशोधन

18–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

नये अनुच्छेद 12–क का बढ़ाया जाना

"12–क–बैंक गारंटी–किसी संविदा के सम्यक् पालन या किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू के रूप में किसी बैंक द्वारा निष्पादित गारन्टी विलेख प्रत्येक 1000 रुपये या उसके भाग के लिए ।"

पचास रुपये

अनुच्छेद 15 का प्रतिस्थापन

19–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 15 (बंधपत्र) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"15–बंध पत्र [जैसा कि धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है] किन्तु जो डिबेन्चर (संख्या 27) नहीं है और जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया है– — दस रुपये

जहां कि प्रतिभूत रकम या मूल्य 100/- रुपये से अधिक नहीं है।

जहां कि वह 100/- रुपये से अधिक है किन्तु 1000/- रुपये से अधिक नहीं है।

और 100 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 100/- रुपये या उसके भाग के लिये — सत्तर रुपये

20–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 17 (रद्द कर देने की लिखत) में "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, "पच्चीस रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे। — अनुच्छेद 17 का संशोधन

21–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 18 (विक्रय प्रमाण-पत्र) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "सं० 23" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे। — अनुच्छेद 18 का संशोधन

22–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 19 (प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायेंगे। — अनुच्छेद 19 का संशोधन

23–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 20 (भाड़े पर पोत लेने की संविदा) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द "छः रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे। — अनुच्छेद 20 का संशोधन

24–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 23 (हस्तान्तरण पत्र) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्– — अनुच्छेद 23 का प्रतिस्थापन

"23–हस्तान्तरण-पत्र धारा 2 (10) द्वारा यथापरिभाषित जो ऐसे अन्तरण के लिए नहीं है जिसके लेख पर संख्या 62 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गयी है–

(क) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति से संबंधित है जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य या उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य इनमें से जो भी अधिक हो, 500/–रुपये से अधिक न हो — साठ रुपये

एक सौ पचीस रुपये एक सौ पचीस रुपये : परन्तु देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायगा।

जहां वह 500/–रुपये से अधिक है किन्तु 1000/–रुपये से अधिक न हो,

और 1000/–रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/–रुपये या उसके भाग के लिए

(ख) यदि वह किसी जंगम सम्पति से संबंधित है जहां ऐसे हस्तान्तरण पत्र के प्रतिफल की उसमे उल्लिखित रकम या मूल्य 1000/–रुपये से अधिक न हो। — बीस रुपये

और 1000/–रुपये से अधिक प्रत्येक 1000/–रुपये या उसके भाग के लिए — बीस रुपये

भारत के निवासी द्वारा, भारत में प्रथमतः प्रकाशित संगीत संबंधी कार्यों में प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के करार के मामले में, जहां निष्पादन के पूर्व या निष्पादन के समय कब्जा दे दिया जाय या हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो, वहां करार को हस्तान्तरण पत्र समझा जायगा और उस पर तद्नुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा :

परन्तु धारा 47–क के उपबन्ध ऐसे करार पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे :

परन्तु यह और कि जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किया जाय तो करार पर भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क हस्तान्तरण पत्र पर देय कुल शुल्क के प्रति "समायोजित किया जायगा।"

अनुच्छेद 24 का संशोधन

25–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 24 (प्रति या उद्धरण) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्–

"24–प्रति या उद्धरण, जिसकी बावत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है–

दस रुपये (i) यदि उसका मूल पाठ शुल्क से प्रभार्य नहीं है या यदि वह शुल्क जो उसपर प्रभार्य है दस रुपये से अधिक नहीं है ;

दस रुपये (ii) किसी अन्य मामले में जो धारा 6–क के उपबन्धों के भीतर न आता हो ।

छूटें

(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित है कि यह किसी लोक कार्यालय में या किसी लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिये उसे बनाये या दे ।

(ख) जन्म, नपतिस्म, नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह-विच्छेद, मृत्यु या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें किसी उद्धरण की प्रतिलिपि ।''

अनुच्छेद 28 का संशोधन

26–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 28 (माल की बावत परिदान आदेश) में, ''लिखतों का वर्णन'' से संबंधित स्तम्भ में शब्द ''बीस रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' और ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से संबंधित स्तम्भ में शब्द ''पचास पैसे'' के स्थान पर, शब्द ''दस रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 29 का संशोधन

27–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 29 (विवाह-विच्छेद) में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से संबंधित स्तम्भ में शब्द ''पचीस रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 31,32 और 33 का संशोधन

28–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 31 (सम्पत्ति का विनियम), 32 (अतिरिक्त भार) और 33 (दान) में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक ''(सं० 23)'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक ''[संख्या 23 खण्ड (क)]'' रख दिय जायेंगे ।

29–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 34–क (लिखत) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायगा, अर्थात्

''34–क लिखत शुल्क से प्रभार्य किसी लिखत में जिसके संबंध में उचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, पूर्णतया लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिये'' दस रुपये

अनुच्छेद 35 का संशोधन

30–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 35 (पट्टा) में–

(क) खण्ड (क) में, उपखण्ड (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) में, ''उचित स्टाम्प शुल्क'' से संबंधित स्तम्भ में शब्द और अंक ''(सं० 23)'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक ''[संख्या 23 खण्ड (क)] रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्ब में शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर, शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ग) में,"उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" और शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

(घ) वर्तमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह और कि जहां पट्टा किसी भवन या फ्लैट को पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये किराये पर उठाने के लिये तात्पर्यित है वहां शुल्क, न्यूनतम एक सौ रुपये और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुये, किराये की सम्पूर्ण धनराशि जो पट्टे की सम्पूर्ण अवधि में दी जायेगी या परिदत्त की जायेगी और नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम, यदि कोई हो, और पट्टे में उपवर्णित हो, के दो प्रतिशत की दर पर प्रभार्य होगा और इसे दस रुपये के अगले गुणांक तक पूर्णांकित किया जायेगा ।

(ङ) स्पष्टीकरण (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् –

"(5) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिये पद "भवन" और फ्लैट का तात्पर्य वही होगा जो अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख–2) के स्पष्टीकरण (3) में उनके लिये क्रमशः दिया गया है ।"

अनुच्छेद 36 का संशोधन

31–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 36 (शेयरों का आवंटन-पत्र) में "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर, "एक रुपया" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 39 का संशोधन

32–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 39 (कम्पनी का संगम-ज्ञापन) में,–

(क) खण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

अनुच्छेद 40 का संशोधन

33–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 40 (बंधक-विलेख) में,–

(क) खण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ग) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "दो रुपये और पचीस नये पैसे" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे,

34–उक्त अनुसूची में,अनुच्छेद 41 (फसल का बन्धक) में,— अनुच्छेद 41 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में,–

(एक) "लिखितों का वर्णन" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "200 रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द और अंक "6000 रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(दो) "उचित स्टाम्प शुल्क' से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पैंतीस नये पैसे" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड–(ख) में,–

(एक) "लिखितों का वर्णन" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "100 रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द और अंक "3000 रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(दो) "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "साठ नये पैसे" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "बीस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

35–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 42 (नोटरी संबंधी कार्य) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन रुपये और पचास नये पैसे" के स्थान पपर, शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे । अनुच्छेद 42 का संशोधन

36–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 43 (टिप्पणी या ज्ञापन) में– अनुच्छेद 43 का संशोधन

(क) "लिखतों का वर्णन" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "बीस रुपये जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "एक रुपया" के स्थान पर, शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक, "प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया जो किसी भी दशा में कुल पचहत्तर रुपये" के स्थान पर, शब्द और अंक "प्रत्येक 20,000 रुपये या उसके भाग के लिये दस रुपये जो किसी भी दशा में कुल एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ।

37–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 44 (पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण) में "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे । अनुच्छेद 44 का संशोधन

38–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 45 (विभाजन), में "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे । अनुच्छेद 45 का संशोधन

39–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 46 (भागीदारी) में,– अनुच्छेद 46 का संशोधन

(क) भाग–क में, शब्द और अंक "4000 रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द और अंक "10,000 रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) भाग ख में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रुपये के बंधपत्र (संख्या 15) पर लगता है" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे

अनुच्छेद 48 का संशोधन

40–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 48 (मुख्तारनामा) में,

(क) खण्ड (क) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन रुपये" के स्थान पर "दस रुपये " रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर "बीस रुपये " रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ङ ङ) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे;

अनुच्छेद 50 का संशोधन

41–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 50 (विनियम पत्र या वचन पत्र का प्रसाक्ष्य) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 51 का संशोधन

42–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 51 (पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 54 का संशोधन

43–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 54 (बन्धकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं 23)" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 57 का संशोधन

44–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 57 (प्रतिभूति बंधपत्र या बन्धक विलेख) में–

(क) खण्ड (क) में, "लिखतों का वर्णन" से संबंधित स्तम्भ में शब्द और अंक "1000 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "100 रुपये" और उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "वही शुल्क जो प्रतिभूत रकम के बन्ध पत्र (सं० 15) पर लगता है" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द और अंक "यही शुल्क जो 1000 रु० के बंधपत्र (सं० 15) पर लगता है" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 58 का संशोधन

45–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 58 (व्यवस्थापन) में, भाग–क में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

46–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 60 (किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे। अनुच्छेद 60 का संशोधन

47–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 611 (पट्टे का अभ्यर्पण) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात्– अनुच्छेद 61 का प्रतिस्थापन

"61–पट्टे का अभ्यर्पण वही शुल्क जो 1000 के बन्धपत्र (सं० 15) पर लगता है या वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है, इनमें जो भी कम हो परन्तु देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा

छूट

48–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 62 (अन्तरण) में,– अनुच्छेद 62 का संशोधन

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

(ख) धारा 8 द्वारा उपबन्धित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां हैं, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो ;

जब अंश का मूल्य या डिबेंचर पर अंकित राशि 500 रुपये से अधिक न हों;	दस रुपये
जब 500 रुपये से अधिक किन्तु 1000 रुपये से अधिक न हो ;	बीस रुपये
और 1000 रुपये से अधिक प्रत्येक 500 रुपये या उसके भाग के लिये।"	दस रुपये

(ख) खण्ड (ग) में,–

(एक) उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) यदि ऐसे बन्धपत्र, बन्धक विलेख या पालिसी पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक न हो।"	वही शुल्क, जो ऐसे बन्धपत्र, बन्धक विलेख या पालिसी पर प्रभार्य है : परन्तु देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पपर पूर्णांकित किया जायेगा;"

(2) उपखण्ड (ii) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे और परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त में बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु यह और कि देय शुल्क को दस रुपये के अगले गुणांक पर पूर्णांकित किया जायेगा।"

(ग) खण्ड (घ) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "सड़सठ रुपये और पचास रुपये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (ङ) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "चौंतीस रुपये या ऐसी न्यूनतर रकम जैसी इस अनुच्छेद के खण्ड (बी) और (सी) के अधीन प्रभार्य हो" के स्थान पर, शब्द "सत्तर रुपये" रख दिये जायेंगे।

अनुच्छेद 63 का संशोधन

49–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 63 (पट्टे का अन्तरण) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द और अंक "(सं० 23)" के स्थान पर शब्द और अंक "[संख्या 23 खण्ड (क)]" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 64 का संशोधन

50–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 64 (न्यास) में, भाग–क में, खण्ड (ख) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 65 का संशोधन

51–उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 65 (माल के लिये वारन्ट) में, "उचित स्टाम्प शुल्क" से संबंधित स्तम्भ में, शब्द "तीन रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 51 तक, खण्ड 1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाए ?

श्री अध्यक्ष–

तो प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–22 खेल विभाग, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास), अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) , अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद 13 ले रहा हूं ।

(संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री जी के नाम पुकारे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने सभी अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत किया ।)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22– खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10.87.82.000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22– खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10.87.82.000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,55,37, 32,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,55,37, 32,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(फ्लोर पर खड़े बोलते हुए मा० सदस्यों से)

आप लोग अपने आसन पर जायं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,98,71,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,98,71,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

(फ्लोर पर खड़े हुए मा० सदस्यों के बालते रहने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,28,32,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखे।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25.28,32,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,64,02,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,64,02,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,85,81,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,85,81,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,44,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,08,44,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,14,08,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें ।

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,14,08,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

गढ़वाल मण्डल में स्थान-स्थान पर अनावश्यक चुंगी/प्रवेश शुल्क की वसूली तथा हो रही अश्लीलता व दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति तथा प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुल्क बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में एवं भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में संचालित बेसिक मिनिमम सर्विसेज का लाभ नगर निगमों तथा नगरनिकायों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को भी उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव की चर्चा का स्थगन

(घोर व्यवधान के बीच में)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–14, 15, एवं 16 को मैं स्थगित करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 4-8-97 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं :–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की जनपद मेरठ के थाना बहसूमा के कस्बा रामराज में शिवरात्रि के अवसर पर एकत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा बिना चेतावनी गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की गढ़वाल जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा रा० इ० कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर की नगर पंचायत दिलदार नगर में जन-सुविधाओं का अभाव तथा जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश के समस्त इंजीनियरिंग कालेजों में कार्यरत अनुदेशकों/कार्यदेशकों की विसंगतियों के निराकरण के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री विजयपाल सिंह की प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों विशेषकर आगरा जनपद के विकास खण्डों में साधन सहकारी समितियों द्वारा नकली खाद की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री रामसिंह सैनी की सहारनपुर नगर में आरा मशीनों की बन्दी होने से काष्ठकला में कार्यरत श्रमिकों के सामने उत्पन्न जीवनयापन की समस्या के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री हरिशंकर तिवारी	की	जनपद गोरखपुर में छपिया साउंथोपरसार में पशु-चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।
श्री जोखूलाल यादव	की	शारदा सहायक खण्ड 30, इलाहाबाद की नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री दीपलाल भारती	की	उत्तर प्रदेश, सेवाकाल में मृत राज्याधीन सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन विधेयक, 1977 के तहत परिवार के आश्रित को नौकरी दिये जाने के संबंध में हैं, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री सोलत अली	की	मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय में कार्यरत एकाउन्टेन्ट मोहम्मद अनीस द्वारा कथित रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से किये गये करोड़ों के घोटाले के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री संजय गर्ग	की	शासनादेशों के पालन न होने के कारण वाटर वर्क्स नगरपालिका परिसर सहारनपुर में कार्यरत बारह पम्प चालकों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री विनय कुमार पाण्डेय	की	जनपद बलरामपुर में वन विभाग की लकड़ी की अवैध कटान में निरुद्ध किये गये वन माफिया के ऊपर रासुका तामिल कराने के उच्चादेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री रंगनाथ मिश्र	की	मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत कोयले से कोक बनाने वाली फैक्टरियों से निकलने वाले धुयें से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री अजय भट्ट	की	अल्मोड़ा जिले के रानीखेत छावनी परिषद् क्षेत्र में सैनिकों द्वारा किये गये नागरिकों के उत्पीड़न के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।
श्री बाबूलाल कुरील	की	जनपद उन्नाव में बाईपास मार्ग पर स्थित फैक्टरियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले लघु मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों के लिए टेली प्रिन्टर लगाए जाने की अनियमिता, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवनों का हुडको के निर्देशों के विपरीत मूल्य बढ़ाए जाने, प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती स्थिति को सुधारने, हरदोई जिले की संडीला कोतवाली अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपहृत कर उसकी हत्या किए जाने तथा विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने, गोरखपुर मंडल में दो वर्षों में सामयिक संग्रह अमीन तथा चपरासियों को कार्यमुक्त किए जाने के फलस्वरूप हजारों लोगों के बेरोजगार हो जाने तथा हरिद्वार तीर्थ की मर्यादा एवं पवित्रता की रक्षा के लिए एवं जनता की धार्मिक मान्यताओं तथा कुम्भ 1998 को दृष्टिगत रखते हुए शराब की दुकानें नगर पालिका सीमा से 13 कि०मी० दूर करने हेतु शासनादेश जारी किए जाने विषयक चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 18, 19, 20, 21, 22 एवं 23 को मैं स्थगित कर रहा हूं।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 4 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक 4 अगस्त, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'ख' ता०प्र०सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

परिशिष्ट "क"

पुलिस उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण में मानवाधिकार सम्बन्धी विषय :–

1–कानून का राज्य, अपराध न्यायाधिकरण के सिद्धान्त और मानवाधिकार ।

2–भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का स्वरूप ।

3–एम्नेस्टी इण्टरनेशनल, रेडक्रास, पीपुल्स यूनियन आफ लिबर्टीज आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका ।

4–अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अंग और पुलिस का दायित्व ।

5–संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत विधि प्रवर्तन अधिकारियों की आचार संहिता ।

6–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–संगठन, कार्य एवं अधिकार ।

7–मानवाधिकार अधिनियम, 1993 ।

8–समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार–निवारण में पुलिस की भूमिका ।

9–अपराध पीड़ितों, संदेहात्मक अपराधियों, गिरफ्तार व्यक्तियों तथा गवाहों की शिकायतों का निराकरण ।

10–बच्चों के अधिकार–शिक्षा, समानता, शोषण से सुरक्षा ।

11–बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी एवं न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानून का क्रियान्वयन ।

12–महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और महिला के दायित्व ।

13–अवैध जमाव और भीड़ नियंत्रण से मानवाधिकारों का महत्व ।

14–पुलिस की कार्य प्रणाली में मानवाधिकारों का महत्व ।

15–मानवाधिकारों की समस्या का थाना–स्तर पर समाधान ।

16–पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन–कारण तथा निवारण ।

17– पुलिस की हिरासत में हुई मृत्यु, बलात्कार एवं हिंसा के कारण तथा निवारण ।

18–हथकड़ियों एवं बेड़ियों का प्रयोग और न्यायपालिका के दिशा-निर्देश ।

19–न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय ।

20–मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में पुलिस की भूमिका ।

परिशिष्ट "ख"

पुलिस आरक्षियों के प्रशिक्षण में मानवाधिकार सम्बन्धी पाठ्यक्रम :–

प्रथम दिवस :–मानवाधिकारों का ऐतिहासिक परिदृश्य, भारतीय संविधान का भाग III–4, पुलिस का दायित्व और जनसाधारण के मानवाधिकारों की सुरक्षा ।

द्वितीय दिवस :–थर्ड डिग्री मेथड, अभिरक्षा में मृत्यु, पुलिस पर लगने वाले आरोप एवं उनकी रोकथाम, कानून प्रवर्तन कराने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए आचरण संहिता, जातिगत उत्पीड़न, मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की व्यवस्थायें तथा मानवाधिकारों का संरक्षण ।

तृतीय दिवस :–महिलाओं का समाज में स्थान, उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम और महिला पुलिस का योगदान ।

चतुर्थ दिवस :–अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की व्यवस्थायें, बाल अपराधों के विभिन्न कारण एवं प्रकार, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्राविधान और बच्चों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम ।

पंचम् दिवस :–मादक द्रव्यों की खेती एवं उसकी रोकथाम, अल्प संख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम और थाना/चौकी स्तर पर समस्याओं का निराकरण ।

षष्ठम् दिवस :–मानव कल्याण में पुलिस जनों का सहयोग, आदर्श पुलिसजन का स्वरूप, पुलिस के लिए कृत्य-अकृत्य, पुलिस में बढ़ती अपराध–प्रवृत्ति एवं उसकी रोकथाम, पुलिस–जनता सम्बन्ध, पुलिस अनुशासन, पुलिस छवि तथा सामूहिक विचार–विमर्श ।

उत्तर प्रदेश गजेट

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

जनपद--एटा के कार्यरत शीतगृहों की क्षमता एवं भण्डारण मात्रा (कुन्टल में) की सूची

क्र०सं०	शीतगृह का नाम	भण्डारण क्षमता कुन्टल	भण्डारित मात्रा कुन्टल
1	मेसर्स राम कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सौरोंगेट, कासगंज।	47500	47500
2	मेसर्स राज कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सोरोंगेट, कासगंज।	64200	64900
3	मेसर्स आर० आर० कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सौरोगेट कासगंज, एटा।	34080	34100
4	मेसर्स बाबा कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री जलेसर, एटा।	89900	89900
5	मेसर्स अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री सादाबाद रोड, जलेसर, एटा।	28818	28818
6	मेसर्स श्री राम कोल्ड स्टोरेज रामपुर घनश्यामपुर, एटा।	67821.18	67821.18
7	मेसर्स किसान कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस जनरल मिल्स, कासगंज।	35000	35000
8	मेसर्स के० वी० कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० नदरई गेट, कासगंज।	27971.20	27971.20
9	मेसर्स जे० वी० कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स नदरई, कासगंज।	37699	37699
10	मेसर्स वीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज एण्ड आईस फैक्ट्री कासगंज, एटा।	40000	40000
11	मेसर्स गंगा प्रसाद शीतगृह गंगानगर जी० टी० रोड, एटा।	54000	54000
12	मेसर्स स्टैण्डर्ड कोल्ड स्टोरेज गंजडुंडवारा, एटा।	20412	20412
13	मेसर्स उर्मिला कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री सहाबर रोड सौरों, एटा।	40800	40800
14	मेसर्स श्याम विहारी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, अलीगंज, एटा।	60000	60000
15	मेसर्स शाक्य कोल्ड स्टोरेज, गंजडुंडवारा।	56500	30000
16	मेसर्स सहकारी शीतगृह कासगंज (सहकारी क्रय विक्रय समिति)।	25600	28993.34
	योग-:	730301.38	707914.72

पी०एस०यू०पी०-एल० 272 विधान सभा (549)-1997-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।